द्वितीय माला, खंड ५०—अंक २

बुधवार, १५ फरवरी, १९६१
२६ माघ, १८८२ (शक)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

( तेरहवां सत्र )

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

# विषय सूची

**द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)**

**अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)**


| | पृष्ठ |
|---|---|
| सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण | १ |
| निधन संबंधी उल्लेख | १ |
| राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया | २—७ |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति | ७—८ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ८—९ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०-६१ | ९ |
| सदस्य द्वारा पद त्याग | ९ |
| प्रसूति लाभ विधेयक | १० |
| संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना | |
| बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित | १० |
| दैनिक संक्षेपिका | ११—१३ |
| **अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३* | १५—३६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ | ३७—५२ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ | ५२—८० |
| स्थगन प्रस्ताव | |
| कुछ बैकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति | ८०—८२ |
| कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य | ८२—८६ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ८७ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ८७—९१ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०-६१ | ९१ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | ९१—९३ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि | ९३ |
| रेलवे आय-व्ययक (१९६१-६२)—उपस्थापित | ९४—१२० |
| दैनिक संक्षेपिका | १२१—१२८ |

**अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक)** पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २२१–२२
प्राक्कलन समिति—
सौवां प्रतिवेदन . . . . . . . २२३
समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . . . २२३
सभा का कार्य . . . . . . २२४
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४
विचार प्रस्ताव . . . . . . . . २२४—६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियत्तरवां प्रतिवेदन . . . . . . २६४
कार्य मंत्रणा समिति—
इकसठवां प्रतिवेदन . . . . . . २६५
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . . २६६—७३

**अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२
दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२
स्थगत प्रस्तावों के बारे में . . . . . . ३६२–६३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ३६३–६४
प्राक्कलन समिति—
एक सौ पांचवां प्रतिवेदन . . . . . . ३६४
प्रसूति लाभ विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . . ३६४

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . . | ३६५ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| इकसठवां प्रतिवेदन . . | ३६५ |
| सभा का कार्य . . . | ३६५—६६ |
| समिति का निर्वाचन— | |
| मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड | ३६६ |
| सभा के कार्य के बारे में . . . . . | ३६६ |
| द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ३६६—८७ |
| खंड २ से ८ | ३६६—८७ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| छियत्तरवां प्रतिवेदन . . . . . . | ३८७—८८ |
| कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प — | |
| अस्वीकृत . . . . . . | ३८८—९४ |
| राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प | ३९५—४०६ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ४०७ |

**अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७ | ४१५—४२ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७ | ४४२—४८ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८ | ४४८—६४ |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | ४६४ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ४६४ |
| प्राक्कलन समिति— . . . . | ४६५ |
| एकसौ छैं वां प्रतिवेदन | |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी | ४६५—६८ |
| समिति के लिये निर्वाचन — | |
| राजघाट समाधि समिति . . . . | ४६८ |
| द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०— | |

| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र . . . . | ४६८ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . . | ४६६—७४ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | ४७४—५१८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | ५१६—२२ |

**अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
| --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२ | ५२३—४६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६ | ५४६—६५ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४ | ५६५—९३ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ५९३—९४ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . . | ५९४—९७ |
| रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका . | ५९७ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना . | ५९७ |
| उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित . | ५९८ |
| उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य— | |
| सभा पटल पर रखा गया . . . | ५९८ |
| बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित | ५९८ |
| बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य— | |
| सभा पटल पर रखा गया . . . . . | ५९९ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ५९९—६३९ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | ६४०—४७ |

**अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
| --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ . | ६४७—७० |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० . | ६७०—८६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ . | ६८७—७१३ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . . | ७१४ |

| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ७१४—१७ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एकसौ तीनवां प्रतिवेदन | ७१७ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ७१७—५९ |
| दैनिक संक्षेपिका | ७६०—६७ |

**अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
| --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ | ७७१—९४ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ | ७९४—९६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८० | ७९६—८०६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० | ८०६—३२ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ८३२ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ८३३ |
| रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका | ८३३ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ८३३—६१ |
| *अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१* | ८६१—६८ |
| दैनिक संक्षेपिका | ८६९—७३ |

**अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
| --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६ | ८७५—९८ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७ | ८९८—९१० |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४ | ९१०—४६ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ९४६ |
| लोक लेखा समिति— | |
| तेतीसवां प्रतिवेदन | ९४६ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ सत्तवां प्रतिवेदन | ९४६ |

| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| सभा का कार्य . . | ९४७ |
| सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में . . . . | ४७–४८ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . . | ९४८–७४ |
| भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) . | ९७४ |
| श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित . | ९७४ |
| दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत | ९७४—७८ |
| सदस्य की गिरफ्तारी . . . . | ९८१ |
| हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ९८२ |
| परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . . | ९८२—८८ |
| ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक— | |
| श्री अरविन्द घोषाल का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . | ९८८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . | ९८९—९४ |


**अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)**


| | |
| --- | --- |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . | ९९५ |
| दैनिक संक्षेपिका . | ९९६ |


---

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

---

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

# लोक-सभा

बुधवार, १५ फरवरी, १९६१ / २६ माघ, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### बोनस आयोग

+

श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पहाड़िया :
श्री आसर :
श्री बाजपेयी :
श्री नाथ पाई :
श्री सूपकार :
†*१. श्री एंथनी पिल्ले :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका रे :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में एक बोनस आयोग स्थापित किया गया है ;

†मूल अंग्रेज़ी में



1913 (Ai)LSD—1.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयोग की सदस्यता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है; और

(घ) आयोग के निदेश पद क्या हैं ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). बोनस सम्बन्धी प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक बोनस आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) निदेश पदों को श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तै किया जायेगा।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या विभिन्न कार्मिक संघों ने आयोग के वर्तमान चेयरमैन के बारे में सरकार से वि ो प्रकट किया है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं। कार्मिक संघों से उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि नियोजकों ने आयोग की अध्यक्षता के बारे में प्रतिवाद किया था और क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी आपत्तियां क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया ई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्री (श्री नन्दा)** : उन्होंने हमें लिखा है और मैं भी उनसे मिला हूं और उनसे बोनस आयोग के वर्तमान गठन के बारे में उनकी आपत्तियों का पता लगाया है। संक्षेप में, आपत्ति यह है कि चेयरमैन पर्याप्त प्रतिष्ठा वाला नहीं है और न हो उन्होंने ऐसे मामलों के बारे में पहले कार्य किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बोनस आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार का कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है और क्या आयोग सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक श्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, वह बाद में परिस्थिति पर निर्भर है। यदि सब पक्ष इस पर सहमत हों और सको कार्यान्वित करें, तो विधान की आवश्यकता नहीं, परन्तु उससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता।

इसको लागू किये जाने के बारे में अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी तै किया जाये अथवा बोनस के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जाये, यह मामला कार्मिक सघों और कुछ राज्यों द्वारा उठाया गया है। अतः इस बात पर पहले स्थायी श्रम समिति में विचार किया जायेगा। जहां हम निदेश पदों पर विचार करेंगे।

†**श्री त्यागी** : यह प्रस्तावित बोनस एक उद्योग द्वारा अर्जित लाभ से सम्बन्धित है अथवा यह एक कारखाने में अतिरिक्त उत्पादन के लिये प्रेरणा के रूप में सम्बन्धित है ?

†**श्री नन्दा : ये सब तत्व हैं और इसीलिये एक बोनस आयोग नियुक्त किया गया है क्योंकि ऐसे** प्रश्न उठे हैं कि बोनस निर्धारण के लिये उचित आधार क्या है और उचित सिद्धान्त क्या हैं और इस आयोग में इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मूलतः बोनस का सिद्धान्त सरकार ने मान लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बोनस को उत्पादन पर आधारित एक कारखाने में अर्जित लाभ में से निकालने को सहमत है अथवा यह अतिरिक्त उत्पादन के लिये प्रेरणा के रूप पर आधारित होगा ?

†**श्री नन्दा** : सरकार की स्थिति यह है कि इसको कार्य, उत्पादन आदि पर आधारित करना अच्छा है । और यह भी हो सकता है कि बोनस आयोग उस दृष्टि कोण से समूचे उद्योग के मामले पर विचार करे ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या बोनस आयोग विभिन्न उद्योगों में पक्षों द्वारा बोनस के बारे में किये गये पिछले करारों पर भी ध्यान देगा ?

†**श्री नन्दा** : जब तक पक्ष स्वयं उनको बदलने का फैसला न करें, पिछले करार चालू रहेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस आयोग के कितने सदस्य हैं और क्या इसमें उद्योगों के भी कोई सदस्य हैं ?

†**श्री नन्दा** : चेयरमैन महाराष्ट्र औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं । एक संसद् सदस्य हैं—राज्य-सभा के श्री गोविन्द रेड्डी । एक अर्थशास्त्री हैं—प्रो० गगोली और अब हम इसमें श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके इसके गठन का विस्तार करना चाहते हैं ।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : क्या ट्रेड यूनियन्ज़ की तरफ से टर्म्ज़ आफ़ रेफरेंस में माडिफिकेशन करने के लिये श्रीमान् से निवेदन किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : संशोधन के लिये मांग की गयी है और इसीलिये इस मामले में अग्रेतर जांच की आवश्यकता है ।

†**श्री तंगामणि** : आयोग के विदेश पद क्या हैं, क्या निदेश पदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा क्या वे मालिकों की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए निदेश पदों में परिवर्तन कर रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक उचित है, उसके अतिरिक्त मालिकों अथवा श्रमिकों की पुर्नमांग के कारण कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । निदेश-पदों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जो कि पक्षों में परिचालित कर दिया गया है और इस पर अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : स्थायी श्रम समिति की बैठक मुख्यतः निदेश-पद तैयार करने के लिये बुलाई गयी थी । क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों हुआ और समिति की दूसरी बैठक क्यों बुलाई जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : निश्चय ही यह एक संगत प्रश्न है । यह इस बात से उत्पन्न होता है कि मालिकों द्वारा आपत्तियां उठायी गयी थी और उन्होंने समय मांगा है ताकि बाद में वे स्थिति पर पुनर्विचार कर सकें । मैं समझता हूं कि वे लगभग छः सप्ताह चाहते हैं और फिर वे वापस इसी बात पर विचार करेंगे ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मन्त्री महोदय ने बताया है कि बोनस आयोग में निष्पक्ष व्यक्ति होंगे और उसमें श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि भी होंगे । 'श्रमिकों के प्रतिनिधि' से क्या उनका तात्पर्य सभी केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं के प्रतिनिधियों से है अथवा केवल एक केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्था प्रतिनिधि से ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नन्दा** : वह स्थायी श्रम समिति की बैठक में विचार के परिणामों पर निर्भर होगा। एक सघन निकाय बनाने के ख्याल से पक्ष केवल एक के लिये सहमत हो सकते हैं अथवा वे अधिक मांग सकते हैं। यह उनसे परामर्श करके तै किया जायेगा।

†**श्री सूपकार :** क्या आयोग के प्रतिवेदन देने के बारे में कोई समय निर्धारित किया गया है और यदि आयोग समय से पूर्व प्रतिवेदन दे देगा, तो क्या उसको कोई बोनस दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सम्पत्।

†**श्री सम्पत् :** मन्त्री महोदय ने बताया कि आयोग का विस्तार किया जा सकता है। मैं यह जानाना चाहता ं कि विस्तार के बाद इसका स्वरूप त्रिदलीय होगा।

†**श्री नन्दा :** विस्तार का तात्पर्य है कि इसका स्वरूप त्रिदलीय होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह आयोग बोनस हटाने के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

†**श्री नन्दा :** जी, हां। उनके विचार के लिये यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्या श्रमिकों के भुगतान को कोई और रूप दिया जा सकता है—यह उत्पादन से सम्बन्धित हो सकता है अथवा इसमें कोई और पहलू लगाया जा सकता है।

**श्री रा० स० तिवारी :** बोनस दिलाने के लिये जो कमीशन बनाया गया है, क्या वह इस विषय पर जेनरली विचार करेगा, या इस सम्बन्ध में श्रमिक जो मांगें रखेंगे, उन पर विचार करेगा ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि बोनस आयोग के निदेश पद में एक बात यह भी होगी कि वे बिल्कुल बोनस न दिये जाने पर भी विचार कर सकते हैं अर्थात यह बोनस न होकर किसी और रूप में दिया जा सकता है। क्योंकि आयोग का नाम बोनस आयोग है, क्या आयोग के लिये यह तै करना उचित होगा कि बोनस के रूप में न देकर किसी और रूप में कुछ दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम स्वयं को संसद् कहते हैं। बाज दफा विचार किये बिना ही हम विधेयकों को पारित कर देते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि हर बार संसद इस बारे में विचार करे ? मैं समझता हूं कि बोनस आयोग केवल बोनस देने के लिये ही नहीं है परन्तु यदि वर्तमान परिस्थितियों में यह असम्भव है, तो वह यह प्रतिवेदन भी दे सकते हैं कि वर्तमान समय इसके लिये उपयुक्त नहीं है। अथवा किसी विशेष समवाय के बारे में वे यह कह सकते हैं कि यह सम्भव नहीं है—सभी सार्थों के बारे में यह नियम नहीं हो सकता। ये सब विभिन्न बातें हो सकती हैं। क्षेत्र को सीमित करने की बजाय आप इसका विस्तार कर सकते हैं। बाद में यह हम पर निर्भर होगा कि कौनसी बात स्वीकार की जाये और कौनसी स्वीकार न की जाये। पहले हम सभा के समक्ष सब बातें रखें। इसका यही तात्पर्य है। मेरे विचार में इसका कोई और तात्पर्य नहीं है।

†**श्री नन्दा :** इस समय मालिक और श्रमिकदोनों ने यह अनुभव किया है कि बोनस के बारे में अनिश्चितता से मतभेद, आतंक उत्पन्न हो सकता है और प्रश्न यह है कि क्या हम श्रमिकों को इनाम देने का कोई और अच्छा तरीका नहीं निकाल सकते ? श्रमिक संस्थायें और मालिक दोनों इस बात को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह आयोग इस पहलू पर भी विचार कर सकता है।

†**श्री दामानी :** क्या बोनस आयोग को किसी विशेष उद्योग के बारे में कहा जायेगा और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : आयोग कुछ सिद्धान्तों और तरीकों पर कार्य करेगा ।

†श्री मुहम्मद इलियास : हाल ही में चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने चीनी श्रमिकों को मिल रहे बोनस में कमी करने का अपना फैसला दिया है । बोनस आयोग की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार मजूरी बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ताकि चीनी श्रमिकों को पहले की तरह बोनस दिया जा सके ?

†श्री नन्दा : मैं अन्य प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर दे चुका हूं । मैंने कहा है कि करारों में परिवर्तन होने तक सभी वर्तमान करार चालू होंगे ।

**लाओस में अधीक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग**

+

†*२. {
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री अ० मु० तारिक :**
**श्री प्र० गं० देव :**
**श्री सम्पत् :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री सै० अ० मेहदी :**
**श्री कोडियान :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री नलदुर्गकर :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**डा० राम सुभग सिंह :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री राम गरीब :**
**श्री कालिका सिंह :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लाओस में अधीक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को सक्रिय बनाने को लिये भारत सरकार के अपने प्रयत्नों में कहां तक सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह मामला अभी जेनेवा सम्मेलन को दोनों सह-सभापतियों के विचाराधीन है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** पिछले सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि भारत सरकार राजकुमार सुवन्ना फूमा की सरकार के साथ बातचीत कर रही है । क्या मैं जान सकता

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि क्या अब भी उसी सरकार से बातचीत की जा रही है अथवा हम वियन टाइन में शासक सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं समझता हूं कि अब राजकुमार सुवन्ना फूमा की कोई सरकार कार्य नहीं कर रही है। हमने किसी सरकार से कोई अधिक बातचीत नहीं की। वियनाटाइन में एक प्रकार का प्राधिकार कार्य कर रहा है और व्यावहारिक मामलों में एक व्यक्ति को छोटे छोटे मामलों पर उनसे बातचीत करनी पड़ती है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या लाओस में आयोग को पुनः सक्रिय करने के बारे में रूस और अमरीका की सरकार को लिखे गये पत्र का हमें कोई उत्तर प्रोप्त हो गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस विषय पर हमने हाल में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया परन्तु पहले दोनों सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार किया गया था। अभी हम कुछ हफ्तों से उनके फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि कनाडा सरकार ने और वर्तमान लाओस सरकार ने भी आयोग के पुनः सक्रिय बनाये जाने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है ? फिर इसमें क्या कठिनाइयां हैं ? क्या यह सच नहीं है कि इस आयोग को पुनर्जागृत करने के लिये सब इच्छुक हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि इस बात पर सब सहमत हैं। यदि सब सहमत हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बाज़ दफा इस बारे में समाचार पत्रों में व्यापक विवरण छपते हैं परन्तु यदि कोई आधा करार भी होता है, तो इसमें कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिसमें अन्य लोग सहमत नहीं होते।

†**डा० राम सुभग सिंह :** कुछ बड़ी ताकतों ने लाओस में अपनी इच्छा के व्यक्तियों को युद्धास्त्र और गोला बारूद भेजा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन बड़ी ताकतों को उन व्यक्तियों को युद्धास्त्र और गोला-बारूद न भेजने की वांछनीयता बढ़ा दी गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** निस्सन्देह युद्धास्त्र भेजे गये हैं और भेजे जा रहे हैं। माननीय सदस्य पूछते हैं कि क्या उनको ऐसा न करने को नहीं कहा गया है ? जहां बड़ी ताकतों का सम्बन्ध है, अच्छी आवाजों को सुनने की उनकी क्षमता सीमित होती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हुं कि क्या इस मामले पर फैंसला करने के लिए किसी देश द्वारा शिखर सम्मेलन जैसा कोई अन्य प्रस्ताव रखा गया है, यदि हां तो उस पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि "शिखर सम्मेलन" से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है। सामान्यतः यह शब्द अन्य मामले में प्रयुक्त होता है परन्तु कम्बोडिया सरकार ने जेनेवा प्रकार के एक सम्मेलन का प्रस्ताव किया था जो कि पांच वर्ष पहले डीन बीन फू घटना के बाद सामने आया था और जिसमें उन्होंने कुछ अन्य देशों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस पर हमने उत्तर दिया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, परन्तु स्थिति को देखते हुए, सम्बन्धित बहुत से देशों के करार के लिये ऐसे सम्मेलन में पर्याप्त समय लगेगा। क्योंकि

†मूल अंग्रेजी में

स्थिति गम्भीर थी, अतः हमने सोचा कि हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को पुनः सक्रिय बनाना चाहिये और फिर हम यथासम्भव शीघ्र सम्मेलन बुलायें ।

†**श्री राधा रमण** : लाओस में चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए, क्या हमारी सरकार आयोग को शीघ्र सक्रिय बनाने के लिये कोई नया कदम उठायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं पाया हूं । वह यही बात है जो मैं अभी अपने उत्तरों में बता रहा हूं । सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रस्ताव करने के लिये माननीय सदस्य हमसे क्या कदम उठवाना चाहते हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : यद्यपि अन्य ताकतों ने ऐसा आभास किया है कि वे सहमत हैं, तब इस बारे में रूस सरकार ने अपना फैसला क्यों नहीं बताया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कहना ठीक नहीं है कि अन्य ताकतें सहमत हैं । मैंने बताया है कि उनके करारों में हमेशा कुछ शर्तें होती हैं । यद्यपि आयोग के बारे में इस मामले पर रूस सरकार से हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने सम्मेलन करने के कम्बोडिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या लाओस सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का स्वागत करने को तैयार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने बताया है कि ये लोग अनिश्चित सी बातें कहते हैं जिनमें इतनी शर्तें लगी होती हैं कि इसे स्वीकृति नहीं समझा जा सकता । यह स्वीकृति नहीं परन्तु बाज दफा इंकारी हो सकती है क्योंकि इसमें इतनी शर्तें लगी होती हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बून ऊम सरकार के प्रति हमारा क्या रवैया है ? क्या उस सरकार को वास्तविक शासन के रूप में मान्यता देने के बारे में कोई कठिनाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी इसका उत्तर दिया है माननीय सदस्य मेरा उत्तर नहीं समझे कि हम बून ऊम सरकार को मान्यता नहीं देते परन्तु स्थानीय मामलों के बारे में वहां हमारे प्रतिनिधियों को उनके अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है ।

†**श्री कोडियान** : लाओस में पर्यवेक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को पुनः सक्रिय बनाने के लिये सम्बन्धित पक्षों में करार होने तक, क्या उस देश में निष्पक्ष पर्यवेक्षक भेजने का कोई अन्तरिम प्रस्ताव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रस्ताव तो कई हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा पद ग्रहण करने के बाद से वाशिंगटन में स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया है । पिछले सप्ताह उन्होंने अपने राजदूत से भी परामर्श किया था । क्या मैं जान सकता हूं कि लाओस में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के समय से अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के बारे में अमरीकी रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सच है कि अमरीका में नया प्रशासन इन विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर रहा है और नयी नीतियां बना रहा है परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि लाओस के बारे में नयी नीति क्या है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या यह दुरुस्त है कि लाओस को एक ऐसा इलाका करार दिया गया है कि अगर लाओस में किसी किस्म का फिसाद बरपा हो तो सीटो पावर्स उसमें मुदाखलत करेंगी

†मूल अंग्रेजी में

और अगर यह दुरुस्त है तो मैं जानना चाहता हूं कि हुकूमत बरतानिया जो सीटो पावर्स का चेयरमैन है और बरतानिया दिलचस्पी रखता है लाओस के मामले में, उसे कैसे गवारा किया गया है एज़ ए चेयरमैन ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सवाल मैं समझ नहीं पाया हूं। अगर ज़रा और मुख़्तसिर कहें तो ज्यादा समझ में आये शायद ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ३ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या १२ भी लिया जाय ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या २२ भी लिया जाय ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथर :** तीनों प्रश्न एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। यदि इनको एक साथ मिला दिया गया, तो अनुपूरक प्रश्न पूछना बहुत कठिन हो जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले मंत्री महोदय प्रश्न संख्या ३ का उत्तर दें। फिर बाद में देखेंगे ।

**नागा पीपल्स कन्वेन्शन**

+

†*३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्रीमती इलापाल चौधरी :**
**श्री सै० अ० मेहदी :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री राधा रमण :**
**श्रीमती मफीदा अहमद :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री पहाड़िया :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा जन सम्मेलन (नागा पीपल्स कन्वेन्शन) के साथ किये गये समझौते को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) नागा विद्रोहियों से प्रभावशाली रूप से निपटने के लिये क्या नए कदम उठाये जा रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की गई है, जिन्होंने 'कन्वेंशन' के प्रधान के मकान पर धावा किया था ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) नागालैण्ड के प्रशासन के लिये संक्रमणकालीन उपबन्ध बनाने के लिये २४ जनवरी को एक विनियम प्रख्यापित किया गया था। इस विनियम के अधीन नागालैण्ड के प्रशासन में राज्यपाल को सहायता देने के लिये नागालण्ड में आदिम जातियों में से चुनाव द्वारा एक ४५ सदस्यीय अन्तरिम निकाय और ५ सदस्यीय कार्यकारी परिषद् स्थापित की जानी है। अन्तरिम निकाय का उद्‌घाटन आसाम के राज्यपाल द्वारा अगले कुछ दिनों में किया जायगा।

(ख) गश्त को बढ़ा दिया गया है। विद्रोही आन्दोलन के बारे में सूचना देने के लिये ग्रामीण स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। विद्रोहियों के कुछ ऐजन्ट भी गिरफ्तार किये गये हैं और उनके साथ कानून के अनुसार बर्ताव किया जायगा।

(ग) उनको गिरफ्तार करना संभव नहीं था क्योंकि वे 'आक्रमण' के तुरन्त बाद जंगल में छिप गये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विद्रोहियों के प्रति व्यवहार सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है जो कि अब अधिक कठिनाई पैदा कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार उनके साथ किस ठोस तरीके पर बर्ताव करेगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मेरी समझ में नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल नीति वही है। जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, नागा जन सम्मेलन के साथ कुछ करार किए गये थे जिसमें निर्वाचित निकाय के प्रतिनिधि थे और हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। यह पहला कदम है ; आगे और कदम उठाये जायेंगे।

जहां तक विद्रोहियों के साथ बर्ताव का सवाल है, हम सैनिक रूप से उनसे निपट रहे हैं। इसके ये दो पहलू हैं। और बाकी इन नीतियों की कार्यान्विति अथवा कार्यान्विति के विभिन्न ब्यौरे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि नागाओं ने जो हमारे तीन या चार हवाबाज पकड़ रखे हैं, उनको छुड़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं और इस मामले में क्या प्रगति की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि यह प्रश्न संख्या २२ का विषय है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस प्रश्न का भाग (ख) नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों के बारे में है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रयत्न तो केवल सैनिक आधार पर ही किये जा सकते हैं। वास्तव में कोई भी क्रियात्मक पग उसी आधार पर उठाये जा सकते हैं और मैं उनको नहीं बता सकता। परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि अभी ये प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं अर्थात् वे हवाबाज अभी भी विद्रोहियों की हिरासत में हैं।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** क्या इस अध्यादेश के पश्चात् इन विद्रोहियों अथवा अन्य नागा जनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पिछले कुछ दिनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि परसों नागालैण्ड में इस नयी व्यवस्था का उद्घाटन किया जायेग। इसका कल उद्घाटन किया जाना था परन्तु नागा नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कल का दिन शुभ दिन नहीं था। अतः इसको तीन दिन के लिये स्थगित कर दिया गया और मैं समझता हूं कि इसका उद्घाटन १८ तारीख को हो रहा है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागा जन सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने सरकार को यह आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगें स्वीकार करने से विद्रोहियों को दबाने में सहायता मिलेगी। इस बारे में क्या सरकार को नागा जन सम्मलन के सभापति के शिलांग में २ फरवरी को की गयी घोषणा का पता है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि विद्रोहियों को मनाने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता और यदि वे लड़ना चाहें तो उनका मुकाबला किया जायेगा और जब वहां शीघ्र ही अन्तरिम प्रशासन कार्य करने जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि विद्रोहियों को दबाने के लिये प्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेवार होगा, परामर्शदात्री परिषद् अथवा भारत सरकार?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने डा० इमकोंगलिबा ओ के वक्तव्य की यह रिपोर्ट नहीं देखी है। परन्तु जो कुछ माननीया सदस्या ने कहा है वह सच है। उससे उस बात की पुष्टि होती है जो डा० ओ ने पहले कही थी। उन्होंने यह कहा है कि इन विद्रोहियों के साथ सरकार द्वारा तथा उनके द्वारा सख्ती का बर्ताव किया जाना होगा। यह सरकार और सेना का मामला है कि वह उन व्यक्तियों से निपटे। उस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि नागा सम्मेलन के लोग उनका साथ देंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या नागालैण्ड की मांग स्वीकार की जाने के बाद से आग लगाने, लूट-मार करने और हत्या करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, उसके बाद और सभवतः उसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के मामलों में वृद्धि हुई है। अर्थात् कोई व्यक्ति इसको निराशा सम्बन्धी कार्य समझ सकता है क्योंकि परिवर्तन हुआ है और वे मार्ग में बाधायें डालना चाहते हैं। यह सच है कि इस प्रकार की छोटी २ घटनायें बहुत हुई हैं।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सरकार ने ४ दिसम्बर, १९६० के 'सन्डे आबज़र्वर' में प्रकाशित समाचार की पुष्टि कराने के लिये कदम उठाया है जिसमें यह कहा गया था कि भारत-बर्मा सीमा के जरिये चीन यहां पर मशीन गनें और नागा विद्रोहियों को वहां पर गोला-बारूद दे रहा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या जानकारी है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, नहीं। मुझे पता नहीं है। चीन से नागाओं को मिलने वाले ऐसे किसी शस्त्र का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो अंग्रेज पादरी साहब आए थे और जो फीज़ो के नुमायन्दे थे, उनका क्या असर पड़ा है और पड़ सकता है हमारे इस मसले पर?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे उपर तो कोई असर पड़ा नहीं, और लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है उसका मैं जवाब दे नहीं सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि बहुत से नागा जो ऊपर से वफादार प्रतीत होते हैं, वास्तव में विद्रोहियों के समर्थक हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह वक्तव्य में मुश्किल से ही सत्य हो सकता है। अन्यथा उन्हें इस सम्मेलन के लिये आदिम जातीय निर्वाचन न करना पड़ता और अब परामर्शदात्री परिषद् के लिये अन्य निर्वाचन हुए हैं।

**श्री हेम बरुग्रा :** क्या मैं जान सकता हूं कि विद्रोहियों की गतिविधियों के बाद में बढ़ने के क्या कारण हैं? क्या यह इसलिये है कि वे इसका समर्थन नहीं करते ........

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय बता चुके हैं कि वे निराश होकर ऐसा कर रहे हैं ताकि अन्तरिम निकाय के उद्घाटन में बाधा पड़ सके।

†**श्री हेम बरुग्रा :** उसका मतलब है कि वे नई व्यवस्था का समर्थन नहीं करते ......

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में उस पर बहस नहीं की जा सकती।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या नागा विद्रोहियों के साथ बर्ताव करने में केन्द्रीय सरकार और आसाम के राज्यपाल के बीच कर्त्तव्यों और जिम्मेवारियों में कोई सीमांकन है और क्या यह सच है कि बाज दफा राज्य पाल केन्द्र का रुख न जानते हुए कार्यवाही करने में शीघ्रता करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कोई सीमांकन नहीं है। राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में वह कार्य करता है।

†**श्री कालिका सिंह :** नये नागालैण्ड राज्य के विरुद्ध लगभग कितने नागा व्यक्ति हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमने इसकी गणना नहीं की।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

†**श्री खुशवक्त राय :** क्या मैं प्रश्न संख्या ३ के साथ प्रश्न संख्या ३८ के भी उत्तर दिये जाने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या दोनों प्रश्न सम्बन्धित हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इनके साथ चीन-भूतान सीमा सम्बन्धी प्रश्न सख्या २३ का भी उत्तर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न सख्या ३८ भारतीय प्रदेश में चीन के नवीन आक्रमण के बारे में है।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री

## भारत-चीन सीमा-विवाद

+

*४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री पहाड़िया :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री शिब्बनलाल सक्सेना :
श्री खुशवक्त राय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमा-विवाद के सम्बन्ध में रंगून में चल रही बातचीत समाप्त होने के बाद क्या कोई और प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी गई है अथवा उसके किसी और रूप में आगे बढ़ने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार भारत-चीन सीमा-विवाद को हल करने के लिए पहले हुई बैठकों का सारांश सभा-पटल पर रखेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कुल कितनी बैठकें हुईं और उन पर कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). सरकारी दलों ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसे १४ फरवरी, १९६१ को सदन की मेज पर रख दिया गया है। सरकार यह विचार कर रही है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाये जायें।

(घ) ४७ बैठकें हुई थीं और लगभग ६७,५०० रुपये खर्च हुए।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि पीछे कुछ ऐसा समाचार प्रकाश में आया था कि दोनों पक्षों के सरकारी प्रतिनिधियों की बैठकों के बाद जब उनकी रिपोर्ट आ जायेगी तब अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने पर हमारे प्रधान मंत्री जी पेकिंग की यात्रा करेंगे तो अब इस रिपोर्ट के आने के पश्चात् क्या ऐसी संभावना है कि प्रधान मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा आगे चलाने के लिए पेकिंग जायेंगे ?

**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** जी नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है और न कोई बिलफेल सवाल है वहां जाने का।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं यह जानना चाहता हूं कि कल जो रिपोर्ट संसद के पटल पर रक्खी गई है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भूटान, सिक्किम और आजाद काश्मीर की सीमाओं के सम्बन्ध में चीन के प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे तो हमारी ओर से क्या इस प्रकार का कोई पक्ष उपस्थित किया गया कि उन सीमाओं के सम्बन्ध में हमको बातचीत करने का अधिकार है और उनकी ओर से जो तथ्य उपस्थित किये गये वह क्या थे और उनके विरोध में जो हमारी ओर से तथ्य उपस्थित किये गये संक्षेप में उनके सम्बन्ध में क्या प्रधान मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य के सामने किताब मौजूद है उसमें वह सब लिखा हुआ है और अगर वह गौर से उसको पढ़ेंगे तो उनको सब पता चल जायेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान हमारे प्रदेश सम्बन्धी सीमा विवाद के निबटारे के लिये चीन से बातचीत कर रहा है। इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ बातचीत कर रहा है। इस विषय पर पास्किस्तान के विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिये थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इस बारे में कुछ कहा था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और पता नहीं कि कोई बात हुई है या नहीं। जब वे वक्तव्य दिये गये थे, तब हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को भारत-चीन सीमा के बारे में बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सामान्य सीमा नहीं है। उन्होंने केवल इसलिये यह प्रश्न उठाया है कि जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश का कुछ भाग इस समय उनके कब्जे में है। मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न उठाने में उनका क्या आशय था। स्पष्टत: हम पाकिस्तान को वह कुछ कहने से नहीं रोक सकते जो कि वह कहना चाहता हैं। परन्तु हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम इस बात को नहीं मानते और हम इस प्रकार किया गया कोई फैसला मानने को तैयार नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है कि चीनियों ने उस प्रदेश से अधिक प्रदेश के बारे में अपना दावा किया है जो अवैधानिक रूप से उनके कब्जे में हैं। यदि हां, तो क्या जिस प्रदेश का उन्होंने दावा किया है वह अवैधानिक रूप से उनके कब्जे में है अथवा वे वह प्रदेश लेना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रथम तो माननीय सदस्य जानते हैं कि उन्होंने उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के एक बहुत बड़े भाग का दावा किया है जो कि उनके कब्जे में नहीं है। इसके अतिरिक्त, चीनियों के दावो और उनके बदलते हुए नक्शों, क्योंकि उनके नक्शे अक्सर बदलते रहते हैं, के साथ कदम मिला के नहीं चला जा सकता और इसलिये यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि नये नक्शों में कितना अधिक अथवा कितना कम क्षेत्र दिखाया गया है। परन्तु ऐसा लगता है कि इन बातों में निर्देशित नक्शे में उन पहाड़ों में प्रदेश का दावा संभवतः अधिक रहेगा।

**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि चीन और हिन्दुस्तान के झगड़े को निबटाने के लिये कोई दोनों देशों का एक ऐसा मित्र देश है जो कि चीन को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हो ताकि वह हिन्दुस्तान के साथ समझौता कर ले जैसे कि सोवियट रूस है तो क्या रूस इस मामले में पड रहा है या नहीं पड़ रहा है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जाहिरा तो हमें नहीं मालूम पड़ता अब पर्दे के पीछे क्या होता है मैं नहीं कह सकता।

**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, शासन की ओर से यह बताया गया कि भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जो रिपोर्ट मिली है उनके ऊपर विचार किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह विषय इतना महत्वपूर्ण है तो इसके निर्णय में देरी क्यों हो रही है और कब तक इसके बारे में फैसला कर लिया जायेगा ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसका निर्णय करने में ?

**श्री भक्त दर्शन :** यही कि आगे क्या कदम बढ़ाया जाय और किस तरीके से यह समस्या निबटायी जाय ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** देरी इसलिए हो रही है कि निहायत पेचीदा सवाल है और क्या कदम उठाया जाये और कब उठाया जाय इस पर काफी गौर होगा और मुमकिन है कि अर्से तक गौर होता जाय।

**एक माननीय सदस्य :** तो क्या दो, चार या दस वर्ष लगेंगे ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** दोनों प्रधान मंत्रियों और बाद में दोनों सरकारी दलों के बीच वार्तालाप के लिये एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिये चीन और भारत-दोनों सरकारों ने कुछ शर्त्तें मानो थीं। अब जबकि दोनों दलों के प्रतिवेदन दोनों सरकारों को दे दिये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन शर्त्तों को मानती रहेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे ऊपर कोई बन्धनकारी शर्त्तें नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो निर्देश किया है, वह किसी भी पक्ष के कब्जे में कुछ सीमाओं पर आक्रमण को रोकने के बारे में है। वे शर्त्तें बन्धनकारी नहीं हैं। सामान्यतः छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दिया जाता ताकि सैनक कार्यवाही की नौबत न आये। कोई भी व्यक्ति कुछ खास उद्देश्य प्राप्ति के लिये कार्य करता है और इन छोटे छोटे विरोध में पड़ने के लिये नहीं।

**श्री खुशवक्त राय :** श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि यह सब बातें किताब में लिखी हुई हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट की प्रतियां इस सदन के सदस्यों को कब दी जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**एक माननीय सदस्य :** मिल गई हैं ।

**श्री खुशवक्त राय** : जी नहीं, अभी नहीं मिली ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे इल्म है उस रिपोर्ट की कोई २०० प्रतियां सदन के सदस्यों को अर्थात् हर पार्टी को कुछ न कुछ भेजी गई हैं अलबत्ता हर एक सदस्य को अलग अलग नही दी गयी हैं । बहुत ही मोटी रिपोर्ट है, मुश्किल से निकली है । लाइब्रेरी में काफी कापियां रखी हैं । हर पार्टी के दफ्तर में कई कई चार, चार और पांच, पांच कापियां भेजी गई हैं अब अगर कोई साहब खास तौर से उसको चाहते हों तो मैं इसका प्रबन्ध करूंगा कि उसको खास तौर से पहुंच जाय ।

**श्री रामसेवक यादव :** हर एक पार्टी को नहीं भेजी गयी हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** जो जो पार्टी मांगती हैं उसको दे दी जायेंगी ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सब सदस्यों को उसकी प्रतियां मिल सकें क्योंकि यह इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी सीमित प्रतियां ही केवल अपेक्षित नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विश्वास है यदि कोई माननीय सदस्य इस पुस्तक को पढ़ना चाहे, तो इसमें कोई बाधा नहीं होगी । पुस्तकालय में पर्याप्त प्रतियां हैं ...... (**अन्तर्बाधा**)

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी, नहीं ।

†**श्री त्यागी :** मैंने संसदीय सूचना कार्यालय के काउण्टर पर मालूमात की और मुझे बताया गया कि वे प्रतियां आज सुबह तक यहां नहीं भेजी गयी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे अब जा सकते हैं और ले सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इसका पता नहीं है । मेरा ख्याल यह है कि यह कार्य संसदीय कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है । परन्तु संसदीय-कार्य मंत्री ने मुझे बताया है कि उन्होंने २०० प्रतियां भेज दीं और वितरित कर दीं (**एक माननीय सदस्य :** दल-वार ?) ...... जी, हां, दल-वार ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हमने उनको परिचालित किया था । वह हम माननीय सदस्यों को भेज देंगे । मंत्री महोदय ने विभिन्न दलों को प्रतियां भेज दी थीं ........ (**अन्तर्बाधा**) ८० प्रतियां कांग्रेस दल को दी गयी थीं ........ (**अन्तर्बाधा**) (**एक माननीय सदस्य :** केवल कांग्रेस दल को ही क्यों ?)

†**श्री बाजपेयी :** यदि सरकार पर्याप्त मात्रा में प्रतियां नहीं दे सकती तो उन विदेशी सरकारों और अन्य देशों की मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी जो वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम उपलब्ध होने पर अधिकाधिक प्रतियां देंगे । इसकी बहुत मांग है और इसको जल्दी में छपवाना पड़ा । हम हजारों कापियां बना नहीं सकते । मांग इतनी है कि जो कुछ प्रतियां छपीं वे सब खप गयीं । परन्तु जैसा मैंने कहा है, पुस्तकालय में प्रतियों के अतिरिक्त और अन्य वितरण के अतिरिक्त, २०० प्रतियां संसद्-सदस्यों, दलों और जिनको जरूरत है, उनके लिये भेजी गई थीं । इसके अतिरिक्त यदि कोई माननीय सदस्य मुझसे कहे अथवा संसद के सचिव से कहे, तो हमें उसे संभरित करने का प्रयत्न करेंगे ........ (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । इस समय केवल २०० प्रतियां उपलब्ध हैं । उपलब्ध प्रतियों को विभिन्न दलों में समान रूप से वितरित करने के लिये हर प्रयत्न किये जायेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** २०० प्रतियां दी जा चुकी हैं और जो कोई सदस्य मेरे से या सचिव से कहे तो मैं उसे एक प्रति दे दूंगा । मैं संभरण करने का प्रयत्न करूंगा ........ **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा । अगला प्रश्न ।

**एक माननीय सदस्य :** क्या हिन्दी में भी कापियां छापी गई हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं ।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** चीन सरकार ने भारतीय सीमा का वायुयानों द्वारा जो उल्लंघन किया है. ........

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह सवाल तो खतम हो गया है । क्या यह दूसरा सवाल है ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जो प्रश्न चल रहा है, उस पर अनपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

†**श्री जवहरलाल नेहरू :** कौन सा प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब प्रतियों के संभरण का सवाल उठा, तब मैं उनका नाम पुकारने वाला था ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं भारत-चीन सीमा-विवाद पर एक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

मैं जानना चाहता हूं कि चीन सरकार ने भारतीय सीमा का वायुयानों के द्वारा जो उल्लंघन किया है, क्या उसका यह अर्थ नहीं है कि चीन सरकार ने वह एग्रीमेंट अस्वीकार कर दिया है ? यदि यह बात सच है, तो भारत सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है ?

**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मैं जानना चाहता हूं कि यह कोई सवाल है या कोई सप्लीमेंटरी है, हम इस वक्त कहां हैं, ताकि मैं जवाब दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सप्लीमेंटरी है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सप्लीमेंटरी है ! बड़ी मुश्किल है कि एक छोटे से सवाल में— चूहे से सवाल में ऊंट का सा सप्लीमेंटरी कर दिया जाये ।

†**श्री नाथ पाई :** सभा में प्रचलित किये गये संक्षेप से पता चलता है कि चीन और भारत की सरकारों के बीच विवाद के बारे में सभी बड़ी बातों पर असहमति हुई है । हम इस विवाद को सुलझाने के लिये बातचीत पर जोर दे रहे हैं परन्तु चीनियों ने जो कुछ गलती से अपने कब्जे में कर लिया है, वे उसे अपने कब्जे में दबाये रखे हैं । इन बातों की असफलता को ध्यान में रखते हुये, क्या बातचीत का कोई और दौर शुरू किया जायेगा और यदि हां, तो वह किस स्तर पर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह लगभग वैसा ही प्रश्न है जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा था । इस समय बातचीत का हमारा कोई ख्याल नहीं है । मैं नहीं जानता कि किस समय बातचीत का वातावरण बन जाये क्योंकि जिन दो देशों के बीच विवाद हो, उनमें बातचीत की बात से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मेरा अनुपूरक प्रश्न सम्बधित है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद ह । मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

**दिल्ली में भूमि के विक्रय संबंधी फाइल का गुम हो जाना**

+

†*५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री कुन्हन :**
**सरदार इकबाल सिंह :** }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मत्री दिल्ली में भूमि के विक्रय सम्बन्धी एक फाइल के गुम हो जाने के बारे में २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइल के गुम होने के बारे में किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किसे ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली प्रशासन सचिवालय की एक गुमशुदा फाइल के खो जाने के बारे में दिल्ली प्रशासन के सतर्कता विभाग ने जांच की परन्तु किसी पर अन्तिम रूप से जिम्मेवारी नहीं डाली जा सकी ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस बारे में अभी तक किसी सरकारी पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, नहीं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस घटना का हाल ही की रिंग रोड की जासूसी से सम्बन्ध है जिस का हाल ही में राजधानी में पता लगाया गया है ?

**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह फाइल वर्ष १९५४ में खोई गई थी और यह भूमि की बिक्री के बारे में है । किसी विदेश के साथ जासूसी का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या जांच कराने के पश्चात्, सरकार की यह राय है कि इस में कोई दुर्भावना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, नहीं ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि इस फाइल के खोने के सम्बन्ध में जो जांच की गई है, उस में विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफ़सरों की ग़लती है, या महकमे की ग़लती है, वर्ना क्या बात है कि वे पता नहीं चला सके हैं कि किस ने ग़लती की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुख्य आयुक्त के कार्यालय और भूमि विकास कार्यालय जैसे संबंधित कार्यालयों में अनुवर्ती फाइलों के सहारे से समूची फाइल फिर बना ली गयी है । जहां तक खोई हुई

†मूल अंग्रेजी में

फाइल का सम्बन्ध है, हमें पता चला है कि वह फाइल दिल्ली प्रशासन के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त ले गये थे परन्तु चपरासी की पुस्तक से पता चलता है कि वह सचिवालय को लौटा दी गयी थी। हम ने दो बार पूछताछ की परन्तु दुर्भाग्य से इस मामले पर और प्रकाश न डाला जा सका।

†**श्री कुन्हन** : क्या किसी सहकारी समिति को भूमि बेची गयी थी और यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह पांच गैर-सरकारी व्यक्तियों को बेची गई थी।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के कुछ प्रमुख कोलोनाइज़र दिल्ली प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों से बड़े निकट के सम्पर्क बनाये हैं और वही इस के लिये उतरदायी ठहराये जा सकते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। परन्तु जहां तक इस सौदे का सम्बन्ध है जिस प्रकार यह किया गया, उस में हम खुश नहीं थे। परन्तु भूमि के लिये जो मूल्य किया गया, वह उन दिनों बाजार भाव के अनुसार था।

**पाकिस्तान के डाक टिकट**

†*६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक पत्र लिखा है जिस में यह कहा गया है कि पास्किातन के डाक और तार विभाग ने हाल में जो चार नये डाक टिकट जारी किये हैं उन में जम्मू और काश्मीर, जूनागढ़ और मानवादार को गलत ढंग से दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने उक्त पत्र का उत्तर दे दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त और कराची स्थित भारत के उच्चायुक्त के जरिये जबानी पाकिस्तान सरकार को अपने विचार बता दिये हैं।

(ख) अभी कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी प्रकार का गैर-रस्मी जवाब सरकार को प्राप्त हुआ है। यदि नहीं, तो भारत सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि पाकिस्तान सरकार से कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या सरकार को कोई गैर-रस्मी जवाब मिला है ?

**एक माननीय सदस्य** : इनफार्मल :

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अप्रैल १९६० में पाकिस्तान के विदेश सचिव ने हमारे उच्चायुक्त को बताया था कि भारत ने दो वर्ष से अधिक पूर्व काश्मीर को भारत का भाग दिखाते हुए डाक टिकट जारी किये थे और इसलिये पाकिस्तान ने फैसला किया कि काश्मीर को विवाद-ग्रस्त क्षेत्र दिखाते हुए डाक-टिकट जारी किये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या भारत सरकार अब इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिस से एक देश को उस की इच्छा के विरुद्ध डाक-टिकट जारी करने से रोका जा सके ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जूनागढ़ और मानवादार के बारे में क्या वास्तविक स्थिति है ? क्या वे बराबर इस पर अपना दावा कर रहे हैं? उदाहरणतः पाकिस्तान में जूनागढ़ के नवाब को महारानी एलिज़ाबेथ से मिलवाया गया था ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं ने समझा था कि संभवतः इस सभा के प्रत्येक सदस्य को जूनागढ़ की स्थिति का पता होगा और उन को इस बारे में कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं ।

**कांगो**

†*७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने कांगो सम्बन्धी सलाहकार समिति की एक बैठक में कांगो की संसद् को पुनः समवेत करने तथा राजनैतिक क्षमा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में समझौता आयोग से सम्बन्धित क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख) कांगो सम्बन्धी सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय है । तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता महा सभा में एवं कांगो की स्थिति पर विचार करने के लिये बुलाई गई सुरक्षा परिषद् की बठकों में, हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे विचारों को बहुत स्पष्ट कर दिया है । संसद् को पुनः समवेत करने, राजनैतिक कैदियों की रिहाई विशेष कर उन लोगों की रिहाई जिन्हें संसदीय उन्मुक्ति प्राप्त है, और कांगो में विभिन्न गैर-उतरदायी सशस्त्र लोगों को तटस्थ करने की आवश्यकता पर बराबर जोर दिया गया है । ये विचार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को भली भांति विदित हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : कांगो के प्रधान मंत्री श्री लुमुम्बा की अमानुषिक हत्या, तथा वहां के बुरी हालत के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? हमारी नीति क्या होगी और क्या हम वहां से अपने गैर-सैनिक दस्तों को वापिस बुला रहे हैं, या नहीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह प्रश्न और इस का उत्तर दोनों निस्सन्देह पुराने हैं । इस प्रश्न का उत्तर तैयार किये जाने के पश्चात् बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं । मुझे नहीं मालूम कि क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अनुपूरक के उत्तर में इस समय कांगो की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ कहूं या कुछ समय बाद बताऊं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बाद में पूरा वक्तव्य दे सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अभी वक्तव्य या प्रश्न काल के पश्चात् जब आप चाहें, वक्तव्य देने को तैयार हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक प्रस्ताव की सूचना मिली है जिस में श्री डांगे, श्री गोपालन और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि वे श्री लुमुम्बा की मृत्यु के बारे में यह मामला उठाना चाहते हैं। मुझे खेद है क्योंकि मुझे श्री टांटिया से भी सूचना मिली है। यदि प्रधान मंत्री चाहते हैं तो वह वक्तव्य दे सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं ने इस मामले पर एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा वक्तव्य संक्षित होगा क्योंकि इस समय भी इस मामले पर देशों और सुरक्षा परिषद् के बीच चर्चा हो रही है और यह बताना कठिन है कि उन चर्चाओं का क्या परिणाम होगा। हो सकता है कि दो या तीन दिनों में कुछ हो। अतः इस में कुछ अस्पष्टता होगी। परन्तु मोटे तौर पर क्योंकि हमारा रुख मालूम है—श्री लुमुम्बा की इस मृत्यु का आतंक....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जो कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं प्रश्न काल के बाद दे सकते हैं।

†**श्री खाडिलकर** : जैसा कि दक्षिण अफरीका के मामले में, जहां इस सभा ने औपचारिक रूप से, इस क्रूरता के प्रति अपना शोक तथा घृणा व्यक्त किया था, क्या इस सभा को एक अवसर मिलेगा कि वह श्री लुमुम्बा की हत्या के बारे में औपचारिक ढंग से अपनी घृणा व्यक्त कर सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें प्रधान मंत्री के वक्तव्य की परीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** : हमें सभा की पुरानी प्रथा को नहीं छोड़ना चाहिये। इस के पक्ष में कारण हो सकते हैं। इस के लिये प्रत्येक को शोक है। परन्तु क्या हम इस प्रकार इसे सभा में व्यक्त करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन द्वारा शिक्षा**

+

*८ { **श्री भक्त दर्शन** :
**श्री नवल प्रभाकर** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्कूलों में टेलीविजन द्वारा शिक्षा देने की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था, उसे लागू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : सामग्री प्राप्त करने और अध्यापकों के प्रशिक्षण के प्रबन्ध को शुरू करने के लिये प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ताकि दिल्ली के स्कूलों के लिये नियमित टेलीविजन सेवा जुलाई, १९६१ में आरम्भ हो सके।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान! क्या यह टेलीविजन के द्वारा शिक्षा देने के बारे में दिल्ली के अध्यापकों अथवा और सरकारी कर्मचारियों को विदेशों में भेजने की कोई व्यवस्था की गयी है, और यदि की गयी है तो वे कब तक लौट रहे हैं?

**श्री आ० चं० जोशी** : दो लोग टेलीविजन प्रोग्राम प्रोड्यूसर आल इंडिया रेडियो और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन दिल्ली स्टेट के अमरीका भेजे गये हैं, टेम्पसविल्ले और हैगर्स टाउन में और वे वहां एक महीने के लिये गये हैं। वहां से आने पर वे यहां के टीचर्स को फोर्ड फाउंडेशन के कंसलटेन्ट्स महोदय के साथ मिल करके शिक्षा देंगे।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, पिछली बार एक प्रश्न का उत्तर देते हुये बताया गया था कि अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन कौन विषयों में इस माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। मैं जानना

†मूल अंग्रेजी में

चाहता हूं कि क्या उन विषयों का निर्वाचन कर लिया गया है जिन को कि स टेलीविजन के द्वारा विशेष तौर से शिक्षा दी जायगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है लेकिन दा य. तौं विषय टेलीविजन द्वारा सिखाये जायेंगे जिन को आडियो-विजुअल तरीके से शिक्षा देना सब से उपयोगी होगा और ज्यादा फायदा पहुंच सकेगा ।

**श्री नवल प्रभाकर :** क्या मैं जान सकता हूं कि टेलीविजन का आप जो प्रसारण करेंगे उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, वे भी क्या कोई लाभ उठा सकेंगे ?

**डा० केसकर :** दिल्ली स्टेट के अन्दर जितने सेकेंडरी स्कूल हैं उन सब में यह शिक्षा दी जायेगी चाहे वे दिल्ली शहर में हों या दिल्ली के गांवों में ।

**श्री राधा रमण :** अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है और सन् १९६१ में यह प्रयोग टेलिविजन का स्कूलों के अन्दर किया जायेगा । क्या यह बताया जा सकता है कि अधिक से अधिक समय इसमें कितना लगेगा और कब तक यह चालू हो सकेगा ?

**डा० केसकर :** उत्तर में बताया गया था कि जुलाई में जब नया सैशन शुरू होगा उस समय से यह प्रयोग जारी किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ये टेलीवीजन प्रसारण स्कूल प्रसारणों के अतिरिक्त होंगे या ये स्कूल प्रसारणों के स्थान पर होंगे ?

†**डा० केसकर :** इनका प्रसारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह टेलीवीजन सेवा सर्वथा एक पृथक चीज है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न श्रीमती ला पालचौधरी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मैंने पांच मिनट पहले आपको सूचना दी थी कि चीन-भूटान सीमा विवाद संबंधी प्रश्न संख्या २३ को आज लिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस के लिये बाध्य नहीं हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** यह प्रार्थना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या २३ का उत्तर दिया जाये ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैंने प्रार्थना की था कि प्रश्न संख्या २२ को भी लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अब प्रश्न संख्या २३ की अनुमति दी है ।

## चीन-भूटान सीमा विवाद

†*२४. **श्री आसर :**
**श्री हेम राज :**
**श्री पहाड़िया :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री अय्याकणु :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने चीन-भूटान सीमा विवाद सुलझाने के लिये सीधे भूटान सरकार से बात की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भूटान सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में सूचना दी है ; और

(ग) यदि हां तो, इस बारे मे भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ) :** (क) समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उसके अतिरिक्त सरकार को कोई और जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भूटान सरकार की प्रार्थना के अनुसार भारत सरकार ने भूटान और चीन के बीच के प्रश्न के बारे में चीनी सरकार से बात की है चीनी अधिकारियों के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ है वह श्वेत-पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** चीन ने भूटान के किन क्षेत्रों पर दावा किया है और उस दावे के क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** समय समय पर सभा के सामने जो बहुत से पत्र रखे गये हैं, उन में अन्य बातों के साथ साथ इस विशिष्ट मामले सम्बन्धी जानकारी दी गयी है । मैं अनुपूरक के उत्तर में कैसे चीनियों के कारण बता सकता हूं, जिनके बारे में मेरा विचार है कि वे निराधार है । यह सच है, जैसा कि माननीय सदस्य हाल में रखे गये बड़े ग्रंथ में देखेंगे कि बहुत से अवसरों पर हमने बताया है कि हम कुछ भूटानी राज्य क्षेत्र पर चीनी दावे के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, ताकि उनको यह दिखा दें कि उनका दावा कितना गलत है, परन्तु चीनी सरकार या उनके प्रतिनिधि भूटान के मामले में चर्चा करने को तैयार नहीं हुये । परन्तु पुनः पुनः हमने उन से कहा कि यह हमारा मामला है । वास्तव में, यह न केवल हमारा मामला ही है, परन्तु भूटान की राष्ट्रीय सभा ने विशेष रूप से भारत सरकार को कहा है कि वह इस मामले में चीनी सरकार से बातचीत करें और हमने उन्हें इस की सूचना दे दी है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि हाल में चीन ने भूटान और सिक्किम के साथ भारत के पुराने संबंधों को मानने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि चीन केवल उचित संबंध स्वीकार करने को तैयार है ? यदि ऐसी बात है तो उनका इस 'उचित' शब्द पर अत्यधिक बल देने का क्या अर्थ है, जो उन्होंने स्वयं लगाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होने इसका उत्तर दे दिया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं कि जिस शब्द को चीनी सरकार या उनके प्रतिनिधियों ने प्रयोग किया है उसका क्या अर्थ है?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कहा है कि वह भूटान की ओर से बातचीत करने को तैयार थे परन्तु चीनी इसके लिये तैयार नहीं थे ।

†**श्री त्यागी :** यदि भूटान सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वे उन के राज्य-क्षेत्र की रक्षा करने में उन की सहायता करें, तो यदि उन पर कोई आक्रमण होता है तो क्या भारत सरकार उन की रक्षा के लिये तुरन्त सहायता करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्थिति यह है जैसा कि मैंने सभा में पहले कहा है कि हमने किसी आक्रमण की अवस्था में भूटान की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है । हम कैसे और क्या करेंगे यह हमारे विशेषज्ञों के विचार करने का मामला है । परन्तु हमने यह कहा है कि भूटान पर होने वाला आक्रमण भारत पर आक्रमण समझा जायेगा ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## पाकिस्तान के लिये भारतीय चाय

†*९. { **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
**श्री प्र० चं० बरुग्रा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रभी हाल में भारत ने पाकिस्तान को ५० लाख पौंड भारतीय चाय बेचने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव के निबंधन ग्रौर शर्तें क्या हैं; ग्रौर

(ग) इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (ग). कुछ समय पूर्व पाकिस्तान सरकार से यह प्रार्थना प्राप्त हुई थी कि दोनों देशों में विद्यमान विशेष भुगतान प्रबन्ध के ग्रधीन भारत से पाकिस्तान को ग्रधिकतम ५० लाख पौंड चाय का संभरण किया जाये। भारत सरकार ने चाय संभरण के सम्बन्ध में ग्रपनी रजामन्दी के बारे में उस सरकार को लिख दिया है। वहां से ग्रभी तक इस चाय की निश्चित मात्रा ग्रौर किस्मों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुग्रा है।

## इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फ्लेट (मकान)

†*१०. **श्री ग्रर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पुनर्वास तथा ग्रल्प संख्यक-कार्य** मंत्री १८ ग्रगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३२ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रा मार्केट, सब्जी मंडी में १३००० रुपये के मूल्य के तीन कमरों वाले फ्लैट (मकान) नीलाम किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत ली गई है; ग्रौर

(ग) यदि नहीं ती, विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा ग्रल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस बीच यह निर्णय कर लिया गया है कि दिल्ली की १०,००० रुपये से ग्रधिक कीमत की सरकार द्वारा निर्मित उन सम्पत्तियों की जो कि विस्थापित व्यक्तियों के वैध कब्जे में हैं, नीलामी न की जाये ग्रपितु उन्हे सरकारी सम्पत्ति के रूप में ही रहने दिया जाये ।

## टेलीविजन पर समाज शिक्षा माला

†*११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिविजन एकक द्वारा ग्रारम्भ की गयी समाज शिक्षा माला सफल रही है ; ग्रौर

(ख) क्या वर्तमान माला के पूर्ण होने के पश्चात् इस कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). इस माला के अधीन अभी तक आठ कार्यक्रम प्रसारित किये जा चुके हैं और कुल २० कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि इन कार्यक्रमों का अच्छी प्रकार से स्वागत हुआ है। सभी कार्यक्रमों के प्रसारित हो जाने के बाद ही इस बारे में निश्चित रूप से परिणाम निकाला जा सकेगा।

**नागा**

†*१२. **श्री अ० मु० तारिक** :
**श्री रामेश्वर टांटियां** :
**श्रीमती इला पालचौधरी** :
**श्री अजित सिंह सरहदी** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्री सुबिमन घोष** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** :
**श्री हेम राज** :
**श्री हेम बरुआ** :
**श्री आसर** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री राम गरीब** :
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** :
**श्री अरविन्द घोषाल** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हों ने श्री माइकल स्काट द्वारा १ जनवरी, १९६१ को दिया गया वक्तव्य पढ़ा है, जिस में उन्हों ने कहा है कि नागाओं के लिये हिंसात्मक उपायों को अपनाना संभव होना चाहिये और प्रस्तावित नागा लैंड में फिजो और उन के अनुयायी सम्मिलित होने चाहियें; और

(ख) क्या श्री स्काट ने प्रधान मंत्री से प्रस्तावित नागा लैंड में "फिजो के सम्मिलित होने" के बारे में चर्चा की थी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) उहों ने नागा समस्या के बारे में फिजो के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और सामान्य रूप से इस प्रश्न पर चर्चा की।

**कोयला उद्योग के लिये मंजरी बोर्ड**

†*१३. **श्री राजेन्द्र सिंह** :
**श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्री अरविन्द घोषाल** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खनिकों के संघों की ओर से कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की स्थापना के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन की मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) कोयला खानों के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न आगामी अप्रैल में होने वाली कोयला खान औद्योगिक समिति की आगामी बैठक के लिये निर्धारित विषयों में सम्मिलित है ।

**२४ परगना में अस्पताल**

†*१४. **श्री त० ब० वट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ परगना, पश्चिम बंगाल में अस्पताल के निर्माण का कार्य इस बीच शुरू हो गया है;

(ख) इस के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) ३१,७०,००० रुपये ।

**मेहता समिति की सिफारिशें**

†*१५. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में निम्न जानकारी दी गयी हो ?

(क) कलकत्ता गोदी कर्मचारी योजना के बारे में मेहता समिति की सिफारिशों, विशेषतः सिफारिश संख्या ३, ४, ७, १८, १९, २३, २४, २५ (एक) (दो), (तीन), ३३, ३४, ३६, ३८, ४९, ५० तथा ५३ को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो इस का क्या कारण है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कुल ५६ सिफारिशों में से ३१ कार्यान्वित की जा चुकी हैं, १७ कार्यान्वित की जा रही हैं और शेष को नोट कर लिया गया है अथवा मालिकों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया गया है। सिफारिश संख्या ४, ३३ और ३८ को कार्यान्वित किया जा चुका है। संख्या ७, १९, २४, २५, ३६, ४९, ५० तथा ५३ कार्यान्वित की जा रही हैं और संख्या ३, १८, २३ और ३४ को नोट कर लिया गया है या मालिकों का ध्यान उन की ओर आकृष्ट किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## उर्वरकों का आयात

†*१६. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात वर्ष १९६१–६२ में उर्वरकों के आयात को उच्च प्राथमिकता दी गयी है;

(ख) क्या अब तक उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आयात हो चुका है; और

(ग) देश में उर्वरकों के सम्भरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) से (ग). इस प्रश्न का उत्तर बाद की किसी तिथि को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

## सरकारी उपक्रमों से आय

†*१७. { श्री नथवानी :
श्री मुरारका : }

क्या **योजना** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की ओर से तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये ४४० करोड़ रुपये के अनुमानित योगदान के विस्तृत और पृथक् पृथक् आंकड़े अब उपलब्ध हैं;

(ख) ४४० करोड़ रुपये की इस राशि में से शुद्ध लाभ की मात्रा कितनी है और कितनी राशि अवमूल्यन रक्षित-निधि आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त होगी; और

(ग) ये प्रतिष्ठान आय कर और निगम कर के रूप में कितना योगदान करेंगे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

### विवरण

४४० करोड़ रुपये का प्राक्कलन मुख्यतया दो भागों में विभाजित है—केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिये ३०० करोड़ रुपये और राज्य सरकारी उपक्रमों के लिये १४० करोड़ रुपये । केन्द्रीय उपक्रमों के प्राक्कलन में इस्पात के कारखानों, उर्वरक कारखानों, डाक तथा तार और अन्य उपक्रमों से प्राप्त होने वाली शुद्ध अतिरिक्त राशि सम्मिलित है। राज्यों के उपक्रमों के प्राक्कलन में विद्युत बोर्डों, सड़क परिवहन निगमों और औद्योगिक उपक्रमों की राशियां सम्मिलित हैं ।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के प्राक्कलनों का सम्बन्ध है, उन पर इस समय योजना को अन्तिम रूप से तय करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक राज्यों के उपक्रमों के प्राक्कलन का सम्बन्ध है, उसे पुनरीक्षित कर के १४६ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है । ब्योरा निम्नलिखित है :—

| | अवमूल्यन रक्षित निधि आदि की शुद्ध अपवृद्धि | प्रतिधृत लाभ | कुल |
|---|---|---|---|
| १. विद्युत बोर्ड . | ९५ | १५ | ११० |
| २. सड़क परिवहन निगम जिन में विभाग की ओर से चलाये जाने वाले उपक्रम भी सम्मिलित हैं | १७ | ३ | २० |
| ३. औद्योगिक उपक्रम तथा अन्य वैभागिक योजनायें | १९ | .. | १९ |
| कुल . | १३१ | १८ | १४९ |

## चीनियों द्वारा प्रचार

†*१८. **श्री हेम** बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण की सीमा पर चीनियों द्वारा किये जा रहे प्रचार में वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार का निराकरण करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ताकि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के उन क्षेत्रों पर, जिन पर इस प्रचार का प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रचार का कुप्रभाव न पड़े; और

(ग) सम्बन्धित क्षेत्रों में चीनियों के प्रचार की यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है तो क्या उस का पता लगाया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण की सीमा पर चीनी प्रचार के बढ़ जाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). सरकार को इस बात का संतोष है कि आदिम जातियों के लोगों को सरकारी प्रशासनिक संगठन में विश्वास है और सरकार उन्हें किसी भी झूठे प्रचार के प्रभाव से बचाने में पूर्ण रूपेण समर्थ है । फिर भी हमारी चौकियों द्वारा इस सम्बन्ध में पूरी नजर रखी जाती है कि प्रचार कार्य कहीं हमारी सीमाओं की ओर बढ़ने न पाये ।

†मूल अंग्रेजी में

**चीनियों द्वारा सतलज नदी पर बांध**

†*१९. { **श्री हेम राज :**
**श्री ग्रासर :**
**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
**श्री प्र० के० देव :** }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों का विचार तिब्बत में सतलज नदी पर उस के भारतीय भूमि पर चिनी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले बांध बनाने का है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस से भारत में सिंचाई ग्रौर विद्युत् परियोजनाग्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत ग्रली खाँ) :** @ (क) ग्रौर (ख). हमें इस प्रस्थापना के बारे में ज्ञात नहीं है। सामान्यतया, स्थापित ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के ग्रनुसार, प्रत्येक तटस्वासी को यह ग्रधिकार है कि वह ग्रपने क्षेत्र में जो भी चाहे कर सकता है, परन्तु वह ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करता जिस से दूसरे तटस्वामी को ठोस रूप में कोई नुकसान पहुंचे ।

**ग्रान्ध्र प्रदेश में ऐस्बेस्टस कारखाना**

†*२०. **श्री उस्मान ग्रली खां :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रान्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एस्बेस्टस रेशे के विधायन के लिये एस्बेस्टस कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ग्रौर (ख). एस्बेस्टस के निक्षेपों की खोज ग्रौर उसे तैयार करने के एक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**फ्रांस द्वारा हिन्द महासागर में नाभिकीय परीक्षण**

†*२१. **श्री नरसिंहन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को फ्रांस द्वारा हिन्द महासागर में हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने के परीक्षण सम्बन्धी प्रस्थापना की कोई जानकारी है; ग्रौर

(ख) क्या इस प्रकार के विस्फोट के परिणामस्वरूप रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रसार से ग्रौर वातावरण के दूषित होने से उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित परीक्षण के विरुद्ध फ्रांस सरकर से विरोध प्रकट किया गया है ग्रथवा प्रकट करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत ग्रली खाँ) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों के बारे में भारत सरकार के विचार भली भांति विदित हैं । वे उन से बिल्कुल विरुद्ध हैं ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

@शुद्ध किये रूप में—देखिये वा विवाद दिनांक २०-२-१९६१ ।

## नागा विद्रोहियों द्वारा मंडल अधिकारी की हत्या

†*२२. श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० के० देव :
श्री सै० अ० मंहदी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागा हिल्स में भंडारी के मंडल अधिकारी (सर्किल आफिसर) श्री सदानन्द चालिहा को २० जनवरी, १९६१ को नागा विद्रोहियों ने गोली चला कर मार दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

### विवरण

मोको कचंग जिले के भंडारी के मंडल अधिकारी (सर्किल आफिसर), श्री सदानन्द चालिहा, का भण्डारी से सानिस को सरकारी काम से एक जीप में बैठ कर जाते हुए मार्ग में भण्डारी से लगभग ४½ मील की दूरी पर लगभग ३० नागा विद्रोहियों ने पीछा किया और उन पर गोली चलायी। उसी स्थान पर उन्हें बहुत नजदीक से गोली चला कर मार दिया गया। जीप में बैठे हुए एक सरकारी डाक्टर और जीप चालक को छोड़ दिया गया और वे अगले दिन प्रातः काल भण्डारी वापस पहुंचे। श्री चालिहा का नौकर भी बच निकला। श्री चालिहा के शव को आसाम में गोलाघाट ले जाया गया। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उन पर १२ बोर की बन्दूक से गोली चलायी गयी।

## जामबाद कोयला खान

†*२४. डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ जनवरी, १९६१ को आसनसोल के निकट जामबाद कोयला खान की सुरंग[1] की दीवार गिर गयी ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने खनिक जिन्दा दब गये ;

(ग) क्या इन दबे हुए कर्मचारियों में से कुछ को बचाया गया; और

(घ) क्या मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कुछ मुआविजा दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Shaft.

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) छः ।

(ग) जी, नहीं। बचाने का कार्य करीब करीब समाप्ति पर है ।

(घ) अन्तरिम मुआवजा दे दिया गया है ।

**मद्रास राज्य को तकलों और करघों का आवंटन**

†*२५. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
**श्री तंगामणि :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य के लिये और समूचे देश के लिये कितने तकले और करघे निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) क्या मद्रास राज्य की ओर से, वस्त्र उद्योग में दक्षिण प्रदेश को प्राप्त विशेष स्थान को ध्यान में रखते हुए, तकलों और करघों के आवंटन में वृद्धि करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उद्योग के बारे मे लक्ष्यों और तकलों और करघों के आवंटन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां ।

**आकाशवाणी से नेपाली कार्यक्रम**

†*२६. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान आकाशवाणी के वैदेशिक सेवा विभाग के नेपाली कार्यक्रम के संचालन के असन्तोषजनक ढंग और भाषा की दृष्टि से गलत तरीके के बारे में व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित शिकायतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). आकाशवाणी की नेपाली सेवा में रुक रुक कर घोषणा करने वालों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुयीं। इस यूनिट के लिये उपयुक्त एनाउन्सर प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**भारतीय उद्योग मेला**

†*२७. { **श्री कालिका सिंह :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में दिल्ली में लगने वाले दूसरे भारतीय उद्योग मेले का आयोजन सम्भवत: किन तिथियों को होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस मेले में ब्रि`न, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस और भाग लेने वाले अन्य महत्वपूर्ण देशों द्वारा कितना कितना स्थान आरक्षित करवाया गया है ;

(ग) इस दूसरे भारतीय उद्योग मेले की, जिस में अधिक देशों के भाग लेने की और अधिक लोगों के आने की संभावना है, क्या विशेषतायें होंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) दूसरा भारतीय उद्योग मेला मथुरा रोड, नई दिल्ली में प्रदर्शनी-स्थान पर १४ नवम्बर, २६६१ से १ जनवरी, १९६२ तक लगेगा ।

(ख) और (ग). यह मेला भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के तत्वावधान में लगाया जा रहा है । इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि इस में ब्रिटेन, अमरीका, रूस और अन्य देशों का कितना और क्या सहयोग होगा अथवा मेला लगाने वाले उस में क्या विशेषता बतायेंगे ।

**पनीर का उत्पादन**

†*२८. { **श्री प्र० गं० देव :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
**श्री स० अ० मेहदी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पनीर का उत्पादन करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). इस प्रश्न का उत्तर अन्य तिथि पर खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिया जायेगा जो कि इस विषय से सम्बन्धित है ।

**इटारसी में उर्वरक संयंत्र**

†*२९. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
**श्री अ० म० तारिक :**
**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में राज्य सरकार और कुछ गैर-सरकारी लोगों के साथ चल रही बात चीत का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या प्रस्तावित संयंत्र के लिये संसाधनों की उपलब्धता तथा इस की स्थापना के "क्षेत्र" के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). शीघ्र ही एक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

## राष्ट्र मंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन

†*३०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के बारे में प्रधान मंत्री का अन्तिम रूप से निश्चित कार्यक्रम क्या है; और

(ख) वहां जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की सम्भावना है,-क्या उन के बारे में कोई संकेत दिया जा सकता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ) :** (क) अभी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधान मंत्री जी के ५ या ६ मार्च को लन्दन जाने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं, क्योंकि बैठक के अन्त में जारी होने वाली विज्ञप्ति में जो कुछ कहा जाता है, उस के अतिरिक्त राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन की कार्य सूची और विचार विमर्श दोनों ही गोपनीय समझे जाते हैं ।

## नेपाल में भारत विरोधी प्रचार

†*३१. **श्री रामेश्वर टांटियां :**
**श्रीमती इला पाल चौधरी :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री आसर :**
**श्री वाजपेयी :**
**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री मो० ब० ठाकुर :**
**श्री हेम बरुआ**
**डा० क० ब० मेनन :**
**श्री धनगर :**
**श्री बाल्मीकी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि नेपाल के समाचारपत्रों में हमारे देश के **विरुद्ध** गलत प्रचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या नेपाल सरकार से इस बारे में विरोध प्रकट किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) से (ग). नेपाल में १५ दिसम्बर, १९६० को सरकार बदली जाने के बाद नेपाली समाचारपत्रों में कुछ गैर-जिम्मेदाराना भारत-विरोधी प्रचार हुए हैं। नेपाल सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और उन्होंने इस आन्दोलन को रोकने की अपील करने सम्बन्धी दो प्रेस नोट जारी किये हैं। तब से भारत-विरोधी प्रचार ठंडा पड़ गया है ।

**संसदीय कार्यवाही की हिन्दी समीक्षा**

*३२. { **श्री भक्त दर्शन :**
　　　**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में भी संसदीय कार्यवाही की समीक्षा प्रसारित करने का निश्चय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त समीक्षा के कब से प्रसारित किये जाने की आशा है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). संसद की कार्यवाही की समीक्षा अब अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में प्रसारित हो रही है ।

**बेरोजगारों को सहायता**

†*३३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
　　　**श्री रामकृष्ण गुप्त :**
　　　**श्री रामेश्वर टांटिया :**
　　　**श्री अजित सिंह सरहदी :**
　　　**श्री पांगरकर :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारों को सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में निधि स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में अब तक कितनी गति हुई है; और

(ख) इसके कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मामला काफी गम्भीर है, अतः इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया कि कोई ऐसा कोष बनाया जाय जिनसे उन बेकारों की सहायता की जाये जो कि उन संस्थानों के बन्द हो जाने के कारण बेकार हुए हों जहां कि वे काम पर लगे हुए थे । मामला विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

**कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष प्रतिनिधि**

†*३४. **श्री अ० मु० तारिक :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
**श्री सम्पत् :**
**श्री प्र० गं० देव :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
**श्री स० अ० मेहदी :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री सूपकार :**
**श्री वामानी :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगों में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि श्री राजेश्वर दयाल को, जब कि वह बकवांगा में शरणार्थी शिविर का दौरा कर रहे थे, अलग होने वाले कासाई प्रान्त के प्रधान श्री अलबर्ट कालोनजी के सैनिकों द्वारा बन्दूक दिखा कर रोका गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा क्या है ; **और**

(ग) आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारतीय पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कार्यवाही की ग ी है ?

†**वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). भारत सरकार की सूचना में ये समाचार आये हैं कि दिसम्बर १९६० में श्री राजेश्वर दयाल, जो कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेष तिनिधि हैं, कांगो के अलग होने वाले कासाई प्रान्त के उन क्षेत्रों के दौरे पर गये थे जहां कि अकाल पड़ा है। बताया गया है कि अलग होने वाले कासाई प्रान्त के प्रमुख श्री अलब ' कैलोनजी के सिपाहियों ने श्री दयाल को रास्ते में, जब कि वह बकवांगा में शरणार्थी शिविरों का दौरा कर रहे थे, काफी रुकावट डालीं। परन्तु जब उन्होंने श्री कैलोनजी से भेंट कर ली तो बाद में उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी गयी।

(ग) भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिये कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी जाती।

**कुरसिया में अस्पताल**

†*३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
**श्री पांगरकर :**

**क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा कुरसिया में क्षेत्रीय अस्पताल का निर्माण शुरू कराने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) इसके कब शुरू होने की सम्भावना है ; और

(ग) इसका अनुमानित व्यय क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). अस्पताल बनाने की अनुमति ७ अप्रैल, १९६० को प्रदान की गयी थी । सक्षम प्राधिकार द्वारा सके विस्तार से अनुमान तैयार कर लिये गये थे । टैंडर मांगे गये हैं और आशा है कि वे मार्च १९६१ में खोले जायेंगे । टैंडर स्वीकार होने के तुरन्त बाद इमारत बनाने का का **आरम्भ** हो जायेगा ।

(ग) ६,६४,८०० रुपये ।

**पटसन मजूरी बोर्ड**

†*३६. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन मजूरी बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया गया था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उनके अपने अपने संगठनों की सत्यापित सदस्य संख्या के आधार पर ।

**नेपाल के शरणार्थी**

†*३७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल की हाल की राजनैतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप कुल कितने शरणार्थी, राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के, भारत आए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यक्रम तय करने के उद्देश्य से नेपाल से आये राजनैतिक शरणार्थियों का एक सम्मेलन पटना अथवा दार्जिलिंग में आयोजित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को न गतिविधियों की जानकारी है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । नेपाली नागरिक अबाध रूप से पासपोर्ट या पर्मिट के बिना आ सकते हैं, अतः इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ख) नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक २५ और २६ जनवरी को पटना में हुई थी ।

(ग) जी हां ।

**भारतीय राज्य क्षेत्र पर चीनियों के नये अतिक्रमण**

†*३८. **श्री प्र० गं० देव** :
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
**श्री सै० अ० मेहदी** :
**श्री सम्पत्** :
**श्री वी० चं० शर्मा** :
**श्री विद्याचरण शुक्ल** :
**श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्री खुशवक्त राय** :
**श्री पांगरकर** :
**श्री बाल्मीकी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९६० के बाद चीनियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**रायपुर में आकाशवाणी के ट्रांसमीटर**

†*३९. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर में ट्रांसमिटर की स्थापना के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उसकी स्थापना के स्थान, बिजली के संभरण आदि बातों के ब्योरे को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). रायपुर में ट्रांसमीटर लगाने का स्थान चुन लिया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ट्रांसमीटर लगाने के लिए इमारत बनाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने वाला है । ट्रांसमीटर से सम्बन्धित सामान का आर्डर दे दिया गया है और वह शीघ्र ही भारत पहुंचने वाला है ।

(घ) ट्रांसमीटर के १९६१-६२ में चालू हो जाने की आशा है ।

**कपड़े के मूल्य**

†*४०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री रामकृष्ण गुप्त :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री मे० क० कुमारन :**
**श्री ब्रजराज सिंह :**
**श्री वारियर :**
**श्री पुन्नूस :**
**श्री कोडियान :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**
**श्री रामसेवक यादव :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े के मूल्यों में कमी और उन के विनियमन के लिए दिसम्बर, १९६० में हुए करार के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस का किन्हीं मिलों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से अब कीमतों का बढ़ना रुक गया है और दाम कम हो रहे हैं।

जहां मूल्य बहुत बढ़ गये थे वहां अब कीमतों में कमी का काफी लाभ रहा है। छपी हुई कीमतों वाले कपड़े के अधिकाधिक मात्रा में खुदरा बिक्री के लिये उपलब्ध होने के साथ साथ कीमतों पर शनैः शनैः नियंत्रण होता जा रहा है।

(ख) कुछ मिलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिस में कहा गया था कि मोटे और दरम्याने कपड़े की कीमतें कम करने से उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब जब रूई की कीमतें कम हो गई हैं तो मिलों को घाटा होने की कोई संभावना नहीं रही।

**लंका में भारतीय**

†*४१. **श्री रामेश्व रटांटिया :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री हेम बरूआ :**
**श्री कोडियान :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री आसर :**
**श्री रामगरीब :**
**श्री तंगामणि :**
**श्री सुब्बया अम्बलम् :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**
**श्री आचार :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका को प्रधान मंत्री की हमारे देश की यात्रा के दौरान लंका स्थित भारतीयों की समस्या के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†वैदेशिक कार्य मंत्री उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). लंका की प्रधान मंत्री के भारत आगमन पर इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गयी। संक्षेप से मामले का उल्लेख हुआ था और सुझाव दिया गया था कि इस मामले पर बाद में कभी चर्चा की जाय।

### औद्योगिक उत्पादन की लागत

†*४२. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक उत्पादन की अधिक लागत की जांच करने के लिये अध्ययन दल को नि ुक्ति करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उत्पादिता परिषद् द्वारा शीघ्र ही इस मामले को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

### बिहार में खादी का उत्पादन

†१. **श्री वी० चं ० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०-६१ (प्रत्येक महीनेवार) में बिहार में कितनी खादी का उत्पादन हुआ है ; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ के लिये खादी का उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्राप्त सूचना के आधार पर बिहार राज्य में वर्ष १९६०-६१ में निम्न मात्रा में खादी का उत्पादन हुआ है :—

| महीना | उत्पादन (वर्ग गजों में) |
|---|---|
| अप्रैल | ४,७८,४५५ |
| मई | ६,९६,१०९ |
| जून | ६,७१,७६३ |
| जुलाई | ६,५३,३२७ |
| अगस्त | ८,८७,०९७ |
| सितम्बर | ६,७८,६४४ |
| अक्तूबर | ८,३७,९९९ |
| नवम्बर | २८,१०६ |
| दिसम्बर | ६,०४७ |
| योग | ५१,३७,५१७ |

(ख) वर्ष १९६१-६२ के लिये खादी के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

**पंजाब में हथकरघा उद्योग**

†२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से वर्ष १९६०-६१ में हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]** :

**पंजाब में योजना के अधीन खर्च**

†३. **श्री वी० च० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ के लिये पंजाब के खर्चे के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) योजना आयोग ने राज्यों के लिये वर्ष १९६१-६२ के हेतु तृतीय योजना के कुल व्यय का १४ से १५ प्रतिशत निर्धारित किया है ।

(ख) राज्य ने अभी तक विस्तृत ब्यौरा नहीं भेजा है ।

**दिल्ली के कामदिलाऊ दफ्तरों में व्यक्तियों का पजीयन**

†४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्ति ों का (प्रवीण, अर्द्धप्रवीण एवं अप्रवीण) अब तक पंजीयन किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** :

| श्रेणी | *३१-१२-६० की पंजी पुस्तक में प्रार्थियों की लिखित संख्या |
|---|---|
| १ | २ |
| १. प्रवीण और अर्द्धप्रवीण (क्राफ्ट्समैन और उत्पादन कार्यरत कर्मचारी) . . . . . | ५,१६५ |
| २. अप्रवीण . . . . . | १४,६२९ |
| ३. अन्य (देख भाल करने वाले, शिक्षित क्लर्क आदि) | ३९,५८० |
| योग . . . | ५९,३७४ |

*व्यवसायवार जानकारी केवल तीन महीने बाद ही इकट्ठी की जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

## स्थानीय विकास कार्य

†५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० तक स्थानीय विकास कार्य योजना के अधीन पंजाब राज्य को केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) उस राशि में से कितना धन उपयोग किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र):** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ३१ मार्च, १९६० तक स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार को ६४.०८ लाख रुपये दिये गये थे ।

(ख) इस अवधि में पंजाब सरकार ने ४९.९३० लाख रुपयों का उपयोग किया है ।

## टेपीओका के आटे का निर्यात

†६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री मे० क० कुमारन :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेपीओका के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ; और

(ख) टेपीओका के आटे के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) नई किस्मों का लागू करना, खोज कार्य आदि ।

(ख) टेपीओका के आटे के निर्यात को बढ़ाने के लिये अभी हाल में एक प्रेरणावर्द्धक योजना लागू की गई है ।

## केरल और द्वितीय पचवर्षीय योजना

†७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री मे० क० कुमारन :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में केरल राज्य को जो आरम्भ में अनुमानतः ८७ करोड़ रुपये दिये गये थे उस में से उस राज्य ने अब तक कितने रुपये व्यय किये हैं ;

(ख) क्या केरल में योजना व्यय में कोई कमी होगी ; और

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुपयुक्त राशि को तीसरी योजना के दौरान में व्यय करने के लिये दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) तथा (ख) वर्ष १९५८-५९ (सही आंकड़े) वर्ष १९५९-६० (विभागीय सही आंकड़े) और वर्ष १९६०-६१ (आय व्ययक प्राक्कलन के आधार पर राज्य के लिये स्वीकृत कुल व्यय ८७ करोड़ रुपये के स्थान पर ६७८.७६ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

(ग) परियोजनाओं पर अनुपयुक्त व्यय तृतीय योजना के बनाते समय काम में लाया जायेगा ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का संगठन**

†८. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९६१ को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने जोन थे ;

(ख) प्रत्येक जोन में कितने सर्किल थे तथा उन के क्या नाम थे ; और

(ग) १ सितम्बर १९६० के बाद कितने डिवीजन, उपडिवीजन, तथा सैक्शन खोले गये और उन के क्या नाम हैं तथा उन का क्षेत्र क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) तथा (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में खोले जाने वाले जोन, तथा प्रत्येक जोन में सर्किलों की संख्या एवं उन के नाम बताने वाले विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

| केन्द्रीय लोक कर्म विभाग में जोन | जोनों के अधीन सर्किल |
|---|---|
| १ | २ |
| १. जोन १ . . . . | १. प्रथम सर्किल, नई दिल्ली |
| | २. द्वितीय सर्किल, नई दिल्ली |
| | ३. केन्द्रीय सर्किल, नई दिल्ली |
| | ४. निर्माण सर्किल, नई दिल्ली |
| | ५. विद्युत् सर्किल संख्या १, नई दिल्ली |
| | ५. उद्यान-विद्या निदेशालय, नई दिल्ली । |
| २. जोन २ . . . . | १. कलकत्ता सेन्ट्रल सर्किल संख्या १, कलकत्ता |
| | २. कलकत्ता सेन्ट्रल सर्किल संख्या २, कलकत्ता |
| | ३. मद्रास सेन्ट्रल सर्किल, मद्रास |
| | ४. बम्बई सेन्ट्रल सर्किल, बम्बई |
| | ५. विद्युत् सर्किल संख्या २, नई दिल्ली |
| ३. जोन ३ . . . . | १. जवाहर सुरंग सर्किल, श्रीनगर |
| | २. प्रमुख इंजीनियरिंग आफिसर, भूटान सड़क कार्य, पूंतशोलिंग |

| १ | २ |
|---|---|
| | ३. उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण, शिलांग |
| | ४. दिल्ली राज्य सर्किल, नई दिल्ली |
| | ५. सर्किल संख्या ४, नई दिल्ली |
| | ६. तृतीय सर्किल, नई दिल्ली |
| | ७. कलकत्ता सेन्ट्रल सर्किल संख्या ३, कलकत्ता |
| | ८. विद्युत् सर्किल संख्या ३, नई दिल्ली |
| ४. खाद्य शाखा . . . | १. खाद्य भंडार सर्किल, बम्बई |
| | २. खाद्य भंडार सर्किल, कलकत्ता |
| ५. डाक तथा तार शाखा . . | कोई सर्किल नहीं |
| ६. संघ-राज्य-क्षेत्र . . . | कोई सर्किल नहीं । |

### पाकिस्तन से रूई की गांठों का आयात

†९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में भारत ने पाकिस्तान से कितनी रूई की गांठें खरीदी हैं ; और

(ख) किस दर पर उन्हें खरीदा गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३४,००० गांठें ।

(ख) ४०० पौंड की गांठों की दर ४७५ रुपये प्रति गांठ से ५२५ रुपये प्रति गांठ है ।

### छपाई की मशीनें

†१०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में छपाई की कितनी मशीनों का आयात किया गया है ; और

(ख) भारत में प्रतिवर्ष कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) अक्तूबर १९६० तक ६६१ मशीनों का आयात किया गया है उस के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५६ में जो सर्वेक्षण किया गया था उस के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रतिवर्ष २,६०० मशीनों की आवश्यकता है ।

### भारतीयों द्वारा चीन की यात्रा

†११. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने भारतीयों को चीन जाने के लिये पार-पत्र दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : गत तीन महीनों में (नवम्बर १९६० से जनवरी १९६१ तक) एक सौ एकत्तीस (१३१) व्यक्तियों को चीन जाने के लिये अथवा पुराने पारपत्रों का पृष्ठांकन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिसों का प्रशिक्षण**

†१२. { **श्री हेम राज :**
**श्री म० रं० कृष्ण :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिसों को अनिवार्य प्रशिक्षण देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) किन किन औद्योगिक उपक्रमों में प्रशिक्षण के लिये उन्हें स्वीकार किया गया है, प्रत्येक उद्योगों के क्या नाम हैं एवं किन किन राज्यों में उन्हें भेजा गया है ; और

(ग) १९५८ से १९६० के दौरान में कितने अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण के लिये अंगीकार किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) उपयुक्त विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). औद्योगिक उपक्रमों का विवरण जहां कि नौसिखियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

१९५८, १९५९ तथा १९६० के अन्त तक कुल व्यक्तियों की संख्या जो कि प्रशिक्षण ले रहे थे निम्न है :—

| वर्ष | उन व्यक्तियों की संख्या जोकि प्रत्येक वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय नौसिखिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण ले रहे थे |
|---|---|
| १ | २ |
| १९५८ | शून्य |
| १९५९ | ५४६ |
| १९६० . . . . | ९५६ |

**छाते की मूठ बनाने वाले उद्योग**

†१३. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में छाते की मूंठ बनाने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है ;

(ख) त्रिपुरा राज्य में छातों की डंडी के लिये लगभग कितने बांसों की डंडियां एकत्रित की जाती हैं ;

(ग) स्थानीय उद्योग संस्थानों द्वारा उन में से कितनी डंडियां काम में लाई जाती हैं ; और

(घ) इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेडियो सक्रियता**

†**१४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो सक्रियता के उच्च स्तर में १ फरवरी, १९६१ तक कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से जन स्वास्थ्य को कोई भय है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). १ फरवरी १९६१ तक वायु में रेडियोसक्रियता का औसत स्तर १ फरवरी, १९६१ को ०.२ माइक्रोमाईकोरीज वायु का प्रति घन मीटर था । दिल्ली में अक्तूबर मास में जो उच्चतर स्तर ज्ञात किया गया था वह २०.३२ माइक्रो-माइकोरीज वायु का प्रति घन मीटर था और उसकी अपेक्षाकृत यह स्तर बहुत कम है । और निरन्तर फैलाव के लिये अधिकतम संभावित स्तर से यह काफी कम है ।

**उड़ीसा में अम्बर चरखा**

†**१५. श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान अब तक अम्बर चरखे के प्रचार के लिये वर्ष वार कितनी राशि दी गई;

(ख) अभी तक कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) अभी तक कितने केन्द्र खोले गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा राज्य में अम्बर चरखे के प्रचार के लिये वर्षवार दी गयी धनराशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :

| वर्ष | अनुदान | ऋण |
|---|---|---|
| | (रुपये लाखों में) | |
| १९५६–५७ | १.५४ | १.६५ |
| १९५७–५८ | ५.०२ | ५.४९ |
| १९५८–५९ | ६.२९ | १३.५७ |
| १९५९–६० | ५.५५ | ११.१५ |
| १९६०–६१ (३१–१२–६० तक) | ३.८३ | ३.१७ |
| कुल | २२.२३ | ३५.३३ |

(ख) उसी अवधि में अम्बर धागा और कपड़े के उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| वर्ष | अम्बर धागा (लाख पौंड) | अम्बर कपड़ा (लाख वर्ग गज) |
|---|---|---|
| १९५६–५७ | ०.०३ | ०.०७ |
| १९५७–५८ | ०.४९ | १.३५ |
| १९५८–५९ | १.१६ | ३.४० |
| १९५९–६० | ०.८८ | २.२१ |
| १९६०–६१ (३०–९–१९६० तक) | ६.३३ | ०.७९ |
| कुल | ८.८९ | ७.८२ |

(ग) ३१ जनवरी, १९६१ तक उड़ीसा राज्य में ३३ उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं।

## उड़ीसा में आवास योजनायें

†१६. **श्री कुम्भार :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान अब तक मध्य और अल्प आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्षवार कितनी राशि ऋण के रूप में ली गई; और

(ख) अभी तक कितने मकान तैयार हुए ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट१, अनुबन्ध संख्या ४]**

## 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड'

†१७. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में प्रेरणादायक योजनाओं को चालू करने के फलस्वरूप कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) कुल उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि हुई है :

| | |
|---|---|
| १९५७–५८ | ४०२ मशीनें |
| १९५८–५९ | ५५२ ,, |
| १९५९–६० | ७०२ ,, |

†मूल अंग्रेजी में

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कार्यपालक अधिकारी**

†१८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन के लिये अच्छे प्रकार के कार्यपालक अधिकारी तैयार करने के लिये क्या किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके लिये अधिकारियों का कोई चुनाव किया जायेगा और उनके लिये प्रशिक्षण तथा प्रत्यासमर पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा; और

(ग) १९५९ और १९६० के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने कर्मचारियों ने ऐसे पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). प्रश्न में पूछी गई जानकारी बहुत सी परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं, और वह सारी कट्ठी करना कठिन है। यदि माननीय सदस्य किसी एक परियोजना या कुछ परियोजनाओं के बारे में पूछें, तो मैं सहर्ष वह सूचना दे सकूंगा।

**राज्यीय पुरस्कारों के लिये चलचित्रों की प्रविष्टियां**

†१९. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यीय पुरस्कारों के लिये उर्दू के चलचित्रों को अलग से प्रविष्ट नहीं किया जाता, और क्या उनको हिन्दी चलचित्रों के साथ ही सम्मिलित किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि अंग्रेजी अनुसूची में स्थान न पाने वाले, भाषाओं के चलचित्रों की प्रविष्टि अलग से की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क), (ख) और (ग). चलचित्रों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य है उच्च तकनीकी स्तर के और सुरुचिपूर्ण चलचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। राज्यीय पुरस्कारों के लिये वे सभी भारतीय चलचित्र आमंत्रित किये जाते हैं जो पिछले वर्ष भर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणीकृत किये गये हों। उन में भाषा का कोई विचार नहीं किया जाता। प्रादेशिक पुरस्कार प्रत्येक भारतीय भाषा के प्रथम तीन प्रलेख चलचित्रों को दिये जाते हैं। हिन्दी या उर्दू के चलचित्रों में सामान्यतया हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं; हां किसी में एक भाषा के कुछ कम तो किसी में कुछ ज्यादा शब्द रहते हैं। इसीलिये हिन्दी या उर्दू या हिन्दुस्तानी भाषा के चलचित्रों के लिये एक ही पुरस्कार रखा जाता है। चलचित्र की भाषा वही मानी जाती है जो निर्माता द्वारा विवाचन प्रमाणपत्र के लिये दिये गये प्रार्थनापत्र में उल्लिखित की जाती है।

**कई मंजिलों वाली इमारतों का निर्माण**

†२०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये कई मंजिली इमारतों के निर्माण के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये तैयार की जाने वाली इमारतें साधारणतया छः मंजिली होंगी और उन सभी की बनावट में एकरसता न आने देने के लिये और उन को ऊंची नीची बनाने के लिये ऐसी कुछ इमारतों में नौ मंजिली इमारतों की वास्तुकारी विशेषतायें रखी जा सकेंगी। सचिवालयों के पास की खुली जगह (विजय चौक) में कोई भी इमारत नहीं बनाई जायेगी।

## पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चाय पर कर

†२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब पश्चिमी जर्मन सरकार भारतीय चाय पर लगने वाले वर्तमान भारी आन्तरीक करों और शुल्कों को घटाने के लिये तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कमी की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दिल्ली रेस कोर्स क्लब

†२२. **श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दिल्ली रेस कोर्स क्लब' की भूमि को अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग में लेने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, नहीं। अन्य बातों के साथ, दिल्ली की वृहत् योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुकने के बाद ही, इस पर विचार किया जायेगा। वृहत् योजना का प्रारूप स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नगर योजना संगठन ने तैयार कर लिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## जनपथ पर बाजार

†२३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ पर बाजार बनाने की योजना का ब्यौरा अब तैयार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो वह ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) से (ग). इस इमारत में दूकानें, एक 'ऑडिटोरियम' और साथ ही कई विभागों के कार्यालयों के लिये स्थान होगा। सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने अभी तक उनकी योजना में व्यवस्थित स्थान के लिये सहमति नहीं दी है। उनकी सहमति के बाद ही, उन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

### रूस को जूतों का निर्यात

†२४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को तीन लाख जोड़ी जूते निर्यात करने के लिये रूस द्वारा स्वीकृत नमूने भेजने वाली व्यावसायिक संसथाओं के साथ वार्ता पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). १९६१ में जूतों के संभरण के लिये 'मेसर्स रेज़नो एक्सपोर्ट', मास्को से चलने वाली वार्ता के फलस्वरूप, रूस ने २,५७,००० जोड़ी जूतों का आर्डर दे दिया है और तीन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उनको भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बाकी ४३,००० जोड़ी जूतों के लिये, खरीदारों ने सात किस्म के स्त्रियों के जूते चुनें हैं। पर, उन सातों किस्मों के बारे में अभी आर्डर नहीं आये हैं।

### निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के कर्मचारियों का कल्याण

२५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के कर्मचारियों के कल्याण के लिये एक निधि खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये अंशदान की क्या दर निश्चित की गई है; और

(ग) सरकार अपनी ओर से निधि में कितना अंशदान देगी ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय कर्मचारी कल्याण निधि जून १९६० में खोली गई थी।

(ख) अंशदान की दर निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| (१) श्रेणी १ के कर्मचारी | — २ रुपये प्रतिमास |
| (२) श्रेणी २ के कर्मचारी | — १ रुपया प्रतिमास |
| (३) श्रेणी ३ के कर्मचारी | — ५० नये पैसे प्रतिमास |
| (४) श्रेणी ४ के कर्मचारी | — २५ नये पैसे प्रति मास |

(ग) सरकार की ओर से कोई अंशदान नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आकाशवाणी का विस्तार

२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मंत्रालय ने आकाशवाणी के विस्तार के लिये क्या कार्यक्रम बनाया है और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ख) इस पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति दे दी है ;

(घ) यदि नहीं, तो किस मद में कितनी कमी की जाने की सम्भावना है ;

(ङ) किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी के विस्तार के लिये कुछ न कुछ कार्य करने का विचार है; और

(च) इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ५]** विवरण में दिये गए प्रस्ताव, जैसा प्रायः होता है, पहले योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा । प्रत्येक परियोजना पर खर्च होने वाली धन-राशि का ब्योरा तय किया जा रहा है, और यह शीघ्र ही उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

(च) कार्यों का ब्योरा अभी तय किया जा रहा है और यह भी सभा को शीघ्र ही, बजट पर बहस होने से पहले उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

## चीन से खरीदे गये मोटर टायर और ट्यूब

†२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम ने जनवरी, १९६१ के अन्त तक चीन से कुल कितने मोटर टायर और ट्यूब खरीदे ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने शिकायतें की हैं कि वे मोटर टायर और ट्यूब घटिया किस्म के थे और उसके कारण उनको घाटा सहना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) राज्य व्यापार निगम ने जनवरी, १९६१ के अन्त तक चीन से टायरों और ट्यूबों के ६,२९० सैट खरीदे थे।

(ख) न तो हमारे पास और न राज्य व्यापार निगम के पास ही राज्य सरकारों की ओर से ऐसी कोई शिकायत आई है कि उनकी घटिया किस्म के कारण उनको कोई नुकसान हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक

*२८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री पांगरकर :** }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक बनाने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई; और

(ख) स्मारक का निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). प्रांगण के चारों ओर चौहद्दी की दीवार अब तक ८ फीट ऊंची तैयार हो चुकी है। प्रवेश द्वारों के निर्माण का ५० प्रतिशत और पत्थर जड़ने का २५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का प्रथम क्रम सितम्बर, १९६२ तक पूरा होने की आशा है। उसके एक बड़े भाग के पूरे होने के बाद ही, उचित समय पर द्वितीय क्रम के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

## स्कूटरों का निर्माण

†२९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर-निर्माताओं के नाम क्या - क्या हैं और उनको निर्माण-अनुज्ञप्तियां किस-किस वर्ष में दी गई ;

(ख) वे किस-किस किस्म के स्कूटरों का निर्माण कर रहे हैं और उनकी अनुमति प्राप्त क्षमता कितनी है और वे उनमें कितने प्रतिशत भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ग) प्रत्येक निर्माता देशीय पुर्जों के निर्माण के अपने निर्धारित लक्ष्य में कितना आगे या कितना पीछे है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री म ु भाई शाह) : (क) और (ख). स्कूटर-निर्माताओं के नाम, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत उनकी अनुज्ञप्तियों का वर्ष और अन्य विवरण, इस प्रकार है :—

| निर्माता का नाम | अनुज्ञप्ति जारी करने का वर्ष | स्कूटर की किस्म | अनुमति प्राप्त वार्षिक क्षमता | देशीय पुर्जों की प्रतिशत संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १. मेसर्स, ऑटो मोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई | १९५६ | लम्ब्रैटा (१) १५०सी०सी० (२) ४८ सी०सी० | १२,००० | ४५% ४८% . |
| २. मेसर्स बजाज ऑटो (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई | १९५९ | वेस्पा १५० सी०सी० | ६,००० | २०% |
| ३. मेसर्स एन फील्ड इंडिया लिमिटेड, मद्रास | १९६० | रायल एन फील्ड १५० सी०सी० | ६,००० | अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है |

(ग) सभी निर्माता अपने निर्धारित लक्ष्यों के आस-पास ही चल रहे हैं।

## केन्द्रीय निधियों का विनियोजन

†३०. श्री के० प० नायर : क्या योजना मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें केन्द्रीय सरकार की निधियों का (१) प्रथम पंच वर्षीय योजना और (२) दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के उद्योग क्षेत्र में कुल विनियोजन दिखाये गए हों ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

नीचे दी गई तालिका के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध सूचना पर आधारित है और पहली पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों से संबंधित हैं। चूंकि दूसरी पंच वर्षीय

†मूल अंग्रेजी में

योजना अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिये इस अवस्था में समस्त दूसरी योजना अवधि में किया गया वास्तविक विनियोजन बताना संभव नहीं है ।

**विनियोजन की राशि (लाख रुपयों में)**

| राज्य का नाम | पहली योजनावधि | दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्ष |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश . . | ३४९ | ६५ |
| बिहार . . . . . . . | २५८ | ५२४ |
| बम्बई . . | २३८ | २७६ |
| केरल | १०२ | २५* |
| मद्रास . . . . . . . | ७३८ | २२६६ |

* हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स पर किए गए विनियोजन को छोड़ कर जो उस समवाय पर किये गये कुल विनियोजन में सम्मिलित हैं दिल्ली के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

| | | |
|---|---|---|
| मध्य प्रदेश . . | १२३ | १२७०९ |
| मैसूर . . | ७३१ | २५९ |
| उड़ीसा . . . . | ६५४ | १३८७३ |
| पंजाब . . . . . | -- | ९१० |
| उत्तर प्रदेश . . . . | -- | ६६ |
| पश्चिम बंगाल . . . . | १९८८ | १०३५२ |
| दिल्ली . . . . | ३९ | ८९ |
| योग . | ५२२० | ४१४१९ |

**नोट :** उपरोक्त आंकड़ों में राज्य सरकारों को राज्य औद्योगिक उपक्रमों के लिये भारतीय वित्त निगम के माध्यम से प्रदान की गई केन्द्रीय सरकार की निधियां सम्मिलित नहीं हैं । उनमें छोटे पैमाने उद्योगों के लिये दी गई निधियां भी सम्मिलित नहीं हैं ।

### बंगलौर में अस्पताल

†३१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बनाए गए १७० पलंग के अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण का व्यादेश दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग): **बंगलौर** के वर्तमान १०० पलंग के अस्पताल के लिए, जो किराए की इमारत में है, १,६६,४२६ रुपए ५९ नए पैसों की सामग्री खरीद की जा चुकी है तथा काम में लाई जा रही है। वही सामग्री नए अस्पताल के बन जाने पर उसमें काम में लाई जाएगी। राज्य सरकार से नए अस्पताल के लिए आवश्यक अतिरिक्त सामग्री की जानकारी मांगी गई है और सूचना प्रतीक्षित है।

## मेसर्स हापकिन्स एण्ड विलियम्स का खनिज समवाय

†३२. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री मे० क० कुमारन :**
**श्री वारियर :**
**श्री कोडियान :**
**श्री पुन्नूस :**
**श्री कुन्हन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने मेसस हापकिन्स एण्ड विलियम्स के चावरा स्थित खनिज समवाय के पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में केन्द्र को कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) केरल सरकार ने मेसर्स हापकिन एण्ड विलियम्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड के चावरा स्थित कारखाने के काम को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है क्योंकि उसके मुख्य उत्पाद, अर्थात् इल्मेनाइट की बाजार में कोई मांग नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

## मनकों का निर्यात

†३३. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी की पालिश वाले तथा सोने के पानी वाले कांच के खोखले मनकों और ठोस मनकों का देश के बाहर निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां तो किन-किन देशों को;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन चीजों के निर्यात की संभावना पर विचार करेगी; और

(घ) क्या इन मनकों के निर्यात को राजसहायता देने की कोई योजना विचाराधीन है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। उसको एकत्रित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा यदि इन चीजो के पृथक आंकड़े रखे जाते होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कांच के सामान और कांच की चूड़ियों का निर्यात

†३४. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई कांच के सामान या कांच की चूड़ियां भारत के बाहर निर्यात की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में संसार के किन-किन देशों को प्रत्येक वस्तु निर्यात की गई है और उसका मूल्य वर्षवार कितना है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में बनने वाली कांच की चूड़ियाँ और कांच के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६]**

(ग) कांच और कांच के सामान, जिसमें कांच की चूड़ियां भी सम्मिलित हैं, के संबंध में अनेक संवर्धन उपाय किए गए हैं । फिरोजाबाद के उत्पाद भी उसमें आ जाते हैं । उनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :

(१) एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्यात के बदले में कच्ची सामग्री और प्रतिस्थापन के लिए मशीनों के आयात की अनुमति दी जा सकती है ।

(२) निर्यात किए गए कांच तथा कांच के सामान पर आयात शुल्क में २७ रुपए १६ नए पैसे प्रति मीट्रिक टन छूट दी जाती है । प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान इसके अपवाद हैं तथा उनके मामले में दरों का निर्णय गुणदोषों के आधार पर किया जाता है ।

(३) कांच के सामान के कुछ निर्माण केन्द्रों से जहाजों पर लदान के पत्तनों तक रेल द्वारा वहन पर रेलवे भाड़े में कुछ रियायत दी जाती है ।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक संघ

†३५. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस संघ की पुरानी मान्यता के संबंध में क्या निर्णय किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मामला अभी भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**इराक के साथ व्यापार करार**

†३६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक के साथ हाल में हुए व्यापार करार में चाय, इंजीनियरिंग वस्तुओं और अन्य गैर-औद्योगिक चीजों के निर्यात में किसी वृद्धि की कल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार का विचार दोनों देशों के बीच व्यापार में सामान्य वृद्धि करने का है, विशेषकर उपरोक्त चीजों का नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

**सम्बलपुर और कोरापट में रेडियो स्टेशन**

†३७. { **श्री सूपकार** :
　　　**श्री संगण्णा** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या **१५१७** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्बलपुर और कोरापट में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटरों के स्थापना-कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) ये रिलेइंग स्टेशन कब तक चालू हो जायेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) इन दो ट्रान्समीटरों की सम्बलपुर और जैपुर (कोरापट के बजाए) में स्थापना के लिए जगहें चुन ली गई हैं। इन केन्द्रों में विद्युत संभरण और टेलीफोन के उपबन्ध के लिए प्राक्कलन मांगे गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ट्रान्समीटर के लिए इमारत के निर्माण के लिए कदम उठा रहा है ट्रान्समीटर के उपकरण के लिए व्यादेश दिए जा चुके हैं।

(ख) ट्रांसमीटरों के १९६१–६२ के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

**नारियल जटा उद्योग के लिये कलावूर में गवेषणा केन्द्र**

†३८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पी के निकट कलावूर में नारियल जटा के लिए स्थापित गवेषणा केन्द्र में गवेषणा कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अभी तक गवेषणा में क्या सफलतायें मिली हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## जूट मजूरी बोर्ड

†३६. **श्री शि० ला० सक्सेना :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट उद्योग में विभिन्न संघों की प्रामाणिक सदस्यता क्या है, उनके नाम क्या-क्या है तथा वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, या यूनाइटेड कार्मिक संघ कांग्रेस (सुमेन्द्र टैगोर वाली पार्टी) या यूनाइटेड कार्मिक संघ (श्री कान्तन नायर वाली पार्टी) में से किससे संबद्ध हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : ३१ मार्च, १६५६ को चार केन्द्रीय कार्मिक संघ से संबद्ध जूट उद्योग के विभिन्न संघों की संख्या तथा उनकी शक्ति दिखलाने वाला विवरण नीचे दिया जाता है:

| | संघों की संख्या | ३१-३-५६ को प्रमाणित सदस्य संख्या |
|---|---|---|
| भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस | ७ | २७,८५५ |
| अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस | १३ | १३,४२४ |
| हिन्द मजदूर सभा | ४ | ३,२६३ |
| संयुक्त कार्मिक संघ कांग्रेस (सुमेन्द्र टैगोर सेक्शन) | .. | .. |
| (श्रीकान्तन नायर सेक्शन) | १ | १२,७०० |

## उड़ीसा में ग्रामीण गृह निर्माण योजना

†४०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अधीन आने वाले सभी गांवों का निर्माण कर लिया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को कुल कितना रुपया दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा) :** (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान ग्रामीण गृह निर्माण परियोजना के अधीन यद्यपि उन्हें २०० गांव दिये गये थे तथापि उड़ीसा की सरकार ने अब तक २३६ गांव चुने हैं। जनवरी १६६१ के अन्त तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह योजना वास्तविक रूप से १५४ ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही थी । राज्य सरकार को आशा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यह योजना २३६ गांवों में क्रियान्वित कर ली जायेगी । इस स्थिति में किसी गांव को पूरी तरह नये सिरे से बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस योजना के अधीन गांवों को नये सिरे से बनाने का कार्य ८ से १० वर्ष के भीतर किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा की सरकार ने इस योजना के आरम्भ से अक्टूबर १९५७ से १९५९–६० के अन्त तक २०,६७ लाख रुपये (२.८९ लाख रुपये १९५८–५९ में और १७.७८ लाख रुपये १९५९-६०) में की राशि ली है, जब ककि उन्हें कुल २२.५० लाख रुपये की राशि उपलब्ध की गयी थी । इस योजना के अधीन इस राज्य को इस वर्ष १८.३५ लाख रुपये की राशि दी जायेगी ।

### उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य

†४१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६० में उड़ीसा को स्थानीय विकास कार्यों के लिये कुल कितनी राशि प्रदान की गयी ; और

(ख) उक्त वर्षों में राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) स्थानीय विकास कार्यों के लिय उड़ीसा को निम्नलिखित राशियां प्रदान की गयीं :

| वर्ष | (राशियां लाखों में) |
|---|---|
| १९५७–५८ | २२.३४ |
| १९५८–५९ | १५.०० |
| १९५९–६० | ८.१२ |

(ख) राज्य सरकार की सूचनानुसार उपयोग की गयी राशि इस प्रकार हैं :

| वर्ष | (राशियां लाखों रुपयों में) |
|---|---|
| १९५७–५८ | ११.०७७ |
| १९५८–५९ | १२.५६५ |
| १९५९–६० | ७.५२६ |

### उद्योगों का विकास

†४२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना की पूरी अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गयी ; और

(ख) उन उद्योगों के नाम, उनकी रोजगार क्षमता और उनकी स्थिति किस प्रकार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उड़ीसा राज्य को द्वितीय पंच वर्षीय योजना (अर्थात् १९५६–५७ से १९५९–६०) प्रथम चार वर्षों में २७८.३६ लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी। १९६०–६१ में उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने १२५.३१ लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

(ख) (१) खादी (परम्परागत एवं अम्बर)

(२) ग्रामोद्योग

(३) छोटे पैमाने के उद्योग (औद्योगिक बतिस्यों को शामिल कर)

(४) रेशम उद्योग

(५) हस्तकला उद्योग

(६) हथकरघा (शक्ति संचालित करघे शामिल कर) उद्योग

(७) नारियल चटा उद्योग

ये उद्योग समस्त राज्य में फैले हुए हैं।

इन उद्योगों की रोजगार क्षमता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

## दंडकारण्य के भूमिहीन आदिवासी

†४३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री २५ अगस्त, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से दंडकारण्य के भूमिहीन आदिवासियों को और अधिक जमीनें दी जा चुकी हैं ;

(ख) यदि हां तो स्थानीय आदिवासियों को कुल कितनी भूमि दी जा चुकी है ; और

(ख) १ फरवरी, १९६१ तक कुल कितने आदिवासी परिवारों को जमीन प्राप्त हो चुकी है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग).

| | मध्य प्रदेश | उड़ीसा |
|---|---|---|
| | (एकड़ों में) | |
| आदिवासियों को देने के निमित्त राज्य सरकारों को जो जमीनें दी गयीं . . | २०३ | २९४३ |
| राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों को जो जमीनें दी गयीं . | २०३ एकड़ २० परिवारों को | राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गयी। |

†मूल अंग्रेजी में

## त्रिपुरा में विस्थापित कालेज विद्यार्थी

†४४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ पुनर्वास मंत्रालय ने पूर्व क्षेत्रीय विस्थापित कालेज विद्यार्थियों के लिये लगभग ४००,००,००० रुपये मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां तो उसमें से त्रिपुरा के विस्थापित कालेज विद्यार्थियों को कितनी राशि दी गयी है ; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित स्कूल विद्यार्थियों के लिये पृथक से कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) संघ पुनर्वास मंत्रालय ने पूर्वीय क्षेत्र के लिये पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अब तक १५ करोड़ से अधिक रुपये व्यय करने के निमित्त मंजूर किये हैं। इस राशि में ३.६६ करोड़ रुपये कालेज शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये और ११.६७ रुपये प्राथमिक और मध्यम स्तर की सुविधाओं के लिये है ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा के विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

त्रिपुरा के विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये ७८ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। इस राशि का विवरण नीचे दिया जाता है :

**१. कालेज शिक्षा**

पिछ १० वर्षों में त्रिपुरा के ९०० से अधिक विद्यार्थियों को ३.१६ लाख रु० की वृत्तियां मंजूर की गयी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विद्यार्थियों को, जिनकी संख्या २०० के लगभग है, वृत्तियां देने के लिये त्रिपुरा प्रशासन को ५०,००० रु० दिये गये हैं।

रामकृष्ण महाविद्यालय कैलाशहर को, कालेज का विस्तार करने के लिये १.२२ लाख रु० मंजूर किये गये हैं ।

**२. स्कूल शिक्षा**

१९५९-६० के अन्त तक ७४,२१४ बिस्थापित विद्यार्थियों को २४.६३ लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गयी है । २३ माध्यमिक स्कूलों को ११.९९ लाख रुपये की सहायता दी गयी है । १६.६६ लाख रुपये के व्यय से १५,००० विद्यार्थियों के लिये १५० नये प्राइमरी स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गयी है ।

इस मंत्रालय ने, १ जुलाई १९५९ के पूर्व जब कि ये स्कूल त्रिपुरा प्राइमरी स्कूलों में किये जाने वाले आवर्ती व्यय के लिये प्रादेशिक परिषद् को हस्तांतरिक किये गये थे १८.३५ लाख रुपये मंजूर किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### नलदुर्ग में कागज का कारखाना

†४५. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद के नलदुर्ग स्थान में कागज निर्माण कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो इसके विवरण क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### अफगानिस्तान को फिल्मों का निर्यात

†४७. श्री म० बो० ठाकुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त-दिसम्बर १९६० की अवधि के दौरान अफगानिस्तान को होने वाले फिल्मों के निर्यात में, वर्ष १९५९ की उसी अवधि की तुलना में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९ और १९६० में इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). नवम्बर, १९६० के पश्चात् के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अगस्त-नवम्बर, १९६० की अवधि के दौरान ४०२ हजार रुपये के सिनेमाटोग्राफ फिल्मों का निर्मात किया गया जब कि वर्ष १९५९ की इसी अवधि में केवल २०७ हजार रुपये की फिल्मों का निर्यात किया गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### रासायनिक संयंत्र, बलसोर

†४८. श्री रामकृष्ण गुप्तः क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बलसोर के निकट एक रसायनिक संयंत्र बनाने का लाइसेंस एक विदेशी सार्थ को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस देने की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). मैसर्स अतुल प्रोडक्टस, बलसोर को प्रति वर्ष ९,६०० किलोग्राम क्लोरटेट्रासाइक्लीन और २,४०० किलो ग्राम टेट्रासाइक्लीन बनाने का लाइसेंस दिया गया है। यह सार्थ अमरीका की मैसर्स अमेरिकन साइनामाइड कम्पनी की मैसर्स

†मूल अंग्रेजी में

लेडरले लैबोरेटरीज के सहयोग से आयात किये गये कच्चे ओरियोमाइसीन से इन वस्तुओं का उत्पादन करेगी। मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स इस समय भी लेडरले लैबोरेटरीज की ओर से कच्ची ओरियोमाइसीन से चिकित्सा के काम आने वाली ओरियोमाइसीन तथा एक्रोमाइसीन बनाती है और इसको लेडरले लैबोरेटरीज बम्बई को भेज देती है। वहां पर इसको तैयार करके बाजार में भेज दिया जाता है। नई कम्पनी, साइनामाइड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अब इस काम को भी करने लगेगी और इसके निर्माण में भी वृद्धि करेगी।

टेट्रासाइक्लीन तथा क्लोरटेट्रासाइक्लीन बनाने के बारे में मैसर्स अमेरिकन साइनामाइड की विश्व में बड़ी ख्याति है। इसलिये इस योजना के द्वारा निम्न वस्तुओं के निर्माण में सहायता मिलेगी :—

| वस्तु | वार्षिक क्षमता |
|---|---|
| | किलोग्राम |
| १. क्लोरटेट्रासाक्लीन (ओरियोमाइसीन) . . | १,००० |
| २. टेट्रासाइक्लीन (एक्रोमाइसीन) . . . | ९,००० |
| जोड़ . . . | १०,००० |

बिदेशी सहयोग की शर्तें सरकार ने स्वीकृत की हैं जो इस प्रकार हैं:—

अमेरिकन साइनामाइड कम्पनी, न्यूयार्क को, उनकी प्रक्रिया का उपयोग करने के अधिकार के लिये, आवश्यक जानकारी देने के लिये, अन्य प्रविधिक सहायता तथा गवेषणा सहायता देने के लिये, निर्मित औषधि के मूल्य पर ५ प्रतिशत रायल्टी का भुगतान (जिस पर भारतीय कर लगेंगे)। १९५० में मूल समझौता किया गया था और सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी थी। उसके अधीन १० प्रतिशत रायल्टी देना निश्चित किया गया था क्योंकि मैसर्स लेडरले लैबोरेटरीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई प्राथमिक निर्माण कार्य करती थी। अब इसको ५प्रतिशत कर दिया गया है। पहले पहल समझौते की अवधि पांच वर्ष रखी गई है। आयात किये गये यंत्रों का कुल व्यय (२०,३८,०७० रुपये) विदेशी विनियोजन के द्वारा होगा।

संयंत्र के लिये अपेक्षित यंत्रों के आर्डर दे दिये गये हैं और इन आवश्यकताओं का ५६ प्रतिशत जहाजों पर चढ़ाया जा चुका है। १२ प्रतिशत भवन निर्माण पूरा हो चुका है। अपेक्षित इस्पात का ९० प्रतिशत स्थान पर पहुंच चुका है अथवा ढुलाई में है। मुख्य शोधनशाला तथा भवन की नीवें भरी जा चुकी हैं और अन्य असैनिक निर्माण आरम्भ हो चुका है।

## रेशम उद्योग

†४९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेशम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार देने की योजना बनाई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना की एक प्रति सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

## समाचार पत्रों का परिचालन

†५०. **श्री कुन्हन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री समाचार पत्रों के परिचालन के सम्बन्ध में १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में यह विश्वास करने का कारण था कि परिचालन संख्या अधिक-बताई गई थी और मामले जांच के लिये राज्य सरकारों को भेजे गये थे; और

(ख) कितने समाचार पत्रों के परिचालन आंकड़े अधिक बताये गये थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने अभी तक ऐसे २७ मामलों को राज्य सरकार को भेजा है जिन के परिचालन आंकड़े अधिक बताये गये थे ।

(ख) १३ मामलों में राज्य सरकारों ने यह बताया है कि समाचारपत्रों द्वारा बताये गये परिचालन सम्बन्धी आंकड़े अधिक प्रतीत होते हैं । सात मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है बाकी के सात मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों ने बताया है कि समाचार पत्रों के परिचालन आंकड़े ठीक थे ।

## भारतीय व्यापारी

†५१. **श्री ज० ब० सिंह बिष्ट : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने गत व्यापार काल में भारतीय व्यापारियों को माल लदे हुए पशुओं को हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से भारत लाने की अनुमति नहीं दी;

(ख) चीनी अधिकारियों की इस कार्यवाही के कारण भारतीय व्यापारियों को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इनको कुछ सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). सरकार की सूचना के अनुसार, पश्चिमी तिब्बत के स्थानीय अधिकारियों ने पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि यह मालवाही पशु होते हैं । परन्तु भारतीय व्यापारयों ने सरकार अथवा पश्चिमी तिब्बत के भारतीय व्यापार अभिकर्ता को कोई सूचना नहीं भेजी कि उनको हिमाचल प्रदेश के शिपकी दर्रे से माल से लदे हुए पशुओं को भारत में लाने की अनुमति नहीं दी थी । इसीलिये इसकी कोई जांच नहीं की गई कि उनको कितनी हानि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### पहाड़ी जिलों में आकाशवाणी कार्यक्रम

†५२. **श्री ज० ब० सिंह बिष्ट** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी ने एक महीने में कुमायूंनी, गोरखाली और गढ़वाली पर्वतीय भाषाओं में प्रसारण कार्यक्रमों के लिये कितना समय निश्चित किया है;

(ख) अन्य पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, जम्मू में डोगरी और लद्दाख में लद्दाखी भाषाओं के प्रसारण कार्यक्रम के समय से इस में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या कुमायूंनी, गढ़वाली और गोरखाली के प्रसारण समय को बढ़ाने का कोई विचार है क्योंकि ये भाषायें बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग).विभिन्न केन्द्रों से जानकारी मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### नाइजीरिया के लिये डाक्टर और टेक्नीशियन

†५३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर १९६० में नाइजीरिया के लिये डाक्टरों, इंजीनियरों, और टैक्नीशियनों की भर्ती करने के लिये एक दल नाइजीरिया से भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी हां। नवम्बर दिसम्बर, १९६० में एक पूर्वी नाइजीरिया का भरती करने का शिष्ट मंडल नाइजीरिया के लिये डाक्टरों, इंजीनियरों और टैक्नीशियनों की भर्ती करने के लिये भारत आया था ।

(ख) कितने व्यक्ति भरती किए गए हैं इसकी जानकारी हमें इस समय नहीं है ।

### तम्बाकू

†५४. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में भारत से ब्रिटेन में कितनी मात्रा में बिना तैयार किए गए तम्बाकू का निर्यात किया गया है और भारत की तुलना में बिना तैयार किए गए तम्बाकू के निर्यातकों में अमरीका, रोडेशिया और न्यासालैंड की क्या स्थिति है ;

(ख) १९५८, १९५९ तथा १९६० में बिना तैयार किया गया तम्बाकू की भारत में कितनी खपत हुई और इन्हीं वर्षों में कितने प्रकार के तथा कितनी मात्रा में निर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या भारत में सिगरेटों और सिगारों का पर्याप्त मात्रा में आयात होता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इनको भारत में नहीं बनाया जा सकता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अमरीका, कनाडा, रोडेशिया, और न्यासालैंड तथा भारत से १९५९ और १९६० (जनवरी—नवम्बर) में ब्रिटेन को निम्नलिखित मात्रा में बिना तैयार किया गया तम्बाकू निर्यात किया गया है :—

आंकड़े; '००० पौडों में मात्रा

| देश | १९५९ | १९६० (जनवरी-नवम्बर) |
|---|---|---|
| रोडेशिया और न्यासालैंड . . | ८६,८६४ | ९६,३२८ |
| भारत . . . | ३७,३७८ | ४१,८४९ |
| अमरीका . . . | १४०,४२३ | १६१,८२८ |
| कनाडा . . | २९,६६५ | २८,२४० |
| अन्य देश . . . . . | ६,३२९ | ७,१९८ |
| | ३००,६५९ | ३३५,४१३ |

(ख) १९५८—५९, १९५९—६० और १९६०—६१ (अप्रैल-दिसम्बर) में तैयार करने वाले उद्योगों ने बिना तैयार किये गये तम्बाकू की क्रमशः ३१.८५ करोड़ पौंड, ३१.०७५ करोड़ पौंड और २२.५३५ करोड़ पौंड मात्रा का उपयोग किया। इन वर्षों में हुए सिगरेटों, सिगारों, बीड़ियों तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

| वस्तु का नाम | इकाई | १९५८-५९ | १९५९—६० | १९६०—६१ (दिसम्बर तक) |
|---|---|---|---|---|
| १. सिगरेट . . | मिल संख्या | ३०,५९१ | ३२,५९३ | २८,०५८ |
| २. सिगार और चुरुट | मिल संख्या | २५०.५ | २२१.९ | १७०.४ |
| ३. बीड़ी . | मिल पौंड | १५१.५ | १४५.२ | १११.६ |
| ४. सुंघनी . | मिल पौंड | १०.२ | ९.८ | ६.५ |
| ५. हुक्का . . | मिल पौंड | ९४.३ | ९५.६ | ६९.२ |

(ग) और (घ). देश में सिगरेटों तथा सिगारों का आयात करने की अनुमति नहीं है। परन्तु पर्यटकों, बड़े जलपान गृहों तथा राजदूतावासों को थोड़ी मात्रा में इनका आयात करने की अनुमति है। अमरीका से ऊंचे ग्रेड के सिगरेट तम्बाकू का तथा जमाईका और क्यूबा से अच्छी किस्म के तम्बाकू का आयात करने पर प्रतिबन्ध होने के कारण भारत में इतने अच्छे किस्म के सिगरेटों तथा सिगारों का निर्माण नहीं होता है।

†मूल अंग्रेजी में

## समाचार सेवा विभाग[1]

†५५. **श्री कालिका सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार सेवा विभाग ने अपनी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और पहले की अपेक्षा अब इस का व्यापक विस्तार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभी हाल में कौन से नवीन संस्थापन, भाषाएं, समाचार सेवाएं और रिले (प्रेषण) सेवाएं जारी की गई हैं ;

(ग) कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कहां २ नये रिले स्टेशन स्थापित करने का विचार है ;

(घ) समाचार देने की दृष्टि से उनका उपयोग क्या है और वे कहां स्थापित किये जाएंगे ; और

(ङ) पंचायतों में प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम के साथ और लोगों को अपने आप को शिक्षित करने में सहायता देने में समाचार सेवा विभाग किस प्रकार सहयोग दे रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). समाचार सेवा विभाग की कार्रवाइयों का विस्तार करने और कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(१) गुजरात राज्य की स्थापना के साथ अहमदाबाद में एक नवीन प्रादेशिक समाचार इकाई स्थापित की गई थी ।

(२) दो नये समाचार बुलेटिन—एक नेपाली ; और दूसरा इन्डोनेशियाई भाषा में आरंभ किये गये हैं ।

(३) चालू समाचार साधन अर्थात् समाचार अभिकरण अब तक जिन क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं थे, उन क्षेत्रों में अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं जिससे प्रादेशिक और केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों में सुधार हो ।

(ग) तथा (घ). आकाशवाणी जिन स्थानों पर रिले तथा पुनः प्रसारण ट्रांसमिटर लगाने वाला है उन की सूची अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में आज सभा पटल पर रख दी गई है । इन में से अधिकतर ट्रांसमीटर समाचार बुलेटिनों को भी रिले करेंगे ।

(ङ) आकाशवाणी अपने ग्रामीण प्रसारणों के द्वारा विभिन्न विषयों में लोगों को शिक्षा देने में सहायता करता है । समाचार सेवा विभाग देश में होने वाले दिलचस्पी के मामलों के बारे में सूचना प्रदान करता है ।

---

1News Service Division.

†मूल अंग्रेजी में

**कोरापट में शिविर**

†५६. **श्री संगण्णा :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दंडकारण्य परियोजना के कोरापट जिले में सभी शिविर बन्द कर दिये गये हैं और उन में रहने वाले लोगों को स्थायी तौर पर बसा दिया गया है ;

(ख) अब तक कुल कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है ; और

(ग) अभी कितने और परिवारों का पुनर्वास करना शेष है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) दण्डकारण्य में कोई शिविर नहीं है, परन्तु पुनर्वास होने तक बसने वालों के लिये अस्थायी तौर पर रहने के लिये ग्राम्य स्थानों पर केवल कार्य-केन्द्र हैं । कोरापट जिले में सब कार्यकेन्द्र खाली कर दिये गये हैं और बसने वाले लोगों को पुनर्वास के लिये ग्राम्य स्थान पर भेजा गया है ।

(ख) अब तक दण्डकारण्य में ग्राम्य स्थानों पर कुल १७७३ परिवार भेजे गये हैं जिन में से १४५१ परिवारों को फार्म समेत मकानों वाली भूमि आवंटित की गई है और ६५१ परिवारों को कृषि भूमि दी गई है ।

(ग) पुनर्वास के लिये ५२६ परिवारों को अभी ग्राम्य स्थानों पर भेजना है ।

**आंध्र प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना**

†५७. **श्री रामी रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चीनी की सीठी से बनाये जाने वाले अखबारी कागज बनाने वाला कारखाना लगाने के बारे में निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). लोक सभा में २१ दिसम्बर १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । कागज फैक्टरी की स्थापना के बारे में आंध्र सरकार के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

## स्थगन प्रस्ताव

**कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न हुई स्थिति**

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री अ० क० गोपालन, श्री वासुदेवन नायर और श्री पुन्नूस ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । स्थगन-प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य के पांच बैंकों को जो शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी गई उसके फलस्वरूप बैंकों में हिसाब रखने वाले लाखों लोग आर्थिक संकट में पड़ गये हैं । सरकार खातेदारों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रही है, और इसके फलस्वरूप केरल में गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है । शोध-विलम्ब काल की मंजूरी कब दी गई थी ?

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : इसकी मंजूरी अलग-अलग बैंकों को अलग अलग दी गई थी । इसका एक और परिणाम यह निकला है कि सहकारी ऋण बैंकों को भी ऋण देने में सुविधा नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है कि २,००० रुपये से अधिक की राशि उनको किसी ऐसे बैंक में जमा करकी चाहिये, जिसके लिये सरकार अनुमति दे । इसके परिणाम स्वरूप सहकारी ऋण संस्थाओं का काम भी रुक गया है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ऐसी कोई गम्भीर परिस्थिति नहीं है । शोध विलम्ब काल की मंजूरी स्वयं बैंकों के कहने पर दी गई है । बैंक अपनी स्थति दृढ़ बनाना चाहते हैं । शोध विलम्ब काल की मंजूरी देने का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे बैंकों को आपस में या फिर किसी बड़े बैंक के साथ मिला दिया जाये । उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द उनको मिला दिया जायेगा । वास्तव में, उनको मिलाने की व्यवस्का पूरी की जा चुकी है और शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जायेगी । इसलिये यह कहना गलत है कि सारा काम ठप्प हो गया है ।

शोध विलम्ब काल में वेतनों की अपेक्षित राशि या कुल जमा राशि का दस प्रति शत तो अदा करना ही पड़ता है । इसलिये उसके कारण केरल में ऐसी कोई गम्भीर परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मानकीय मंत्री का आशय यह है कि इसके फल-स्वरूप केरल में कोई भी गम्भीर संकट पैदा नहीं हुआ ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : प्रचार के लिये परिस्थिति को गम्भीर बताना एक बात है, और वास्तव में गम्भीर परिस्थिति होना दूसरी बात है । मैं यह नहीं कहता कि इस शोध विलम्ब काल की मंजूरी के कारण किसी भी तरह की कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है । हां, लेकिन कोई बड़ी गम्भीर कठिनाई नहीं पड़ी है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान केरल के वित्त मंकी के एक वक्त य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस वक्तव्य में, उन्होंने कहा था कि शोध विलम्ब काल की मंजूरी के कारण केरल की जनता के लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है । तो क्या केरल के वित्त मंत्री ने केन्द्र के माननीय वित्त मंत्री के साथ इस विषय पर कोई चर्चा की थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं सभा को यह भी बता दूं कि केरल के मुख्य मंत्री और विधान सभा के कुछ सदस्यों ने भी इस आशय का एक संकल्प पारित किया है कि ऐसी परिस्थिति में केरल की रक्षा की जानी चाहिये । केरल के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने इसके सम्बन्ध में वक्तव्य भी दिये हैं । इससे स्पष्ट है कि परिस्थिति काफी गम्भीर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ने केरल के कुछ मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा की थी और उन से पूछा था कि वे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ कठिनाइयां तो हैं, पर यह नहीं कि केरल में कोई आर्थिक संकट जैसी चीज है। उनमें से कोई भी शोध विलम्ब काल की मंजूरी रद्द करने के पक्ष में नहीं था। मैं ने उन से पूछा था कि उनकी राय में मुझे क्या करना चाहिये। वे ऐसा कोई सुझाव नहीं दे सके थे। किसी भी तरह का नया प्रबन्ध करने पर कुछ कठिनाइयां तो सामने आती ही हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि वहां की परिस्थिति गम्भीर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

## कांगो की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा को भली भांति मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से कांगो की परिस्थिति दिन-दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अभी इस मौके पर, मैं उस की ब्यौरेवार तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना साफ है कि इस पूरे दौरान में हम कांगो की बिगड़ती हुई परिस्थिति की ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ और इस से ताल्लुक रखने वाले दूसरे-दूसरे मुल्कों की तवज्जह लगातार दिलाते रहे हैं। हम ने कांगो के हालात सुधारने के लिये कई सुझाव, कई उपाय भी उन के सामने रखे। मैं ने खुद संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने यह एक खास सुझाव रखा था कि कांगो की पार्लमिन्ट की बैठक फिर से बुलाई जाये और वहां की पार्लमिन्ट ही यह तय करे कि कांगो के लिये वह किस ढंग की सरकार चाहती है। मैं ने सुझाव दिया था कि वहां बाहरी देशों की दखलन्दाज़ी रोकी जाये। उस वक्त कांगो में सरकार या अधिकारियों के नाम पर दो ही लोग काम कर रहे थे—एक तो प्रेसीडेण्ट कसावुबु और दूसरे श्री मोबुटू। श्री मोबुटू ने किसी कानूनी या संवैधानिक तरीके से सरकार पर कब्ज़ा नहीं किया था, बल्कि फ़ौजी ताकत के बल पर सरकार को अपने कब्जे में ले लिया था। हां, श्री कसावुबु कुछ कानूनी तरीके से आये थे। उन को भी, श्री लुमुम्बा की तरह, चुना गया था। श्री लुमुम्बा जैसे प्रधान मंत्री चुने गये थे, वैसे ही श्री कसावुबु प्रेसीडेण्ट चुने गये थे। बाद में, उन दोनों की खटपट हो गई और वे एक-दूसरे के खिलाफ कार्यवाही करने लगे। दोनों ही एक-दूसरे को पद से हटाने की कोशिश में थे। तब कांगो की पार्लमिंट की बैठक भी हुई थी, बल्कि वही उस की आखिरी बैठक थी। पार्लमिन्ट ने उन दोनों की बर्खास्तगी को मंजूर नहीं किया और दोनों को अपने-अपने पदों पर रह, प्रेसीडैण्ट और प्रधान मंत्री की अपनी-अपनी हैसियत से काम चलाते रहने के लिये कहा। उस के बाद से पार्लमिन्ट का कहीं नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। और उस के बाद जो चीजें हुईं उन पर कानून का कोई नकाब तक नहीं था। श्री मोबुटू तथाकथित राष्ट्रीय कांगो सेना के बल पर, सरकार पर हावी हो गये।

तब से, श्री मोबुटू की लगातार यही कोशिश रही कि कांगो की पार्लमिन्ट की बैठक ही न हो पाये और श्री लुमुम्बा का असर खत्म हो जाये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्री मोबुटू को रोकने की कुछ कोशिश भी की थी। श्री लुमुम्बा के समर्थकों ने एक हद तक उन को बचाने की कोशिश की। लेकिन श्री मोबुटू की कोशिशें फिर भी जारी रहीं। उस की एक बड़ी लम्बी कहानी है, और मैं अभी उसे नहीं लूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन एक बात है जिसे याद रखना चाहिये । वह यह कि कांगो में पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सब से पहला फ़ैसला यही किया था कि वहां से बेल्जियम की सेना को हट जाना चाहिये । यह पिछले अगस्त के आसपास की बात है । और तब बेल्जियम ने अपनी ज्यादातर फौजें वापस बुला ली थीं । लेकिन कुछ ही दिन बाद उस ने फिर काफी तादाद में अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दीं । संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की दूसरी रिपोर्ट में इस का हवाला दिया गया था । उस रिपोर्ट की कापियां हमारी इस सभा के सदस्यों को भी दी गई थीं । बेल्जियम सरकार ने इस का खण्डन भी किया था । उस का कहना था कि बेल्जियम सरकार की ओर से फौजें नहीं भेजी जा रही थीं, बल्कि कटंगा के अधिकारियों या श्री मोबुटू के अनुरोध पर ही कुछ गैरसरकारी लोग, जाती तौर पर, ऐसा कर रहे थे । उस के बारे में हमारी अपनी राय यह थी कि वे अधिकारी और खास तौर से श्री शोम्बे, असली तौर पर बेल्जियम के सलाहकारों के ही इशारों पर चल रहे हैं । और बाद में हमारी यह राय सही साबित हो चुकी है । असलियत यह थी कि वहां एक बड़ी तादाद में बेल्जियम के अधिकारी गैर-फौजी हल्कों में मौजूद थे और कटंगा सरकार तो पूरी तौर से, और एक हद तक लियोपोल्डविल की सरकार भी, उन के इशारों पर नाच रही थी । और वह सब किया जा रहा था कांगो की आजादी में दखलंदाजी न करने के नाम पर । अजीब सी हालत थी । जो लोग कांगो की आजादी म सब से ज्यादा दखलंदाजी कर रहे थे, वही सब से ज्यादा शोर मचा रहे थे कि दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिये ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की कोशिशें शुरू होने तक, ऐसे ही हालात रहे । लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 'मैन्डेट' या फर्मान जारी किया था, उस में ज्यादा कुछ गुंजायश नहीं थी । उस की व्याख्या ऐसे ही की गई थी । नतीजा यह हुआ कि वे वहां कोई खास असरदार काम नहीं कर पाये । कुछ बड़े शर्मनाक ढंग की चीजें वहां हुईं, इस नाम पर कि संयुक्त राष्ट्र के फर्मान ने उन को कोई भी दखलंदाजी करने की ताकत नहीं दी । इस को ले कर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में आपस में काफी चरा चरा और नाराजगी पैदा हो गई । संयुक्त राष्ट्र के कहने पर फौजें भेजने वाले कई देशों ने कांगो से अपनी फौजें वापस बुलाने का फैसला कर लिया । इसलिये कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को कांगो सम्बन्धी नीति से सहमत नहीं थे । बल्कि उन का कहना था कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई नीति ही नहीं है, उस की नीति हाथ पर हाथ धर कर बैठे-बैठे तमाशा देखने की नीति है । लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ बिलकुल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था । संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगो के लोगों को भोजन जुटाने और उन की देख भाल करने के लिये काफी अच्छा काम किया है । हां, इतना जरूर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक मामलों के बारे में बिलकुल हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा । उस ने कुछ नहीं किया । और जाहिर है उस के अलग बैठे रहने से उन लोगों को पूरी शह मिली जिन्हों ने जबरन् ताकत हथिया ली थी और जो उस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिये कर रहे थे, खास तौर से कटंगा, वगैरह में ।

जब कुछ देशों ने अपनी फौजें वापस बुला लीं, तो वहां एक नया संकट पैदा हो गया । अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सभी फौजें वापस बुला लेता, तो कागो में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता । और उस का लाजिमी नतीजा यही होता कि कांगो में गृह-युद्ध जारी रहता; और इतना ही नहीं, तब बाहर के देश खुल कर मैदान में उतर आते और अपने-अपने पक्षों को, या जिन को वे कांगो में मानते थे उन को एक बड़े पैमाने पर मदद करने की छूट पा जाते । और, वह एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती । संयुक्त राष्ट्र की इज्जत धूल में मिल जाती और फिर वह आगे कभी भी ऐसे हालात में कोई भी कार्यवाही न कर पाता ।

कुछ अर्से पहले, श्री लुमुम्बा लियोपोल्डविल में नजरबन्द थे, और बाद में वहां से भाग भी निकले थे । लेकिन श्री मोबूटू की फौजों ने उन को पकड़ कर फिर जेल में डाल दिया था । अभी कुछ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दिन पहले उन को लियोपोल्डविल के जेलखाने से कटंगा के जेलखाने में पहुंचा दिया गया था । इस का काफी विरोध भी किया गया था, इसलिये कि कटंगा के लोग, बल्कि कहना चाहिये कि श्री शोम्बे, उन के सब से कट्टर दुश्मन थे ।

उसी समय एक कमीशन, जिसे समझौता कमीशन कहा जाता है, भी वहां गया था । कमीशन के सभी सदस्य इस बात पर राजी थे कि कमीशन का सब से पहला काम था—श्री लुमुम्बा से मिल कर वहां किसी तरह का एक समझौता कराना । इसलिये कि कांगो में श्री लुमुम्बा की बड़ी इज्जत थी । श्री लुमुम्बा वहां के लोकप्रिय नेता थे । बात बिलकुल सच है । लेकिन कमीशन को उन से मिलने की इजाजत नहीं दी गई । कमीशन के लोग वहां से लौटने ही वाले थे । अभी चन्द दिन पहले की बात है कि कमीशन के लोगों को श्री शोम्बे ने कहलवा दिया कि वे श्री लुमुम्बा से मुलाकात नहीं कर सकते । और यह भी काफी अहमियत की बात है कि उन को यह सूचना एक बेल्यिजयन अधिकारी, या श्री शोम्बे के एक बेल्जियन सलाहकार ने दी थी ।

उस के हाल ही बाद, खबर आई कि श्री लुमुम्बा जेल से भाग निकले हैं । यह खबर कटंगा के अधिकारियों ने दी थी । शायद ही किसी ने इस पर विश्वास किया होगा । सभी लोगों को डर लगने लगा कि शायद इस तरह श्री लुमुम्बा और उन के सलाहकारों का खातमा किया जाने वाला हो । दो-तीन दिन बाद, वही सच निकला, जिस का लोगों को डर था ।

इस दर्दनाक घटना के कई पहलू हैं । इस में रत्तीभर भी शक नहीं कि श्री लुमुम्बा की हत्या की गई है । कटंगा के अधिकारियों ने उस की जो सफाई दी है वह इतनी अजीबोगरीब, इतनी बेहयाई से भरी हुई है कि उस पर ताज्जुब होता है । कि कुछ लोग इतनी बेहयाई भी बरत सकते हैं । उन्हों ने घुमा फिरा कर ही यह कहा है कि वे श्री लुमुम्बा की हत्या के लिये जिम्मेवार नहीं, लेकिन साथ ही इस बात को जान बूझ कर सीधे-सीधे न कह कर, हर कोशिश की है कि लोग समझें कि हत्या उन्हों ने ही कराई है । बड़ी दिलचस्प सी चीज है कि वे लोग अब इस के बाद भी उस की जांच नहीं करने देना चाहते । वे यह भी नहीं बताते कि हत्या कहां हुई थी और श्री लुम्मुम्बा कहां दफनाये गये गये थे । वे इतना जरूर कहते हैं कि श्री लुमुम्बा दफनाये जरूर गये थे, और जरा देखिये इस की वजह यह बताते हैं कि जिस से उन की हत्या का स्थान कहीं एक तीर्थ स्थान न बन जाये । इस से साफ हो जाता है कि श्री लुमुम्बा के कट्टर से कट्टर दुश्मन भी उन के बारे में यही सोचते हैं । उन को डर है कि कहीं उन की कब्र कांगो की जनता का तीर्थ-स्थान न बन जाये । यह इसीलिये कि श्री लुमुम्बा ने वहां के राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव डाली थी । यह सही है कि यह आन्दोलन कोई गहुत पुराना नहीं है । लेकिन जितना भी है, उस की नीव श्री लुमुम्बा ने ही डाली थी । उन की अपनी व्यक्तिगत कम-जोरियां या नाकामयाबी जो भी हो, लेकिन इस बात में जरा भी शक नहीं कि श्री लुमुम्बा कांगो में अपनी जाति ही नहीं अन्य जातियों के लोगों में भी सब से अधिक लोकप्रिय थे । कांगो में जातियां एक-दूसरे से लड़ती-झगड़ती रहती हैं ; लेकिन श्री लुमुम्बा उन सभी में सब से अधिक लोकप्रिय थे । याद रखने की बात है कि आज से छै साल पहले श्री लुमुम्बा ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी मदद के लिये दावत दी थी । उन के अनुरोध पर ही संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में फौजें भेजी थीं ।

और आज हालात ऐसे हैं कि श्री लुमुम्बा की हत्या कर दी गई है—बड़ी बेरहमी और बर्बरता से, जंगलीपन से । इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की हर बात को काट दिया गया है । उस के हर प्रस्ताव, उस की हर मांग को ठुकरा दिया गया है । हर तरह से उस की और समझौता कमीशन की बेइज्जती की गई है । जाहिर है कि ऐसे हालात देख कर हर शख्स को, हर आदमी को गुस्सा आता

है। इस सब का असर बहुत दूर-दूर तक पड़ेगा और इसके नतायज बड़े गम्भीर होंगे। यह तो आज भी सामने आ रहा है।

जहां तक हमारी अपनी नीति का ताल्लुक़ है, जरूरी तौर पर ऐसे मामलों में हमारी अपनी नीति हमारी अपनी क्षमता, अपनी कुवत अपनी ताकत के मुताबिक हीं होनी चाहिये। हम कांगो में जा कर लड़ तो नहीं सकते। हम ने इस में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई तरह से मदद की है। हम ने अभी वहां अपनी गैर-लड़ाकू फौजें ही भेजी थीं। जरूरत पड़ने पर हम लड़ाकू फौजें भी भेजने को तैयार हैं। लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये ही फौजें भेज सकते हैं अलग से नहीं। और अपनी फ़ौजें हम तभी भेजेंगे जब हमें भरोसा हो कि उन का इस्तेमाल सही ढंग से, कांगो की आजादी के लिये ही किया जायेगा, वहां के कुछ फिरकों को ताकत पहुंचाने के लिये नहीं।

सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात तो यह कि यह दर्दनाक घटना एक ऐसे वक्त, ऐसे मौके पर हुई, जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ और अच्छी नीतियां अपनाने और ज्यादा कारगर कदम उठाने की सोच रहा था। शायद उसी के डर से श्री लुमुम्बा की हत्या इतनी जल्दी कर दी गई है। उनके दुश्मन नहीं चाहते थे कि और अच्छी नीति लागू होने तक श्री लुमुम्बा जिन्दा रहें। सच है कि पहले संयुक्त राष्ट्र संघ कारगर कदम उठाने से हिचक रहा था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को धीरे-धीरे पक्का यकीन होता जा रहा था कि उनको कारगर कदम उठाने ही पड़ेंगे। अमरीका की नई सरकार भी अपनी पुरानी नीति छोड़ कर, कई नई चीजें करने की सोच रही थी। अब कई वह कई ऐसे नये कदम उठाने की सोच रही थी, जिनकी हम सब एक अर्से से मांग कर रहे थे। अमरीका की नई सरकार ने हमारी सभी बातें नहीं मान ली थीं, लेकिन हां, उनमें से कुछ जरूर मान ली थीं।

और उस नयी नीति का एक जरूरी हिस्सा थी—श्री लुमुम्बा की रिहाई। साथ ही कांगो की फिरकावाराना ताकतों पर काबू पाना करना था, उनके हथियार छीनने थे और उसके बाद ही, कांगो की पार्लियामेंट बुलाई जाने वाली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा ही कुछ करता, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक घटना सामने आ गई।

आज सुबह के अखबारों में इसी सिलसिले में कुछ और खबरें आई हैं, और दिन-दिन नये वाकयात, नयी खबरें सामने आती जायेंगी। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे लिये और दूसरे देशों के लिये भी अच्छा यही रहेगा कि हम कुछ दिन ठहरें और देखें कि सुरक्षा परिषद् इस मामले में क्या फैसला करती है, क्या नीति अपनाती है। जहां तक हमारी सरकार की बात है यह सही है कि इन वाकयात से हमें बड़ा धक्का लगा है और पिछले कुछ महीनों की संयुक्त राष्ट्र संघ की कई नीतियों से हम इत्तिफाक नहीं करते, फिर भी हमारा ख्याल है कि कांगो से संयुक्त राष्ट्र संघ की फौजों के हटने से एक मुसीबत आ जायगी, वहां गृह-युद्ध छिड़ जायेगा और बाहरी ताकतें दोनों तरफ से खुल कर दखलन्दाजी करने लगेंगी। दूसरी तरफ यह भी सही है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो में कोई कारगर कदम नहीं उठाता, कसूरवार लोगों को सज़ा देने के लिए तो उसके वहां रहने से कोई फायदा भी नहीं।

ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कांगो से सभी विदेशी फौजें, खास तौर पर बेल्जियम की फौजें हटायी जायें। बल्जियम सरकार की यह बहानेबाजी बड़ी भौंडी और बेमतलब है कि उसने कांगो में फौजें नहीं भेजीं, बल्कि कुछ लोगों ने कटंगा सरकार के कहने पर जाती तौर पर भेजी हैं। कटंगा सरकार है क्या—यह ठीक-ठीक मालूम नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता कि कटंगा सरकार श्री शोम्ब हैं या उनके बल्जियन सलाहकार। इतना साफ है कि समस्या का हल तभी मुमकिन है जब सभी विदेशी फौजें, खास कर बल्जियम की फौजें कांगो से हट जायें।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसलिये हमारी राय है कि कांगो से संयुक्त राष्ट्र संघ को हटना नहीं चाहिये। लेकिन उसके वहां रहने से तभी कोई फायदा है जब वह अपनी पुरानी नीति काफी बदल दे। संयुक्त राष्ट्र को वहां बुनियादी चीजों पर जोर देना चाहिये। श्री लुमुम्बा तो बचारे अब नहीं रहे, पर हां बल्जियम की फौजों को वहां से हटने पर मजबूर किया जाना चाहिये। मैं इस पर जोर देता हूं।

श्री लुमुम्बा की हत्या के अलावा, आज और भी कई ऐसी बातें हैं, जो कांगो के लिये उतनी ही खतरनाक हैं। आज श्री शोम्बे और श्री मोबुटू की फौजें पूरे कांगो में इस पार से उस पार तक अपना नंगा नाच दिखा रही हैं। वे हर तरह के विरोध को बेरहमी और बर्बरियत से कुचल रही हैं। उनकी कमान बेल्जियम अफसरों के हाथ में है; कम से कम श्री शोम्बे की फौजों की तो है ही। सुरक्षा परिषद् का कोई फैसला होने से पहले ही, वे श्री लुमुम्बा के सभी समर्थकों का सफाया कर देना चाहती हैं। शायद इसीलये, एक पूरी योजना बना कर, श्री लुमुम्बा की हत्या की गई है।

हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को ही नहीं, इस मामले से ताल्लुक रखने वाले सभी देशों को अपनी राय बता दी है। हमें गुस्सा है, सदमा पहुंजचा है, लेकिन हम उसकी रौ में बह कर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ जायें। इसलिये हमने अपने-आपको रोक रखा है। आशा है कि सुरक्षा परिषद् इस मामले में कोई ऐसा फैसला करेगी, जिससे कि वह कांगो में कुछ ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सके। इसका साफ मतलब यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो में सिर्फ तमाशाइयों की तरह दूसरे देशों की फौजों को ज्यादती करते हुए देखता न रहे। उसे विदेशी फौजों को कांगो से बाहर निकाल देना चाहिये। उसके लिये अगर जरूरत पड़े, तो हथियारबन्द फौजों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिये। कांगो की फौज कहाने वाली फौज से हथियार रखवा लिये जाने चाहिये, उस पर काबू किया जाना चाहिये।

और इन फौजी कार्यवाही के बाद, हालात पर काबू पाने के बाद, कांगो की पार्लियामेंट की बैठक बुलाई जानी चाहिये जो खुद फैसला करे कि कांगो में किस ढंग की सरकार हो। मकसद यही है कि कांगो की जनता में एकता हो और कांगो की जनता की एकता, उनके देश के सभी हिस्सों की एकता और उनकी आजादी की हिफाजत की जाये। वहां कैसी सरकार बने——इसका फैसला कांगो की जनता द्वारा चुनी गई हुई पार्लियामेंट को ही करना चाहिये। इस काम में संयुक्त राष्ट्र संघ को उनकी मदद करनी चाहिये। जिससे कि उसमें बाहरी दखलन्दाजी न हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी शायद दो हफ्ते पहले हमसे कांगो में लड़ाकू फौजें भेजने के लिये कहा था। अभी तक हमारे गैर-लड़ाकू दस्ते ही वहां गये हैं। हमारे अभी वहां ८०० आदमी हैं, जो अस्पतालों और रसद पहुंचाने वगैरह का काम कर रहे हैं। अब चूंकि कुछ देशों ने अपनी फौजें वापस बुला ली हैं, इसलिये हमसे कुछ और हथियारबन्द फौजें भेजने के लिये कहा गया है। हमने उसके जवाब में, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी राय बता दी है कि वहां कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ का रहना बड़ा जरूरी है, और उसके हटते ही कांगो बड़ी मुसीबत में पड़ जायेगा। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को स्पष्ट बता दिया है कि उसने अब तक जो तरीका अपनाया है उससे हम इत्तिफाक नहीं करते। यहां सभा में भी मैं यह बता चुका हूं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघअपनी नीति और अपना तरीका बदले, तो हम कांगो में लड़ाकू फौजें भेजने को तैयार हैं। अभी भी हमारा यही नजरिया है। इसलिये अब हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद् क्या फैसला करती है। दो-चार दिन में उसका फैसला हो जायेगा। और उसी को देखकर, फिर हम अपनी नीति तय करेंगे।

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह (फीरोजाबाद)** : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। वहां के दस अध्यापकों को विश्वविद्यालय की सीमा में घुसने से अवैधानिक रूप से रोका गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है, इसका पहला कारण यह है कि बनारस विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, दूसरा यह कि यदि माननीय मंत्री ने अपने कर्त्तव्य का पलन नहीं किया है तो उस पर पृथक से चर्चा की जा सकती है। अभी हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में उस अवसर पर चर्चा की जा सकती है। यदि यह मामला सभा के अधीन आता है और माननीय मंत्री इसके लिये उत्तरदायी हैं तो भी सभा के समक्ष इस विषय को रखने के लिये अन्य तरीके अख्तयार किये जा सकते हैं।

†**श्री खुशवक्त राय (खेरी)**: इन अध्यापकों के स्थान में नयी नियुक्तियां की जाने वाली हैं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर २१ तारीख से चर्चा करेंगे तब इस सम्बन्ध में बहुत विलम्ब हो जायेगा।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : विश्वविद्यालय का प्रशासन एक संविधि द्वारा किया जाता है, इसे सवयत्तशासी संस्था नहीं कहा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अत्यन्त खेद की बात है कि देश के एक प्रमुख विद्यालय को इस प्रकार की बातों का शिकार बनना पड़ा है। । मैं सभा को इसके आन्तरिक प्रशासन के मामले में दखल नहीं देने दूंगा। इस सम्बध में जो कुछ भी कहना हो वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा जा सकता है। उस समय सदस्यों को इस बात के लिये पर्याप्त अवसर मिलेगा।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### दिल्ली में भूमिगत पानी के स्तर की स्थिति सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं नई दिल्ली में भूमिगत पानी के स्तर की स्थिति सम्बन्धी तदर्थ समिति की अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६००/६१]**

### समाचार पत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) नियम

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : मैं डा० केसकर की ओर से प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२० में प्रकाशित समाचार-पत्रों (केन्द्रीय) का पंजीयन संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६०१/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण में संशोधन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावशक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३००६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०२/६१]**

## आविष्कार संवर्धन बोर्ड के नियम, विनियम तथा ज्ञापन नारियल जटा बोर्ड का छमाही प्रतिवेदन तथा विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं (१) निम्नलिखि पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । :

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड के नियम, विनियम तथा ज्ञापन ।

(ख) आविष्कार कर्ताओं के लिये जानकारी देने वाली आविष्कार संवर्धन बोर्ड की पुस्तिका ।

(२) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के बारे में छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) साइकिलों, सिलाई मशीनों और औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०५/६१]**

(ख) बिजली के भारी सामान के उद्योग सम्बंधी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०६/६१]**

(ग) बिजली के हलके सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०७/६१]**

(घ) अन्तर्दाह इंजनों, विद्युच्चालित पम्पों, एयर कम्प्रैसरों, पंखों तथा ब्लोअर सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०८/६१]**

(ङ) अलौह धातुओं सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६०९/६१]**

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(च) मशीनी औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१०/६१]**

(छ) भारी रासायनिक पदार्थों (तेजाब तथा उर्वरकों) सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६११/६१]**

(ज) क्षार तथा तत्सम्बन्धी मिले-जुले उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१२/६१]**

(झ) नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१३/६१]**

(ञ) भेषज, रंगों और बीच की वस्तुओं सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१४/६१]**

(ट) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१५/६१]**

(ठ) ऊन उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१६/६१]**

(ड) मोटर तथा सहायक उद्योगों और परिवहन गाड़ी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१७/६१]**

(ढ) अलकोहल और अन्य खमीर उत्पादों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१८/६१]**

(ण) खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६१९/६१]**

(त) कागज गूदा और तत्सम्बन्धी उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६२०/६१]**

(थ) तैल तथा प्लास्टिक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट ।

[श्री मनुभाई शाह]

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६२१/६१]**

(द) चमड़ा, चमड़े का सामान और 'पिकरों' सम्बन्धी विकास परिषद की रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६२२/६१]**

**कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें**

†**योजना, श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: मैं (१) कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजाना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५२२ ।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५४८ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६२३/६१]**

(2) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०९२ की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२६२४/६१]**

**विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियमों में संशोधन**

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

१ (क) दिनांक ८ अक्तूबर १९६० की जी० एस० आर० ११९९ ।

(ख) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४१ ।

(ग) दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३६० ।

(घ) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४०४ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२४८०/६१]**

२ विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास), अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५६६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० ५३।

(ग) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० १०१।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२६२५/६१]**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं १९६०-६१ के लिये बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### बर्मा चीन सीमा सन्धि

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

**"बर्मा चीन सीमा सन्धि के साथ संलग्न मान-चित्र और उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया"**

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे विचार से यह प्रश्न बर्मा और चीन के बीच हुई संधि के साथ संलग्न मानचित्र के सम्बन्ध में है। यह भारत के उस पूर्वोत्त ीय कौन से सम्बन्ध रखता है जोकि बर्मा तक सटा हुआ है और उस से कुछ आगे बढ़ कर चीन को स्पर्श करता है। इस से तीन देश प्रभावित होते हैं। बर्मा और चीन जैसे स्वतंत्र देश अपनी सीमा के सम्बन्ध में जो भी चाहें सन्धि कर सकते हैं। किन्तु जहां इस से हमारे हितों पर प्रभाव पड़ता है वह हमारा मामला बन जाता है।

जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है हमारी सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है। इस का कारण जैसाकि मैं कई बार बता चुका हूं यह है कि वह सीमा, प्राकृतिक सीमाओं द्वारा जो परम्परा, प्रथा और रीति रिवाजों द्वारा मान्य हैं, निश्चित है। हमारी सीमा हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं से आने वाली जलाधाराओं के समानान्तर गयी है जोकि तिब्बत के पठार को भारतीय प्रायःद्वीप से विभाजित करते हैं। पूर्वी सीमा में इस परम्परागत सीमा को १९१४ में भी पुष्ट किया गया। यही सीमा मेकमोहन लाइन के नाम से विख्यात है। जब मेकमोहन लाइन संधि की क्रियान्विति में सर्वेक्षण किये गये तो १९१८ में ही यह ज्ञात हो गया था कि टालू द े के निकट बर्मा भारत की सीमायें मिलती हैं।

भारत और बर्मा की उतरवर्ती सरकारों ने भी इस स्थान को जहां तीन देशों की सीमायें मिलती हैं, मान्यता प्रदान की तथापि इस में गलती से यह स्थान पांच मील दक्षिण में दीफू दर्रे के निकट दिखलाया गया है। १९५७ में भारत सरकार ने इस बात पर गौर किया कि चीन की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सरकार द्वारा किये गये पत्रव्यवहार और प्रकाशित वक्तव्यों से यह आशय प्रगट होता है कि चीन की सरकार तीन देशों की सीमाओं के मिलने का स्थान, टालू दर्रा नहीं अपितु दीफू दर्रा मानती है। हम ने बर्मा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और बर्मा सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और बर्मा की सीमायें दीफू दर्रे के कुछ मील उत्तर में टालू दर्रे के पास मिलती हैं।

बर्मा और चीन के बीच हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों की एक संयुक्त समिति की बैठक हुई और उन्हों ने कुछ सर्वेक्षण किये। यह सावधानी बरतने के लिये कि कहीं इस स्थान के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौता न हो जाय, भारत सरकार ने अगस्त १९६० को बर्मा सरकार को एक अनौपचारिक टिप्पण दिया और उस में पुराने पत्रव्यवहार का निर्देश करते हुए तीन देशों की सीमाओं के सम्मिलन का सही स्थान बतलाया गया जिस से कि ऐसा कोई निर्णय न किया जाये जिस से कि भारत की सीमाओं पर प्रतिघात हो।

बर्मा और चीन के बीच सीमा संधि १ अक्टूबर १९६० को हुई। इस में तीन देशों की सीमाओं के सम्मिलन का कोई निश्चित समन्वय स्थान नहीं बतलाया गया। सन्धि में इस का कहीं भी जिक्र नहीं है।

हमें बर्मा के प्रधान मंत्री से यह सूचना प्राप्त हुई कि चीन की सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि तीनो देशों की सीमायें टालू दर्रे पर मिलती हैं अपितु उन्हों ने इस बात पर जोर दिया कि वे दीफू के निकट मिलती हैं। यह प्रतीत होता है कि बर्मा और चीन के प्रतिनिधि अन्त में इस बात पर सहमत हो गये कि संधि में तीनों देशों की सीमाओं के सम्मिलन के सही स्थान का निर्देश नहीं किया जाय और उन्हों ने यह मामला अस्पष्ट ही रहने दिया।

सभा को ज्ञात होगा कि ५ दिसम्बर १९६० को बर्मा की संसद् के समक्ष दिये गये भाषण में बर्मा के प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया कि तीन देशों के सम्मिलन का वास्तविक स्थान का निश्चय तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का निपटारा न हो जाय, उन्हों ने यह कहा कि बर्मा और चीन की सरकारों को संधि के साथ संलग्न नकशों में त्रिदेशीय सीमा सम्मिलन का स्थान दिखलाना पड़ेगा इस प्रयोजन के लिये दीफू दर्रे को पश्चिमांत पर बर्मा और चीन की सीमा सम्मिलन का स्थान और पूर्वी छोर पर भारत चीन सीमा सम्मिलन का स्थान मान लिया गया है।

प्रधान मंत्री यू नू ने अपने भाषण में आगे यह भी कहा कि यदि भारत और चीन के बीच निश्चित सीमा दीफू दर्रे पर न मिल कर किसी अन्य स्थान पर मिलेगी तो उस निश्चित भौगोलिक स्थान को इस संधि में समाविष्ट करना होगा तथा इस नकशे में भी तदनुसार परिवर्तन करने होंगे। बर्मा सरकार ने यह तर्क दिया कि केवल इस कारण कि दोनों देशों के बीच तीन देशों की सीमाओं को मिलाने के स्थान के सम्बन्ध में सहमति नहीं हो सकी, समझौते पर, जबकि अन्य सभी बातों पर समझौता हो गया था, हस्ताक्षर न करने उचित नहीं थे। अतः जहां तक मानचित्र में दिखलाने का सम्बन्ध है बर्मा सरकार को चीन सरकार की बात मान लेनी पड़ी। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि सही स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। तथापि संधि में इस बात के उल्लेख करते तथा संधि से संलग्न नकशे में सीमा रेखा को जलधाराओं के पांच मील दक्षिण दीफू दर्रे के निकट से प्रारम्भ करने से ७५ वर्ग मील के भारतीय प्रदेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भारत की सरकार ने दिसम्बर १९६० के अन्त में चीन तथा बर्मा की सरकारों को भेजे गये टिप्पणों में तीनों देशों की

सीमाओं की समन्वय भूमि को पुनः स्पष्ट कर दिया और कहा है कि देशों के बीच की पारस्परिक सीमा जोकि हिमालय से आने वाली जलधाराओं के सामान्तर है वह टालू दर्रे से गुजरती है न कि दीफू दर्रे से जैसेकि संधि से संलग्न नकशे में दिखलाया गया है। भारत सरकार इस गलत मानचित्रॉकन को मान्यता नहीं दे सकती है क्योंकि इस से भारत की प्रादेशिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्षेत्र वास्तव में किस के अधिकार में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि वह क्षेत्र नितांत पर्वतीय है। उस क्षेत्र पर इस समय किसी देश का भी अधिकार नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या खतरे को देखते हुए हम ने यह सावधानी बरती है कि वह क्षेत्र हमारे हाथ से न निकल जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह क्षेत्र हमारे प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का एक भाग है। यह स्पष्ट है कि वह क्षेत्र हमारे अधिकार के अन्तर्गत है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या सरकार का ध्यान बर्मा के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि जब भारत सरकार से इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये कहा गया था तो सरकार चुप रही। भारत सरकार ने उस समय चुप रहना क्यों उचित समझा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह बात नहीं समझ सका क्योंकि इस मामले में काफी पत्र व्यवहार हो चुका है। मैं ने स्वयं यू नू से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में चुप रहने की बात किस प्रकार पैदा हुई।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या संधि में हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् भारत सरकार ने अपना विरोध पत्र दिया, क्योंकि यू नू ने अपना वक्तव्य उस के बाद दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अभी अभी आप को तारीखें बतायी हैं। हम निरन्तर इस मामले पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। संधि में हस्ताक्षर होने के चार महीने पूर्व हम ने पुनः इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया था। हम ने इस संधि पर हस्ताक्षर होने के पूर्व तथा पश्चात् भी उन से इस सम्बन्ध में चर्चा की है।

---

## अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि

पत्रकारों की नागालैंड की यात्रा के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में २३ दिसम्बर १९६० को प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि १९ दिसंबर १९६० को एक समय उपद्रवियों ने डा० इम्कोंग्लिरा एओ के मकान पर गोली चलाई जिस से वे कुछ जख्मी हो गये थे। यह सूचना स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दी गयी थी। अग्रेतर जांच करने पर यह पता चला कि डा० एंकोंग्लिबा एओ जख्मी नहीं हुए थे अपितु उन की छोटी पुत्री के हाथ में, एक गोली से छिल जाने के कारण कुछ चोट आई।

अतः प्रश्न के खंड (ङ) का अन्तिम वाक्य संशोधन के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये

उनकी छोटी पुत्री के हाथ में, एक गोली से छिल जाने के कारण, कुछ चोट आई।

---

†मूल अंग्रेजी में

# रेलवे आय-व्ययक (१९६१-६२)

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेलों के १९६१-६२ की प्राप्ति और खर्च का अनुमान सदन में पेश करने के लिए खड़ा हूं ।

## १९५९–६० के लेखे

सब से पहले मैं पिछले वर्ष (१९५९–६०) के लेखों का उल्लेख करूंगा। यातायात से कुल प्राप्ति ४२२.३३ करोड़ रुपये रही जो ४२२.०३ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के बहुत निकट है। साधारण संचालन व्यय २८९.५२ करोड़ रुपये रहा, जब कि खर्च का संशोधित अनुमान २९१.९२ करोड़ रुपये था, अर्थात् संशोधित अनुमान से २.४० करोड़ रुपये कम खर्च हुये। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान, विधि-व्यय और सामान्य राजस्व को भुगतान के बाद, २०.१२ करोड़ रुपये की बचत हुई जब कि इस का संशोधित अनुमान १४.७५ करोड़ रुपये था। बचत की यह रकम विकास निधि में डाल दी गयी। लेकिन वास्तव में बचत केवल लगभग १२ करोड़ रुपये की ही रही क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशो पर अमल करने के फल स्वरूप १९५९–६० से सम्बन्धित लगभग ८.५ करोड़ रुपये का भुगतान १९६०–६१ में किया जा रहा है।

## १९६०–६१ के संशोधित अनुमान

१९५८–५९ के अन्त में यात्री यातायात में वृद्धि का जो झुकाव दिखायी पड़ा था, वह चालू वर्ष में भी कायम रहा। यात्री यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान अब १३०.९७ करोड़ रुपये रक्खा गया है जब कि इसका बजट अनुमान १२५.५० करोड़ रुपये था। यातायात के वर्तमान झुकाव के आधार पर अन्य कोचिंग यातायात की आमदनी में भी लगभग २ करोड़ रुपये और फुटकर में १.३३ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। फुटकर में अधिक आमदनी का अनुमान अधिकतर विभागीय खान-पान व्यवस्था के विस्तार के कारण है। माल यातायात से आमदनी का बजट अनुमान १९५९–६० से ४१ करोड़ रुपये अधिक रखा गया था। लेकिन कई कारणों से, जिनमें जुलाई १९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा आंशिक अखिल भारतीय हड़ताल भी शामिल है, माल यातायात से आमदनी का अनुमान इस समय केवल लगभग २८९.५ करोड़ रुपये लगाया जा रहा है जो १९५९–६० के आंकड़ों से २९ करोड़ रुपये अधिक है। मैं अभी आगे परिचालन के कुछ पहलुओं की ब्योरे वार व्याख्या करूंगा। इस तरह माल यातायात की कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान ४५८ करोड़ रुपये है, जब कि इसका बजट अनुमान ४६४.५० करोड़ रुपये था, अर्थात् संशोधित अनुमान बजट अनुमान से ६.५० करोड़ रुपये कम है। माल यातायात से आमदनी में कमी कुछ हद तक यात्री यातायात और दूसरे मदों में अधिक आमदनी से पूरी हो गयी है।

चालू वर्ष में साधारण संचालन व्यय का बजट अनुमान ३२६.९० करोड़ रुपये था। उसमें लगभग आधा करोड़ रुपये की बचत की आशा है जिसका कारण यह है कि खर्च पर बराबर नियंत्रण रखा गया और यातायात की वास्तविक मात्रा के अनुसार समय समय पर खर्च में सामंजन किया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि खर्च के कुछ मदों में अनिवार्य वृद्धि के होते हुये भी उपरोक्त बचत की आशा है। इस वर्ष कोयले की कीमत दो बार बढ़ी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से

†मूल अंग्रेजी में

भी खर्च बढ़ा है, क्यों कि सरकार ने यह तय किया कि १०–७–१९५९ से ३०–१०–१९५९ तक की अवधि के लिये भी नकद भुगतान किया जाय, जब कि पहले विचार यह था कि यह रकम कर्मचारियों के निर्वाह निधि लेखे में अनुग्रह राशि के रूप में जमा की जायेगी। निर्वाह निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जो भुगतान किया जायेगा उसके कारण भी खर्च बढ़ेगा। इन परिवर्तनों और परिचालन (ईंधन) के मद में खर्च बढ़ जाने के कारण राजस्व लेखे से होने वाले संचालन व्यय के कुछ अनुदानों में अधिक व्यवस्था करने की जरूरत हुई है जिसके लिये पूरक मांग पेश की जा रही है। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, सम्बन्धित पूर्ण अनुदान की तुलना में कुल मिलाकर शुद्ध राजस्व लेखे में बचत की आशा है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान के ४५ करोड़ रुपये और विविध व्यय और सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले अंशदान की रकम में छोटी मोटी कमी-बेशी का लेखा-जोखा कर के, अब १४.३ करोड़ रुपये बचत का अनुमान है जब कि शुरू में इसका बजट अनुमान १८.४३ करोड़ रुपये था। बजट में बचत का जो अनुमान रखा गया था, उसमें कमी का एक मात्र कारण माल यातायात से आमदनी का गिर जाना है।

निर्माण, मशीन और चल स्टाक पर शुद्ध व्यय का संशोधित अनुमान २३७.४८ करोड़ रुपये रखा गया है जो बजट अनुमान से १४.३७ करोड़ रुपये अधिक है। अतिरिक्त व्यवस्था, जो पूरक मांग में शामिल है, उस खर्च के लिये की गयी है जो सब स बाद के अनुमान के अनुसार मिलने वाले सामान और आयोजना से सम्बन्धित कार्यक्रम में परिवर्तन के फल स्वरूप होगा।

## दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में रेलवे के वित्तीय परिणामों का सामान्य विवेचन

चालू वर्ष (१९६०–६१), जो दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का अंतिम वर्ष है—के वित्तीय परिणामों के उपरोक्त पूर्वानुमान के अलावा, मैं आयोजना के आरम्भ से वित्तीय झुकाव की सामान्य समीक्षा करूंगा। पांच वर्षों की इस अवधि में भारतीय रेलों का बहुत अधिक विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप रेलवे पर लगी हुई व्याजदेय पूंजी ९६९ करोड़ रुपये से बढ़ कर १,५५९ करोड़ रुपये हो गयी। टन-मील के हिसाब से पहली आयोजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में ढोये गये माल में लग भग ५० प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहली आयोजना के अंतिम वर्ष में कुल आमदनी ३१६.२९ करोड़ रुपये थी जो दूसरी आयोजना के अन्तिम वर्ष में बढ़कर लागभग ४५८ करोड़ रुपये हो गयी। इस अवधि में रेलवे ने मूल्यह्रास निधि में निर्धारित मात्रा में विनियोग किया और समान्य राजस्व को पूरा लाभांश दिया। इस के बाद इन वर्षों में पूर्णांकों में बचत क्रमशः २० करोड़, १३ करोड़, ९ करोड़ २० करोड़ और १४ करोड़ रुपये रही। बचत की जितनी रकम विकास निधि में डाली गयी, उस से कहीं अधिक रकम उससे निकालनी पड़ी है। इस लिये चालू आयोजना के अन्तिम तीन वर्षों में बाध्य होकर रेलवे को पूंजीगत व्यय के लिये सामान्य राजस्व से कर्ज लेना पड़ा। यह खर्च विकास निधि के मद में डाला जाता है।

१९५६–५७ के बाद आने वाले दो वर्षों में वित्तीय परिणामों में गिरावट आ गयी, चाहे उन्हें कुल आमदनी पर संचालन व्यय के प्रतिशत के रूप में देखा जाय या ब्याज देय पूंजी पर शुद्ध आमदनी के प्रतिशत के रूप में। लेकिन १९५९–६० में उनमें ठोस सुधार हुआ और १९६०–६१ में भी सुधार होने की आशा है, यद्यपि उतना नहीं जितना १९६०–६१ में हुआ था। उपरोक्त झुकाव को समझने के लिये इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि १९५८–५९ आर्थिक गतिविधि के मंद विकास का वर्ष है। इसका प्रभाव रेल-यातायात पर और उसके फलस्वरूप रेलवे की आमदनी पर पड़ा। इसके अलावा

[श्री जगजीवन राम]

कुछ अन्य विचारणीय बातें भी हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि विकास की अवधि में बहुत अधिक पूंजी लगायी जाती है। कुछ काम जिनका खर्च किसी वर्ष के पूंजी लेखे में दिखाया जाता है, समाप्त होने पर भी उस समय तक पर्याप्त रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं होते जब तक कई वर्ष तक वे उपयोग में न लाये जायें। यह बात अधिक तर उन निर्माण कार्यों पर लागू होती है जिन पर वर्ष के अन्त में काम जारी रहता है, लेकिन उन्हे अभी उपयोग में नहीं लाया गया है।

संचालन-व्यय में कुछ ऐसे कारणों से भी वृद्धि हुई है जो रेलवे के काबू से बाहर हैं। कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तों में उत्तरोत्तर सुधार के कारण प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय क्रमशः बढ़ता रहा है। १६५५–५६ में १४७६ रुपये से बढ़कर यह १६५६–६० में १६६० रुपये हो गया और अनुमान है कि १६६०-६१ में बढ़कर १८८० रुपये तक पहुंच जायेगा। केवल इस एक वजह से प्रति यूनिट यातायात का परिचालन व्यय बहुत कुछ बढ़ गया है। कोयले की कीमत भी बराबर बढ़ती रही है। यदि १६५२–५३ के अन्त में १०० को आधार मान लें, तो कोयले की कीमत १६५५–५६ में १०१ से बढ़कर १६५६–६० के अन्त में १३५ और दिसम्बर १६६० में १४१ तक पहुंच गयी। रेलवे के काम में आने वाले दूसरे सामान की कीमत भी बढ़ रही है। यह वृद्धि थोक कीमत की औसत सूचक अंक में परिलक्षित होती है। यदि १६५२–५३ के लिये १०० को आधार मान लें तो थोक कीमत का सूचक १६५५–५६ के ६२·०५ से बढ़कर १६५६–६० में ११७·१ और १६६०–६१ (६ महीने) में १२४·३ तक पहुंच गया। युद्ध से पहले, अर्थात् १६३८–३६ से लेकर अबतक रेल किराये और भाड़े में जो वृद्धि हुई है वह कर्मचारियों के वेतन और रेलवे के काम में आने वाले सामान की कीमत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। जहां १६३८–३६ से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय में २०० प्रतिशत से अधिक और थोक कीमत के सूचक अंकों के अनुसार सामान की कीमत में ३५० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, इन दो दर्शकों में यात्री किराये में औसतन केवल लगभग ७० प्रतिशत वृद्धि और माल भाड़े में लगभग १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण रेलवे में अंशतः रेल और समुद्री रास्ते से कोयला पहुंचाने की वर्तमान व्यवस्था जनता की सहायता के लिये है और इस की वजह से दक्षिण रेलवे का कम से कम २ करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। रेल और समुद्र के खर्चीले रास्ते से जो कोयला आता है उसे रेलवे लेती है और उपलब्ध रेल क्षमता का उपयोग सार्वजनिक यातायात के लिये किया जाता है। इस यातायात में कोयला भी शामिल है जो रेलवे द्वारा अधिक सस्ती दर पर ढोया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से यात्री-किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है और माल-भाड़े में जो वृद्धि हुई है, वह भी परिवाहन की लागत के अनुरूप नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के भाड़े की दर अलाभकर स्तर पर रखी गयी है। इस के अलावा इससे अधिक संख्या में बहुत सी दूसरी वस्तुयें हैं जिनके भाड़े की दर व्यापार की दृष्टि से बहुत कम है। ऐसा उद्योगों के विकास और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिया किया जाता है। कोयले पर प्रति टन मील आमदनी बड़ी और मीटर दोनों लाइनों में ३·३३ नये पैसे आती है। बड़ी लाइन पर भी इस आमदनी से लागत पूरी नहीं होती और मीटर लाइन पर तो यह रकम लागत से कहीं अधिक कम है। बड़ी लाइन पर प्रति टन मील कोयले की लागत लगभग ३·८० नये पैसे और मीटर लाइन पर ५.७६ नय पैसे आती है। माल-भाड़े के वर्तमान दर, विशेषरूप से लम्बे सफर के यातायात के लिय अलाभकर हैं। इनके अलावा इसी तरह के कुछ दूसरे यातायात भी हैं, उसे बड़ी लाइन पर अनाज और नमक और मीटर लाइन पर चीनी, गन्ना, अनाज, तिलहन और कच्ची धातुयें जिनके भाड़े की दर उस लागत से कम है जो उनके ढोने के लिये रेलवे को वहन करनी पड़ती है। कम भाड़े वाले माल, मुख्यतः उद्योगों के लिय कच्चे माल

की एक विशेषता यह है कि उसकी मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेलवे द्वारा सब से अच्छी तरह ढोई जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिये सड़क-परिवहन उपयुक्त हो सकता है, इस बात की आवश्यकता है कि कम भाड़े वाले माल, जो अधिकाधिक रेलवे को ढोने के लिये दिये गये हैं, उनकी ब्योरेवार जांच की जाये और देखा जाये कि इस सम्बन्ध में किस तरह का समंजन होना चाहिये। श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन नीति और समन्वय समिति ने अभी अपनी जांच का पहला दौर समाप्त किया है और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि रेलवे की बचत विकास निधि की आमदनी का एक मात्र साधन है। पिछले तीन वर्षों में जितनी रकम विकास निधि से निकाली गयी है वह बचत की रकम से कहीं अधिक रही है। इस लिये, विकास निधि से होने वाली पूंजीगत व्यय के लिये सामान्य राजस्व से अस्थायी कर्ज़ लिया गया है। १९५७–५८ से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में भी जितनी रकम डाली जाती है उससे कहीं अधिक रकम उसमें से निकाली जाती है। पिछले वर्ष संसद् में बजट पर बहस के समय मैंने बताया था कि बड़े पैमाने पर परिसम्पत्तियों के पुनः स्थापन और विकास की अवधि में इन निधियों में पहले की जमा रकम का निकालना अनिवार्य है।

## रेलवे अभिसमय

माननीय सदस्य जानते हैं कि रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग करने की जो व्यवस्था की गयी थी, वह ३१ मार्च, १९६० तक लागू रही। १ अप्रैल, १९५५ से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि को ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दिया गया ताकि भविष्य में अभिसमय और आयोजना की अवधियां साथ-साथ चलें। रेलवे अभिसमय समिति १९६० की १९६१ से १९६६ तक पांच वर्षों की अवधि से सम्बन्धित सिफारिशें संसद् के पिछले अधिवेशन में स्वीकार कर ली गयीं। इसलिए, मैं यहां केवल उन खास-खास पहलुओं का उल्लेख करूंगा जिनका प्रभाव १९६१ से १९६६ तक की पांच वर्ष की अवधि से सम्बन्धित वित्तीय पूर्वानुमानों पर पड़ता है। १९६१–६२ के बजट अनुमान को समुचित रूप से समझने के लिए इन पहलुओं की जानकारी आवश्यक है। ब्याज देय पूंजी पर सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश की दर ४ प्रतिशत से बढ़ा कर ४·२५ प्रतिशत कर दी जायेगी। लाभांश की दर बढ़ जाने से वर्तमान ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को हर साल लगभग ४ करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। रेलवे राजस्व से मूल्य आरक्षित निधि में वार्षिक विनियोग की रकम भी बढ़ायी जायेगी ताकि पांच वर्षों की अवधि में हर साल इसमें औसतन ७० करोड़ रुपये डाले जायें। १९६१–६२ में इस निधि में ६५ करोड़ रुपये और १९६५–६६ में ७५ करोड़ रुपये का विनियोग होगा। आशा है कि इससे बदलाव का खर्च पूरा हो जायेगा और मूल्यह्रास आरक्षित निधि की स्थिति में भी सुधार होगा, अर्थात् दूसरी आयोजना के अन्त में लगभग १४ करोड़ रुपये से बढ़ कर तीसरी आयोजना के अन्त में इस निधि में लगभग ३४ करोड़ रुपये हो जायेंगे। यह समझा जाता है कि अगले पांच वर्षों में परिसम्पत्तियों के बदलाव पर खर्च का जो मोटा अनुमान लगाया है, उसके लिए यह रकम काफी होगी।

१९४९ और १९५४ की रेलवे अभिसमय समितियों की सिफारिश पर जो दूसरे सिद्धान्त अपनाये गये थे, वे या तो कायम रखे गये हैं या उन पर कुछ और ज़ोर दिया गया है। इनमें सब से महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि विकास निधि के वर्तमान क्षेत्र को कायम रखा जाय। यह भी मान लिया

[श्री जगजीवन राम]

गया है कि जब कभी बचत की रकम इस निधि से होने वाले खर्च के लिए काफी न हो, तो सामान्य राजस्व से अस्थायी कर्ज लिया जाय ।

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार यह भी तय किया गया है कि १ अप्रैल, १९६१ से यात्री कर यात्री किराये में मिला दिया जाय, लेकिन इसके बदले में रेलवे, सामान्य राजस्व को हर साल १२.५ करोड़ रुपये का भुगतान करेगी जो राज्य सरकारों को बांट दिया जायेगा । यह रकम १९५८–६० के दो वर्षों में यात्री कर की सालाना औसत और वसूली के आधार पर निर्धारित की गयी है । यात्री कर सितम्बर, १९५७ में लागू किया गया था । इस परिवर्तन से कर की अलग वसूली और हिसाब रखते की वर्तमान व्यवस्था सरल हो जायेगी और इस तरह इस पर खर्च की बचत होगी ।

## परिवहन की स्थिति

अब मैं रेल परिवहन की स्थिति का उल्लेख करूंगा । चालू वर्ष में अप्रैल, से दिसम्बर, १९६० तक लगभग १०८० लाख टन माल लादा गया जब कि पिछले वर्ष इस अवधि में लगभग १०१० लाख टन माल लादा गया था । इस तरह इस वर्ष ७० लाख टन अधिक माल लादा गया । यातायात के इस रुख और विशेष स्थितियों पर समुचित ध्यान रख कर अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष के अन्त तक लगभग १०० लाख टन अतिरिक्त माल ढोया जायेगा । पिछले वर्ष १४४२ लाख टन माल ढोया गया था जो उसी वर्ष के १४५० लाख टन के अनुमान के बहुत निकट है । १९६०–६१ के बजट में १७० लाख टन अतिरिक्त यातायात का अनुमान लगाया गया था । अब अनुमान है कि यातायात उतना नहीं बढ़ेगा । यातायात में कमी कई कारणों से है जिनमें जुलाई १९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आंशिक हड़ताल भी शामिल है । हड़ताल की वजह से लगभग ३० लाख टन माल का यातायात नहीं हुआ जो आम तौर पर एक हफ्ते में ढोया जाता है । विशेष रूप से बाद के महीनों में देश के विभिन्न भागों में जो व्यापक बाढ़ आयी उसकी वजह से हड़ताल के दिनों की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जुलाई से नवम्बर १९६० तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आयी जिसकी वजह से लाइनों में टूट-फूट हुई । कुछ जगहों पर उसका असामान्य रूप से बहुत बुरा असर पड़ा, जैसे नवम्बर में आंध्र और मद्रास के पूर्वी किनारे पर । कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी बाढ़ आयी जहां प्रायः बाढ़ नहीं आती जैसे कि पंजाब । जुलाई में सौराष्ट्र क्षेत्र में यातायात अस्त-व्यस्त रहा, उसके बाद दक्षिण-पूर्व रेलवे के पूर्वी किनारे की लाइन में; असामान्य रूप से गम्भीर टूट-फूट हुई । विशेष रूप से रोहतक और पंजाब के दूसरे क्षेत्र, राजस्थान और हनुमानगढ़-सूरतगढ़ और हनुमानगढ़-सादूलपुर खण्ड और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण उत्तर रेलवे में लाइनें टूट गयीं । इस बात का ध्यान भी रखना है कि माल का वास्तविक वितरण और यातायात का स्वरूप उस योजना के अनुसार नहीं रहा है जो शुरू में बनायी गयी थी । इसके फलस्वरूप रेलवे पर काम का भार बढ़ गया । कार्य-भार का अनुमान ढोये गये माल की मात्रा की अपेक्षा टन मील के आंकड़ों से लगाना उचित है । इस भार को सफलतापूर्वक निभाया गया है । वास्तव में, इस आधार पर टन मील के हिसाब से १९६०–६१ की प्रारम्भिक योजना की तुलना में रेलवे ने करीब ६ प्रतिशत अधिक काम किया ।

१९५९–६० में रोज बड़ी लाइन के लगभग ५११६ माल डिब्बे लादे गये जब कि पिछले वर्ष रोज ४९७४ माल डिब्बे लादे गये थे, अर्थात् १९५९–६० में २.८५ प्रतिशत अधिक डिब्बे लादे गये। १९५८–५९ में पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में रोज़ ३९५९ माल डिब्बे लादे गये थे ; १९५५९–६० में रोज़ ४०४७ अर्थात् २.२२ प्रतिशत अधिक माल डिब्बे लादे गये। इस्पात कारखानों, दूसरे प्रमुख उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कुछ विशेष उपाय किये गये जिनकी वजह से अप्रैल और दिसम्बर १९६० की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में १० प्रतिशत अधिक कोयला लादा गया। केवल पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में लगभग ९·६ प्रतिशत अधिक कोयला लादा गया।

सामान्य माल और कोयला के दैनिक औसत लदान में क्रमशः वृद्धि हुई है। १९५९–६० में लादे गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या बड़ी लाइन पर १६१३० और मीटर लाइन पर ९५२० थी, जबकि १९५८–५९ में बड़ी और मीटर लाइनों पर यह संख्या क्रमशः १५१५२ और ९०५३ थी। इस प्रकार दोनों लाइनों पर क्रमशः ६·४५ और ५·१६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल और दिसम्बर, १९६० की अवधि में अर्थात् १९६०–६१ के पहले ९ महीनों में, यह संख्या बड़ी लाइन पर १६४६४ और मीटर लाइन पर ९४१४ थी। १९५९–६० की इसी अवधि में यह संख्या क्रमशः १५६४५ और ९०१९ थी। इस प्रकार यातायात में उपरोक्त रुकावटों के होते हुए बड़ी और मीटर लाइनों में क्रमशः ५·२३ और ४·३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन माल डिब्बों की बकाया मांग अभी बहुत अधिक है जिसका कारण यह है कि हड़ताल की वजह से माल का लदान पिछड़ गया और रेल प्रशासन पिछली मांगों को पूरा न कर सके, यद्यपि अन्यथा यह समय यातायात की मंदी का समय होता। हर वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में रेल परिवहन की मांग प्रायः बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त में उद्योग और अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों की गतिविध भी बहुत तेज़ हो गयी है।

पिछले वर्ष की तुलना में, १९५९–६० में बड़ी लाइन से मीटर लाइन में यानान्तरण के काम में कुल ७·८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अप्रैल और दिसम्बर, १९६० की अवधि में रोज़ लगभग १३७४ माल डिब्बे यानान्तरित किये गये। पिछले वर्ष इस अवधि में १२९५ माल डिब्बे यानान्तरित किये गये थे, अर्थात् इस वर्ष यानान्तरण के काम में ६ प्रतिशत वृद्धि हुई। साबरमती और वीरमगाम से यातायात बिना किसी रुकावट के होता रहा। अप्रैल और दिसम्बर, १९६० के बीच वीरमगाम में बड़ी लाइन के लगभग १३६ माल डिब्बे रोज़ यानान्तरित किये गये, पिछले वर्ष इस अवधि में यहां १२१ माल डिब्बे यानान्तरित किये गये थे। चालू वर्ष में दिसम्बर तक घोरपुरी में पिछले वर्ष के ७८ की तुलना में रोज़ बड़ी लाइन के ९४ माल डिब्बे यानान्तरित किये गये। राजेन्द्र पुल खुल जाने के बाद गड़हरा एक प्रमुख यानान्तरण केन्द्र बन गया है। यहां भी यानान्तरण का काम सन्तोष-जनक रहा। अप्रैल और दिसम्बर, १९६० के बीच यहां बड़ी लाइन के लगभग २०७ माल डिब्बे रोज़ यानान्तरित किये गये। पिछले वर्ष इस अवधि में १२७ माल डिब्बे यानान्तरित किये गये थे।

प्रमुख जंकशनों के रास्ते यातायात का स्तर संतोषजनक रहा। चालू वर्ष में कुछ रुकावटों के बावजूद मोगलसराय के रास्ते यातायात पिछले वर्ष के स्तर पर रहा।

बड़ी लाइन पर प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा मील १९५८–५९ में ४५.६ मील से बढ़ कर १९५९–६० में ४७.६ मील हो गया। १९५९–६० में बड़ी लाइन पर प्रति माल डिब्बा दिन भाड़ा टन मील ५९३ था जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ५७३ थी। मीटर लाइन पर भी इन दोनों आंकड़ों में सुधार हुआ है; प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा मील के आंकड़े १९५८–५९

[श्री जगजीवन राम]

**में २८.८ से बढ़ कर १९५९–६० में ३०.३ हो गये और प्रति माल डिब्बा दिन भाड़ा टन मील के आंकड़े १९५८–५९ में २११ से बढ़ कर १९५९–६० में २३० हो गये।**

कुल मिला कर माल गाड़ियों की औसत चाल में भी सुधार हुआ है। १९५८–५९ में बड़ी और मीटर लाइनों पर माल गाड़ियोंकी औसत चाल क्रमशः ९·४२ और ८·०७ थी। १९५९–६० में बढ़ कर यह क्रमशः १० और ८·४९ हो गयी। इस तरह बड़ी लाइन में ६·१६ प्रतिशत और मीटर लाइन में ५·२० प्रतिशत सुधार हुआ। चालू वर्ष के पहले ८ महीनों में माल गाड़ियों की औसत चाल में और भी सुधार हुआ है। इस अवधि में दोनों लाइनों पर माल गाड़ियों की औसत चाल क्रमशः १० और ८.६२ थी जब कि १९५९–६० की इस अवधि में औसत चाल क्रमशः ९·८८ और ८·२६ थी।

परिवहन में यह सुधार कई विशेष उपायों के कारण संभव हुआ है जो इस प्रकार है: सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया; महत्वपूर्ण जंकशनों और कठिन रास्तों पर बराबर निगरानी रखी गयी और बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए, जहां कहीं जरूरत हुई, लाइन की क्षमता बढ़ायी गयी। जिन माल डिब्बों से थोड़ा भी काम लिया जा सकता है, उनमें जरूरी मरम्मत करके और कई महीनों तक उनका सामयिक ओवर हाल रोक कर भी रेल प्रशासनों से ऐसे हर माल डिब्बे का इस्तेमाल किया। माल डिब्बों की गतिविधि बढ़ाने के लिए उन पर निगरानी का काम तेज कर दिया गया है। सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अधिक संख्या में तेज़ और एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलायी गयी हैं। परिचालन कुशलता और खास तौर पर चल स्टाक के उपयोग में भारतीय रेलों की तुलना संसार की प्रमुख रेल प्रणालियों से की जा सकती है।

परिचालन के सम्बन्ध में रेलवे के काम और उसके खर्च की एक विशद समीक्षा बजट साहित्य के साथ इस वर्ष भी माननीय सदस्यों को दी जा रही है जिसमें पिछले वर्ष की समीक्षा में दिये गये विवरणों के अतिरिक्त कुछ नयी बातों का भी समावेश किया गया है।

## रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की समीक्षा

यह उपयुक्त होगा कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के सम्बन्ध में जितना काम हुआ है, यहां उसकी संक्षिप्त समीक्षा की जाय।

यह एक तथ्य है——यद्यपि कभी-कभी लोग इससे तुरन्त सहमत नहीं होते——कि रेलवे आयोजना और इसकी प्रगति का सम्बन्ध उद्योगों के विकास से है। पहली पंचवर्षीय आयोजना की तरह दूसरी आयोजना में भी रेल परिसम्पत्तियों के बदलाव की व्यवस्था की गयी। बदलाव का काम दस वर्ष से अधिक समय से बाकी पड़ा था। इसके अलावा यात्री यातायात में आयोजना अवधि के अन्त तक १५ प्रतिशत वृद्धि और कोयला, इस्पात और सीमेंट तीन बुनियादी उद्योगों के यातायात में निश्चित वृद्धि और विविध माल यातायात में कुछ थोड़ी वृद्धि की भी व्यवस्था की गयी थी।

दूसरी आयोजना में १५ प्रतिशत वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था, यात्री यातायात में उससे अधिक वृद्धि की सम्भावना है। इसमें लगभग २५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

१९५६ में आयोजना बनाते समय यह महसूस किया गया था कि उपलब्ध साधनों के आधार पर रेलवे के लिए माल यातायात का लक्ष्य केवल १६२० लाख टन हो सकता है बशर्ते कि प्रमुख वर्गों के माल का यातायात एक निश्चित दूरी के अनुसार हो। विशेष रूप से इस्पात उद्योग के

लिए यातायात का अनुमान कोयला, कच्ची धातु, चूना, डोलोमाइट आदि कच्चे माल के स्तर प्रति-स्तर संचलन के आधार पर लगाया गया था ; लेकिन वास्तव में माल का वितरण और यातायात का स्वरूप आयोजना के अनुरूप नहीं है। अनुमान है कि इस्पात कारखानों के लिए अब रेलवे लगभग १३५ लाख टन कम माल ढोयेगी जिससे प्रारम्भिक आयोजना की तुलना में टन मील के आंकड़े २०,०० लाख कम होंगे। लेकिन अनुमान है कि इस्पात कारखानों को छोड़ कर दूसरे उपयोग-कर्ताओं के लिए रेलवे ४० लाख टन अतिरिक्त कोयला ढोयेगी जिससे टन मील के आंकड़े ४०,००० लाख बढ़ेंगे। इसलिए, माल यातायात में ६५ लाख टन की कमी के बावजूद, केवल इन दो कोटियों में टन मील के आंकड़ों में लगभग २०,००० लाख की वृद्धि होगी। सीमेंट और विविध माल लगभग १५ लाख टन अधिक ढोये जायेंगे जिससे टन मील के आंकड़े लगभग १०,००० लाख बढ़ेंगे।

इसका निष्कष यह निकला कि भाड़ा टन-मील के आंकड़े, जो परिवहन-कार्य के मान्य और यथार्थ सूचक हैं, दूसरी आयोजना के शुरू में ३६,०००० लाख से बढ़ कर उसके अन्त में ५४,०००० लाख हो जायेंग। यह लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि है, यद्यपि कुल माल यातायात के हिसाब से रेलवे, आयोजना में १६२० लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से ८० लाख टन कम माल ढोयेगी। माल यातायात में कमी ऊपर बताये गये कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो रेलवे के काबू से बाहर थे। टन मील में ५० प्रतिशत की वृद्धि को माल डिब्बों की संख्या और इंजनों की कर्षण शक्ति को क्रमशः लगभग २६ प्रतिशत और २६ प्रतिशत बढ़ा कर सम्हाला गया है। इससे रेलवे की बढ़ती हुई परिवहन क्षमता का आभास होता है।

दूसरी आयोजना में रेलवे के लिए १,१२१·५ करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई थी जिसमें रेलवे बिजली-योजना के सम्बन्ध में डाक-तार और बिजली सप्लाई अधिकारियों को देने के लिए १५ करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। आयोजना के पहले चार वर्षों में रेलवे ने लगभग ८५५ करोड़ रुपये खर्च किये जो आयोजना में निर्धारित कुल रकम का ७६ प्रतिशत है। अनुमान है कि चालू वर्ष के अन्त तक प्रायः कुल बाकी रकम भी खर्च हो जायेगी। दूसरी आयोजना में विदेशी मुद्रा-विनिमय का कुल खर्च लगभग ३३२ करोड़ रुपया होगा। शुरू में इसके लिए ४२५ करोड़ की व्यवस्था की गयी थी जिसे बाद में संशोधित करके ३८५ करोड़ रुपये किया गया। विदेशी मुद्रा विनिमय में बचत बहुत कुछ भारत में रेल उपस्करों के निर्माण की प्रगति के कारण है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के स्थूल लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में रेलवे को आयोजना में निर्धारित व्यवस्था के अन्दर श्रम और सामान की बढ़ी हुयी लागत का भुगतान करना पड़ा। साथ ही यातायात के बदलते हुए स्वरूप के अनुसार समंजन भी करना पड़ा। आम तौर पर रेलवे, यातायात सम्बन्धी आवश्यकाताओं को पूरा करती रही है। आयोजना के लिए साधन जुटाने की दिशा में रेलवे ने महत्वपूर्ण योग दिया है। राजस्व खाते में से होने वाले चालू लाइन के काम और मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि से होने वाले काम के लिए रेलवे कुल लगभग ४८० करोड़ रुपय खर्च करेगी।

दूसरी आयोजना में ८०० मील नयी लाइनों के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो जायेगा। ये लाइनें मुख्य रूप से इस्पात और कोयला उद्योग और रेलवे के परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए हैं। उद्योग और खान क्षेत्रों के लिए जो प्रमुख नयी लाइनें बनायी गयीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: चन्द्रपुरा–पुरी–रांची लाइन, बोंडामुंडा-डुमरो लाइन और बराबिल–पाम्पोश गोर्ज लाइन। इन लाइनों की कुल लम्बाई १३२ मील है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में जो दो अन्य नयी लाइनें (रांची-हटिया लाइन और बोरीदण्ड–करंजी लाइन) बनायी जा रही है, उन पर काम पूरा होने वाला है। हटिया और नवगांव के बीच लाइन बनाने का काम जारी है। इस लाइन

[श्री जगजीवन राम]

के बन जाने से रांची के रास्ते बोकारो क्षेत्र और राउरकेला के बीच रेल यातायात होने लगेगा। १८७ मील लम्बी खंडवा-हिंगोली लाइन इस योजना की एक प्रमुख सफलता है। यह लाइन अभी कुछ समय पहले खोली गयी है। इससे उत्तर और दक्षिण की मीटर लाइन प्रणालियां मिल जाती हैं।

दूसरी आयोजना में जो नयी लाइनें बनायी जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :—बोंडामुंडा-नवगांव—पुरानपानी, बारासात—हसनाबाद, बख्तियारपुर—राजगिर, राबर्ट्सगंज—गढ़वा रोड, गाज़ियाबाद—तुग़लकाबाद (जिसमें यमुना पर दूसरा पुल बनाने का काम भी शामिल है), रंगपाड़ा—नार्थ-लखीमपुर, कोरिया कोयला क्षेत्र के लिए साईडिंग, चम्पा-कोरबा विस्तार, सम्बलपुर-टिटिलागढ़ और बिमलगढ़—किरीबुरू। इन लाइनों की कुल लम्बाई ४७८ मील है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के सम्बन्ध में भी कुछ लाइनों पर प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू की गयी है। इन लाइनों के नाम इस प्रकार हैं : हटिया—नवागांव, बैलाडिल्ला—कोट्टलासा, माधोपुर—कठुआ और उदयपुर—हिम्मतनगर। इन लाइनों की लम्बाई ५४० मील है। दिवा—पानवेल—उरन, गुना—शाहजापुर—मक्सी, दिल्ली परिहार लाइन और रिंग रेलवे, हिन्दूमल कोट—श्रीगंगानगर और झुण्ड—कांडला लाइनों का अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वे किया जा रहा है।

सिलीगुड़ी तक एक अखिल भारतीय बड़ी लाइन बन कर जल्द तैयार हो जायेगी। यह लाइन तिलडांगा-फरक्का के रास्ते बनायी जा रही है। खुजुरिया में फेरी सर्विस होगी और आगे माल्दा होकर यह लाइन सिलीगुड़ी से मिल जायेगी। इसके लिए कुमेदपुर—बारसोई और कटिहार-सिंहाबाद खंडों पर ८७ मील मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। देश के एक दूसरे भाग में गुडिवाडा-भीमावरम और विजयवाड़ा-मचिलीपट्टणम् मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और गुण्टूर और ताडेपल्ली के बीच १६ मील लम्बी बड़ी लाइन बनाने के काम की प्रगति अच्छी है।

माधोपुर-कठुआ लाइन को बढ़ा कर जम्मू तक ले जाने के सम्बन्ध में यातायात की संभावना निर्धारित करने के लिए प्रारम्भिक जांच की जा रही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र को राबर्ट्सगंज-गढ़वा रोड लाइन से मिलाने के लिए एक लाइन का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वे भी शुरू किया गया है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में नयी लाइनों का सर्वे १९६१—६२ में किया जायेगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि बिमलगढ़-किरीबुरू, संबलपुर-टिटिलागढ़ और बेलाडिल्ला-कोटविलासा लाइनें विशाखापट्टणम बन्दरगाह से जापान को कच्चा लोहा भेजने के लिए बनायी जा रही हैं। इनमें से तीसरी लाइन (३०९ मील) वास्तव में तीसरी आयोजना में रखी गयी है, लेकिन इस पर निर्धारित समय से पहले काम शुरू कर दिया गया है। ये लाइनें एक निश्चित समय के अन्दर तैयार करनी हैं। यह काम शीघ्र पूरा करना है और तकनीकी दृष्टि से जटिल है। जिस इलाके में ये लाइनें बनायी जा रही हैं, वह अत्यन्त बीहड़ इलाका है। इसलिए, इस काम को एक जनरल मैनेजर के अधीन एक अलग प्रशासन के जिम्मे कर दिया गया है।

८०० मील से अधिक रेलवे लाइन पर दोहरी पटरी बिछाने का काम पूरा होने की आशा है और अन्य ५०० मील लम्बी लाइनों पर दोहरी पटरी बिछाने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। इस्पात कारखानों और कोयला क्षेत्रों के काम के लिए कई नये यार्ड चालू किये गये हैं जिनमें लगभग २०० मील लम्बी लाइन बनायी गयी है। विभिन्न खण्डों की लाइन क्षमता बढ़ाने का काम पूरा हो गया है।

कुल १,४०० मील से अधिक लाइन पर बिजली गाड़ी चलाने का कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें से पूर्वी क्षेत्र में लगभग ५०० मील लाइन पर बिजली लगाने का काम दूसरी आयोजना में बहुत कुछ पूरा हो जायेगा। बिजली उन लाइनों पर लगायी जा रही है जो कोयला और इस्पात क्षेत्रों से गुज़रती हैं। राजखरसवां-डांगोवापोसी और आसनसोल-गोमो खण्ड पर बिजली गाड़ियां चल रही हैं। दुर्गापुर-आसनसोल, गोमोगया और आसनसाल-सिनी टाटानगर-राउरकेला खंडों पर क्रमशः जून, १९६१ तक बिजली गाड़ी चलने की संभावना है। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि बिजली योजना के सम्बन्ध में डाक-तार और बिजली सप्लाई अधिकारियों द्वारा जो पूरक काम किये जाने हैं, वे उस समय तक पूरे हो जायेंगे। गया-मोगलसराय और टाटानगर-खड़गपुर खण्डों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में भी काम हो रहा है।

बाकी खण्डों पर काम की प्रगति इस प्रकार है: सियालदह-रानाघाट, दमदम-बानगांव, और सियालदह साउथ सेक्शनों पर सिविल इंजीनियरिंग के काम जारी हैं। सियालदह-रानाघाट और दमदम-बानगांव लाइनों पर बिजली लाइन के तार लगाने के लिए टेन्डर भी मंगाये गये हैं। इगतपुरी-भुसावल खण्ड पर सिविल इंजीनियरिंग सर्वे पूरा हो चुका है। मद्रास-ताम्बरम-बिल्लुपुरम खण्ड पर भी काम तेज़ कर दिया गया है क्योंकि अब यह तय किया गया है कि इस खण्ड पर २५ के० बी० ए० सी० प्रणाली के आधार पर बिजली लगायी जाय। इस सम्बन्ध में तकनीकी ब्योरा अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि गंगा और गण्डक पर पुल बनाये जा चुके हैं। गंगा पुल तो निर्धारित समयरेंसे पहले बन कर तैयार हो गया। इन पुलों के बन जाने से तीन नदियों के आर पार संचार-व्यवस्था में सुविधा हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इस पुल के बन जाने से आसाम क्षेत्र में और देश के दूसरे भागों से आसाम के साथ संचार-व्यवस्था सुधर जायेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह पुल १९६२ में बन कर तैयार होने की संभावना है।

दूसरी आयोजना में लगभग ८००० मील रेल पथ के नवीकरण का कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम में थोड़ी कमी हो सकती है। देरी खासतौर पर रेल पथ के देशी सामान मिलने की कठिनाइयों के कारण हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से पटरी मंगानी पड़ी जिसमें अधिक समय लग गया।

चल-स्टाक में २१०० नये इंजन, लगभग ८५०० सवारी डिब्बे और लगभग एक लाख माल डिब्बे और बढ़ाये गये हैं। आयोजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उससे लगभग ८००० माल डिब्बों की कमी होगी। यह कमी बाहर से उपयुक्त किस्म के इस्पात मंगाने की कठिनाइयों के कारण है। इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। कुछ दूसरे उपायों से माल डिब्बों की उपलब्धि बढ़ायी गयी है और परिवहन का लक्ष्य बहुत कुछ कायम रखा गया है।

दूसरी आयोजना में रेलवे के काम की समीक्षा को समाप्त करने से पहले, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, कि रेलवे एक साथ दो पार्ट अदा करती है: एक लोकोपयोगी व्यवस्था के रूप में और दूसरे वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में। इस बात को मैंने अक्सर कहा है। लोकोपयोगी व्यवस्था के रूप में रेलवे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरोतर अधिक और ठोस काम कर रही है। भाड़े के रूप में राष्ट्र को जो वित्तीय लाभ होता है, वह रेलवे के अप्रत्यक्ष योगदान का केवल एक अंश है। रेलवे की वजह से बहुत से लोगों को काम मिलता है। रेलवे के ठेकेदार और रेल उपस्कर के निर्माता बहुत

[ श्री जगजीवन राम ]

बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाते हैं। इस समय सरकारी आंकड़ों में इन व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया जाता। यदि इन्हें जोड़ा जाय, तो इस दिशा में भी रेलवे का योगदान बहुत अधिक होगा।

**रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अनंतिम रूप-रेखा**

रेलवे की तीसरी आयोजना के लिए अन्तिम रूप से १,२५५ करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है। इसमें सामान के लिए ३५ करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। यह रकम यातायात को १५४० लाख टन से २३५० लाख टन बढ़ाने के लिए निर्धारित की गयी है, लेकिन इसमें कुछ प्रायोजनायें शामिल नहीं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और जिनके बारे में रेलवे को शुरू में सूचित नहीं किया गया था। यातायात में केवल इस वृद्धि से ही टन मील के हिसाब से रेलवे का काम ७२ प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। परिवहन के संशोधित लक्ष्यों की व्यवस्था और उपरोक्त प्रायोजनाओं को शामिल करने के लिए आयोजना कमीशन रकम बढ़ाने के सवाल पर विचार कर रहा है तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में माल यातायात में वृद्धि का जो अनुमान है, उसका ७५ प्रतिशत से अधिक कोयला, इस्पात, सीमेंट और कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए निर्धारित है। शायद कुछ सीमेंट और कोयले को छोड़कर यह सब यातायात रेल से होगा। यात्री यातायात में केवल लगभग १५ प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था की गयी है। दूसरी आयोजना में भी इतनी ही व्यवस्था की गयी थी।

तीसरी आयोजना में रेलवे को ५,४०,००० लाख टन मील से बढ़ाकर ९,३०,००० लाख टन मील, अर्थात् लगभग ३,९०,००० टन अतिरिक्त माल ढोने का काम दिया गया है। माल यातायात में यह वृद्धि दूसरी आयोजना की तुलना में दूणे से अधिक है। इसके लिए अन्तिम रूप १,२५५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं जब कि दूसरी आयोजना के लिए १,१२१.५ करोड़ रुपये निर्धारित निर्धारिप किये गये थे। परिचालन में सुधार के लिए उत्तरोत्तर अधिक उपाय किये जा रहे हैं। इनको ध्यान में रखकर चल स्टाक और लाइन क्षमता के काम में पूंजी लगाने की योजना तैयार की जा रही है। परिचालन में सुधार के लिए अतिरिक्त इंजन (जिनमें ७० प्रतिशत डीज़ल और बिजली के इंजन हैं) प्राप्त करने और कोयला ढोने के लिए बोगी माल डिब्बों वाली भारी गाड़ी चलाने आदि के काम शामिल हैं। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना पर अमल करने के फलस्वरूप लगभग १,७०० रेल इंजन, ७,८०० सवारी डिब्बे और १,१०,००० माल डिब्बे प्राप्त करने की संभावना है। इसमें बदलाव की ज़रूरतें भी शामिल हैं। लगभग १,६०० मील लाइन पर दोहरी पटरी बिछाने के अलावा यार्डों में परिवर्तन, नये क्रासिंग स्टेशन खोलने, अतिरिक्त लूप लाइन बनाने आदि की योजना है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सिलीगुडी-अमीनगांव खण्ड पर केन्द्रीय यातयात नियंत्रण के लिए भी व्यवस्था की गयी है। जैसी स्थिति होगी, उसके अनुसार दूसरे खण्डों पर भी इस प्रणाली का विस्तार किया जायेगा।

तीसरी आयोजना में ११०० मील लाइन पर बिजली लगाने की संभावना है। जिन खण्डों पर दूसरी आयोजना में बिजली लगाने का काम शुरू किया गया था, उन्हें पहले पूरा किया जायेगा। उसके बाद प्रमुख मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात को सम्हालने के लिए बिजली लगायी जायेगी। रेल पथ के नवीकरण का जो काम पिछड़ गया है, उसे तीसरी आयोजना के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। नयी लाइनों के निर्माण के लिए आयोजना कमीशन ने अब तक १२० करोड़ रुपये दिये हैं। इसमें लगभग ११६० मील लाइन बनायी जायेगी। नयी लाइनों के कार्यक्रम में वे लाइनें शामिल हैं जो रेलवे के परिचालन सम्बन्धी काम या उद्योगों और खनिज साधनों के विकास

के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। दूसरे वर्ग की लाइनों में नये कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए २०० मील और हल्दिया में प्रस्तावित बन्दरगाह के लिए लगभग ५० मील नयी लाइन शामिल है। आयोजना कमीशन के परामर्श से नयी लाइनों की व्यवस्था पर पुनः विचार किया जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर कुछ क्षेत्रों में, और विशेष रूप से दक्षिण में नयी लाइनों के बनाने की मांग है। मैं आशा करता हूं कि इन मांगों को पूरा करने के लिए इस मद में कुछ और रकम देना संभव होगा।

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप की संक्षिप्त रूप-रेखा पर विचार समाप्त करने से पहले मैं एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं जो कुछ सुविज्ञ क्षेत्रों में भी पायी जाती है। वह यह है कि रेलवे को जितना माल ढोने को दिया जाय उसे रेलवे किसी तरह की रुकावट के बिना ढोये। वास्तव में हर आयोजना में परिवहन के सम्बन्ध में केवल कुछ निश्चित काम निर्धारित किया जाता है। यद्यपि दूसरी आयोजना में जो काम दिया गया था, उसे रेलवे ने समुचित रूप से पूरा किया है, लेकिन आयोजना में जो अनुमान लगाया गया था, उसकी तुलना में यातायात की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गयी हैं। यह स्पष्ट है कि अभी रेलवे के विस्तार और विकास की ज़रुरत है ताकि उसके साधन बढ़ें। इसलिए, यह भी स्पष्ट है कि जब तक रेलवे के साधन सीमित हैं, तब तक प्रथमता के आधार पर यातायात जारी रहेगा। उदाहरण के लिए, ईंट पकाने के लिए जो कोयला भेजा जाता है, उसे निम्न प्रथमता दी जाती है। इसी तरह के कुछ दूसरे मद भी हैं जिनके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## विदेशी सहायता

पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने बताया था कि भारतीय रेलों के लिए विश्व बैंक से ५०० लाख डालर का कर्ज़ मिला था। इस कर्ज़ से कुल रकम निकाल ली गयी है। विगत जुलाई में विश्व बैंक से ७०० लाख डालर का और भी कर्ज़ मिला। इसके अलावा अमेरिका के विकास ऋण निधि अधिकारियों ने भी ५०० लाख डालर कर्ज़ देना स्वीकार किया है, जिसमें १०० लाख डालर पहले वाले कर्ज़ की बाकी रकम है। मैं इस सहायता के लिए आभारी हूं।

## बजट अनुमान १९६१–६२

१९६१–६२ का बजट अनुमान १९६१–६२ के आगामी पांच वर्षों के वित्तीय पूर्वानुमान पर आधारित है जिस पर रेलवे अभिसमय समिति, १९६० ने विचार किया और जिसमें समिति की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन किया गया।

१९६०–६१ की तुलना में बजट वर्ष में लगभग १५० लाख टन अतिरिक्त यातायात की संभावना है और माल यातायात से आमदनी का बजट अनुमान इसी आधार पर लगाया गया है। यह अनुमान तीसरी आयोजना में लगभग ९०० लाख टन की कुल वृद्धि का ध्यान रखकर लगाया गया है। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि तीसरी आयोजना में अनुमानतः कम भाड़े वाले माल का यातायात अधिक होगा। इसकी वजह से कुल आमदनी पर संचालन व्यय का अनुपात बढ़ेगा। यात्री यातायात में थोड़ी वृद्धि और यात्री कर को यात्री किराये में मिलाने के फलस्वरूप यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान लगभग ४९९ करोड़ रुपये है। यात्री किराये में यात्री कर को मिला देने के बाद, यात्री कर के बदले में सामान्य राजस्व को हर साल १·५ करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इसको निकाल कर यातायात से कुल प्राप्ति ४८६·५ करोड़ रुपये होगी, जब कि चालू वर्ष में इसका संशोधित अनुमान ४५८ करोड़ रुपये रखा गा था। इस

[श्री जगजीवन राम]

तरह बजट में ८.५ करोड़ रुपये की वृद्धि है। यात्री किराये में कोई संशोधन नहीं होगा और माल भाड़े की दर में आम तौर पर कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन फुटकर माल पर इस समय जो विशेष विशेष अधिप्रभार लिया जाता है वह १० प्रतिशत से बढ़ा कर २० प्रतिशत कर दिया जायेगा। इस का मुख्य उद्देश्य यह है कि रेल से फुटकर माल भेजना और कम किया जाय, क्योंकि डिब्बों में फुटकर माल कम लद पाता है और रास्ते में इस पर अधिक ध्यान और निगरानी रखनी पड़ती है, जिस की वजह से इस के यातायात पर रेलवे का खर्च बहुत अधिक आता है। यह केवल मामूली समंजन है और इस से राजस्व में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी। यदि इस तरह के माल यातायात का झुकाव सड़क परिवहन की ओर न भी हो और इस से रेलवे को राहत न मिले, तो भी इस से जितनी प्राप्ति की आशा है उस से इस समय की अपेक्षा ढोने की लागत करीब-करीब पूरी निकल जायेगी। इस यातायात से हर साल लगभग केवल ५० लाख रुपये अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। इसी वजह से यह तय किया गया है कि कोयले पर कम से कम ७० किलोमीटर का भाड़ा लिया जाय, जबकि इस समय ४२ किलोमीटर का भाड़ा लिया जाता है। कम दूरी की जगहों में कोयला भेजने का न्यूनतम भाड़ा प्रति मीटरिक टन ५ रुपये होगा। इस समय इस का न्यूनतम भाड़ा ४·२५ रुपये से ले कर ४·९८ रुपये तक है। इस छोटे समंजन से आमदनी में बहुत थोड़ी वृद्धि का अनुमान है। यह सड़क परिवहन की सहायता के उद्देश्य से किया गया है।

१९६१-६२ में साधारण संचालन-व्यय की शुद्ध व्यवस्था ३३२.५२ करोड़ रुपये है जो चालू वर्ष के ३२६.३१ करोड़ के संशोधित अनुमान से ६·२२ करोड़ रुपये अधिक है। वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप कर्मचारियों को १९५९-६० से सम्बन्धित ८.५ करोड़ का बकाया भुगतान चालू वर्ष में किया गया है, वह १९६१-६२ में नहीं करना होगा। खर्च में इस कमी को छोड़ कर १९६०-६१ की अपेक्षा १९६१-६२ में साधारण संचालन-व्यय में १४.७२ करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है। लेकिन संचालन-व्यय की इस वृद्धि में रेलवे द्वारा सार्वजनिक वाहक दायित्व ग्रहण करने के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। अनुमान है कि आवश्यक अधिनियम बन जाने के बाद १९६१-६२ के दौरान में यह दायित्व रेलवे पर आ जायेगा। सामान की कीमतों का जो रुख है, उस के आधार पर सामान की कीमतों में संभावित वृद्धि के लिए लगभग २ करोड़ की व्यवस्था भी संचालन-व्यय के आंकड़ों में शामिल है। इस में कोयले की बढ़ी हुई कीमत के लिए पूरे वर्ष का खर्च भी शामिल है। चालू वर्ष में कोयले की बढ़ी हुई कीमत का भुगतान केवल कुछ महीने करना पड़ा था। अतिरिक्त यातायात से २८.५ करोड़ रुपये अधिक आमदनी की आशा है। इस तरह संचालन व्यय में लगभग १०.७२ करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है।

१९६१-६२ में यातायात से कुल प्राप्ति संचालन-व्यय से १६६.४९ करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष में इस का संशोधित अनुमान १३१.६९ करोड़ रुपये था। लेकिन इस राशि में जो वृद्धि दिखायी गयी है, उस में राज्य सरकारों के बीच बांटने के लिए सामान्य राजस्व को यात्री-कर के बदले १२.५ करोड़ रुपये के भुगतान का दायित्व भी शामिल है। इसे निकाल कर यह वृद्धि १९६०-६१ के १३१.७ करोड़ रुपये की तुलना में १९६१-६२ में १५४ करोड़ रुपये रखी गई है। लेकिन चालू वर्ष के समान आधार पर १९६१-६२ में शुद्ध बचत निर्धारित की जा सके, इस से पहले रेलवे अभिसमय समिति, १९६० की दो महत्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान देना आवश्यक है। रेलवे राजस्व से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में चालू वर्ष के ४५ करोड़ रुपये की तुलना में १९६१-६२ में ६५ करोड़ रुपये का विनियोग होगा। सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश की दर ४ प्रतिशत से बढ़ कर ४.२५ प्रतिशत हो जायेगी। केवल इस वजह से वर्तमान

ब्याज देय पूंजी पर लगभग ४ करोड़ रुपये अधिक लाभांश देना पड़ेगा। १९६०-६१ और १९६१-६२ में ब्याजदेय पूंजी में वृद्धि के कारण भी लाभांश की रकम लगभग ८·७ करोड़ रुपये बढ़ जायेगी।

इस तरह मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अधिक विनियोग और राज्य सरकारों को देने के लिए सामान्य राजस्व को नियत १२.५ करोड़ रुपये और अधिक लाभांश के भुगतान के बाद १९६१-६२ के बजट में ८.६४ करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। यह विचारणीय है कि मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अधिक विनियोग के बाद भी, यदि लाभांश की दर बढ़ी न होती, तो लगभग १२.५ करोड़ रुपये की बचत होती।

बजट में निर्माण, मशीन और चल स्टाक के लिए २६० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस में राजस्व लेखे से होने वाले चालू लाइन के काम भी शामिल हैं। यह रकम तीसरी आयोजना में रेलवे के लिए निर्धारित कुल रकम का लगभग पांचवां भाग है। बजट में रेल उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिए विगत वर्षों की तरह लगभग ३ करोड़ रुपये और कर्मचारियों की सुविधा और उन के रहने के वास्ते मकान के लिए लगभग १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। २६० करोड़ रुपये की व्यवस्था का ब्योरा बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सम्बन्धित खण्डों में दिया गया है।

### ईंधन की खपत

कोयले की कीमत में लगातार वृद्धि के कारण ईंधन का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया है। रेलवे को उतरोत्तर अधिक मात्रा में घटिया किस्म का कोयला मिलने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। अच्छे किस्म के कोयले की पर्याप्त सप्लाई का प्रश्न रेल मंत्रालय और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के लिये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। घटिया किस्म के कोयले का रेल परिचालन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इस से सवारी गाड़ियों के समय पर चलने और माल के परिवहन में बाधा होती है। लदान से पहले कोयले की जांच के लिये रेलवे की ओर से निरीक्षण का कार्य पहले-पहल करनपुरा और बोकारो कोयला क्षेत्र की सरकारी खानों में शुरू किया गया है। इस के अलावा रेल मंत्रालय और कोयला खानों के बीच सीधे ठेके के आधार पर कोयला खरीदने की व्यवस्था भी की गयी है। इस से यह लाभ होगा कि यदि खराब किस्म का कोयला सप्लाई किया गया, तो उस की कीमत में वाजिब कमी की जा सकेगी। रेलवे को उपयुक्त किस्म का कोयला बराबर मिलता रहे, इस उद्देश्य से नांन-कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए कारखाने स्थापित करने के संबंध में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से लिखा-पढ़ी की जा रही है। साथ ही ईंधन में किफायत करने के लिए रेल-प्रशासन उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय बरते जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—उपलब्ध कोयले का समुचित वितरण, स्थानीय ईंधन किफायत समितियों द्वारा कड़ी निगरानी, समय समय पर इंजनों में कोयले की खपत के आधार पर 'ट्रिप राशन' में हेर-फर और खास कर उतार-चढ़ाव वाले खंडों में वज़नी गाड़ियों को खींचने के लिये कोयले के साथ साथ भट्टी तेल जलाने की विधि के सम्बन्ध में परीक्षण।

### देशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता

माननीय सदस्य जानते हैं कि चल-स्टाक और दूसरे रेल उपस्कर देश में तैयार करने की नीति पर दृढ़ता से पालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उस का अनुमान इस बात से लगता है कि रेलवे की दूसरी आयोजना में विदेशी मुद्रा विनिमय का खर्च ४२५ करोड़ रुपये से घट कर ३३२ करोड़ रुपये रह गया है जिस का ज़िक्र मैं ने पहले किया है। इस से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे की तीसरी आयोजना में लगभग कुल १८६ करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा-विनिमय के खर्च का अनुमान है। रेलवे बोर्ड की विकास शाखा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विकास-स्कंध के निकट

[ श्री जगजीवन राम ]

सम्पर्क में काम कर रही है । इस वर्ष सेंटर बफर कपलर, ब्रेक रेग्यूलेटर आदि कई तरह के सामान देश में तैयार करने की व्यवस्था की गई । रेल इंजन के बायलर के लिए इस्पात के फायर बाक्स, यंत्र से चलने वाले उपस्कर, यांत्रिक स्टोकर, सुपर हीटर एलीमेंट, घूम-चक्कर के लिये वैकुअम आपरेटिंग गियर देश में तैयार करने के सम्बन्ध में भी काम शुरू किया जा रहा है । यांत्रिक सिगनल उपस्कर के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है और बिजली उपस्कर तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है । एक ऐसी मोटर ट्राली का खाका बनाने और उस के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है जिस की लागत विदेशी मोटर ट्राली की लागत की लगभग आधी होगी ।

चितरंजन रेल कारखाने में १९५९-६० में बड़ी लाइन के १७३ भाप इंजन तैयार किये गये थे । आशा है कि चालू वर्ष में १६४ और अगले वर्ष भी इतने ही इंजन तैयार किये जायेंगे । रेल इंजनों के उत्पादन में थोड़ी सी कमी का कारण यह है कि इस कारखाने में बिजली के रेल इंजन बनाने के संबंध में शुरू में कुछ समंजन करना पड़ा । इस कारखाने में प्रति वर्ष बिजली के लगभग ६० इंजन तैयार करने के लिए क्षमता का विकास किया जा रहा है । इन इंजनों के सभी यांत्रिक पुर्जे चितरंजन में बनाये जायेंगे और आगे चल कर बिजली के उपस्कर का निर्माण और उस की सप्लाई भोपाल के 'हेवी इलेक्ट्रिकल' कारखाने द्वारा की जायेगी । १९६१-६२ में इस तरह के २० बिजली रेल इंजन तैयार होने का अनुमान है । जैसाकि पिछले बजट भाषण में मैं ने बताया था, इस कारखाने में ७,००० टन क्षमता की एक इस्पात फाउंड्री लगाई जा रही है, जिसे प्रति वर्ष १०,००० टन तक बढ़ाया जा सकता है ।

टेल्को ने १९५९-६० में १०५ रेल इंजन दिये । इस कारखाने से चालू वर्ष में १०० और अगले वर्ष के दो महीनों में ३१ मई, १९६१ तक, अर्थात् मेसर्स टेल्को के साथ वर्तमान १६ वर्षीय करार के अन्त तक, २५ रेल इंजन मिलने की संभावना है । यद्यपि मीटर लाइन के कुछ खंडों में डीजल इंजन चलाने के फलस्वरूप वहां भाप के इंजनों की जरूरत नहीं होगी, फिर भी दूसरे खण्डों के लिए मीटर लाइन के भाप इंजनों की जरूरत है । इस बात को ध्यान में रख कर टेल्को की क्षमता का उपयोग जारी रखने का फैसला किया गया है । तदनुसार टेल्को को मीटर लाइन के ३२५ इंजन का आर्डर दिया गया है । ये इंजन १ जून १९६१ से ३१ मार्च १९६६ तक की अवधि में दिये जायेंगे । यह अवधि बहुत कुछ तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के साथ चलेगी । १९५८-६० में टेल्को ने जो २०० इंजन दिये थे, उन की कीमत एक स्वतंत्र विवाचक द्वारा प्रति इंजन ३,८०,९१७ रुपये निर्धारित की गई थी । वर्तमान ठेके के अधीन १-४-१९६० से ३१-५-१९६१ तक जो इंजन दिये जायेंगे, उस की कीमत प्रति इंजन ३,७८,५२६ रुपये होगी । ठेके के बाद ५ वर्षों में ३२५ इंजन दिये जायेंगे जिन की कीमत प्रति इंजन ३,८०,७५० रुपये होगी । यह कीमत विवाचक द्वारा निर्धारित कीमत से कम है ।

सवारी डिब्बा कारखाने में १९५९-६० में ४४८ सवारी डिब्बे तैयार किये गये थे । वहां १९६०-६१ में ६२० और १९६१-६२ में ६५० सवारी डिब्बे तैयार होने का अनुमान है । दूसरी पारी को उत्तरोत्तर बढ़ा कर उत्पादन में यह प्रगति की गई है । इस कारखाने से सम्बद्ध स्थायी फर्निशिंग यूनिट पर काम १९६२ के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है । इस यूनिट में एक पारी चला कर प्रति वर्ष ४०० सवारी डिब्बों में साज-सामान लगाने की क्षमता है । तीसरी आयोजना में सवारी डिब्बा कारखाने में कई तरह के डिब्बे बनाने का भी कार्यक्रम है । इस योजना में इस कारखाने को मीटर लाइन के तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे, मोटर और पार्सल यान, बड़ी लाइन के बिजली गाड़ी के डिब्बे और सभी आमानों के रेल कार के निर्माण का काम दिया जायेगा । सवारी डिब्बा कारखाने और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में सवारी डिब्बों के उत्पादन से स्वभावतः रेल कारखानों में

उत्तरोत्तर कम डिब्बे बनेंगे । इस तरह जो क्षमता खाली होगी, उस का उपयोग दूसरे सामान तैयार करने के लिए किया जायेगा । इस सम्बंध में योजना बनाई जा रही है । कलकता स्थित जैसप्स फैक्टरी में प्रतिमास बिजली गाड़ी के छः सवारी डिब्बे बनाने की क्षमता स्थापित की गयी है ।

आगे और विचार करने पर यह तय किया गया है कि डीजल इंजन बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नया कारखाना खोला जाय । इस प्रायोजना की ब्योरेवार रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है ।

माल डिब्बे बनाने वाले नये कारखानों के स्थापित होने के कारण देश में माल डिब्बों के उत्पादन की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ रही है इस दिशा में उल्लेखनीय बात यह है कि १९६१–६२ में माल-डिब्बों की खरीद तुलनात्मक टेन्डर के आधार पर की जायेगी ।

पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में भारतीय रेलवे द्वारा विदेशों में स्वनिर्मित चल-स्टाक बेचने की सम्भावना का संकेत किया था । इस सम्भावना ने अब अधिक मूर्तरूप धारण कर लिया है । पाकिस्तान रेलवे और अर्जेन्टाइन गवर्नमेंट रेलवे ने संसार के विभिन्न देशों से टेण्डर मांगे थे । इन टेण्डरों के उत्तर में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल के जरिये हम भी सवारी डिब्बा कारखाने में बनाये गये सवारी डिब्बों के टेण्डर भेज सके हैं । पाकिस्तान रेलवे के टेण्डरों के सम्बन्ध में बड़ी और मीटर लाइनों के डिब्बों को मिला कर हमारे टेण्डर की दर सब से कम और अर्जेन्टाइना रेलवे के टेण्डर में हमारे टेण्डर की दर एक को छोड़ कर सब से कम है । इस का अन्तिम निर्णय अभी तक मालूम नहीं है, फिर भी मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम ने एक बड़ा कदम उठाया है ।

## अनुसन्धान, खाका और मानक संगठन

"इकाफे" की रेलवे उप-समिति का छठा अधिवेशन पश्चिमी पास्कितान में हुआ । रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल ने इस अधिवेशन में भाग लिया । अनुसंधान, खाका और विकास के क्षेत्र में भारतीय रेल ने जो प्रगति की है, उसके सम्बन्ध में अपेक्षाकृत प्रगतिशील देशों ने भी पर्याप्त दिलचस्पी दिखाई । पिछले नवम्बर में 'इकाफे' के तत्वावधान में विदेशी रेलों के कुछ विशेषज्ञ ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण का, जिसकी कई विशेषताएं हैं, अध्ययन करने के लिये गये । रेल विशेषज्ञों का वहां जाना इस बात का सूचक है कि दूसरे देश तकनीकी क्षेत्र में भारतीय रेल की प्रगति की कद्र करते हैं ।

देश में चल-स्टाक के सभी उपयोगकर्ताओं के सलाहकार के रूप में रेलवे अनुसंधान, खाका और मानक संगठन का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है । इस संगठन के अनुसंधान और विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम में सलाह देने और इस प्रकार की दूसरी संस्थाओं और निर्माताओं से समन्वय और सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय रेल अनुसंधान बोर्ड बनाया गया है । देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर और उद्योगपति इस बोर्ड के सदस्य हैं । अगस्त, १९६० में इसका उद्घाटन-अधिवेशन हुआ जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और भवन अनुसंधान, यांत्रिक तथा बिजली अनुसंधान और धातु तथा रासायनिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित काम के लिये तीन उपसमितियां बनायी गयीं । डाक्टर ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में इंजीनियरों की जो समिति बनाई गई थी उसके सुझाव पर । 'पुल और बाढ़' निदेशालय कायम किया गया है । यह संगठन रेलवे और देश की अन्य संस्थाओं से जल सम्बन्धी, मौसम सम्बन्धी और भूतल सम्बन्धी विवरण

[श्री जगजीवन राम]

का संकलन और उनका विश्लेषण कर रहा है। साथ ही वह दूसरे देशों में प्रचलित पद्धतियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर रहा है। इस अध्ययन के सम्बन्ध में कई पुलों की जांच की जायेगी ।

बड़े आमान की मुख्य लाइन के लिये ९० पौण्ड की मानक पटरी निकट भविष्य में होने वाले भारी यातायात को न सम्हाल सकेगी। इसलिये १०५ पौंड की भारी पटरी तैयार की गई है । २१० फुट तक लम्बे झले हुए रेल पेनल का इस्तेमाल भी शुरू किया गया है। इससे रेल गाड़ियां सुगमता के साथ चलेंगी और उनमें कम आवाज़ होगी। इसके अलावा रेल-पथ और चल-स्टाक की घिसाई और टूट-फूट में भी कमी होगी जिसके फलस्वरूप उनके अनुरक्षण पर कम खर्च होगा ।

३६०० हार्स पावर का डी० सी० बिजली रेल इंजन पूर्णतः देश में तैयार किया गया है। इस तरह के दस इंजन इस समय चितरंजन में बन रहे हैं और कुछ ही महीनों में मिलने लगेंगे । इन इंजनों के लिये सिर्फ बिजली उपस्कर बाहर से मंगाना पड़ा है। मैं पहले भी 'सूरी ट्रांसमिशन' का उल्लेख कर चुका हूं। 'सूरी ट्रांसमिशन' के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में सात प्रोटोटाइप डीजल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। मालूम हुआ है कि पहली दो पूर्ण इकाइयों के परीक्षण के परिणाम उनके प्रत्याशित कार्य के बहुत निकट हैं। जर्मनी के मानक आमान के अनुसार बनाये गये प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक एक महीने से अधिक चलाने के बाद इंजन भारत में भेजा जा रहा है ।

ऊपर नीचे दो और तीन शायिकाओं वाले लकड़ी के और इंटीग्रल टाइप शयनयान के खाके के अलावा आम इस्तेमाल के लिये माल डिब्बे का खाका भी तैयार किया गया है । माल-डिब्बे का खाका तैयार करने से पहले उसकी शक्ति, सुरक्षा और टिकाऊपन के सम्बन्ध में सविस्तार परीक्षण किये गये थे। मीटर लाइन के अधिक क्षमता वाले एक पेट्रोल टंकी डिब्बे का खाका भी पूरा हो चुका है। ये डिब्बे गौहाटी बरौनी के तेल शोधक कारखानों के लिये इस्तेमाल किये जायेंगे । धातु शोधन अनुभाग सवारी और माल-डिब्बों के लिये 'स्केराडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन' का विकास कर रहा है। यह अलौह धातुओं के बियरिंग की जगह लगाया जायगा जिससे तांबा, टिन आदि शुद्ध धातुओं के आयात में बचत होगी, जो आजकल बियरिंग बनाने के काम में इस्तेमाल की जाती हैं ।

## उत्पादन शाखा

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में स्थापित उत्पादन निदेशालय ने रेल कारखानों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, उसमें प्रगति हुई है। सभी बड़ बड़े कारखानों में उत्पादन नियंत्रक संगठन बनाये जा रहे हैं। काम के आधार पर भुगतान की पद्धति लागू करने से पहले इन संगठनों की स्थापना आवश्यक है। इन संगठनों के लिये कर्मचारियों और अफसरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रीति-अध्ययन और कार्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में काम जारी है। उत्पादन कार्य के लिये चितरंजन की पद्धति आदर्श है। जहां तक मरम्मत कार्य का सम्बन्ध है, उसका मानदंड निर्धारित करने के लिये विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। पिछले वर्ष सवारी डिब्बा कारखाने के केवल एक अनुभाग में प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। अब यह योजना उस कारखाने के दूसरे अनुभागों में भी लागू कर दी गई है। क्रमशः इस योजना को पूरे कारखाने में लागू करने का विचार है । कुछ दूसरे रेल कारखानों में भी प्रोत्साहन-योजना सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है । मैं बता चुका हूं कि रेल कारखानों में क्रमशः कुछ और सामान तैयार करने की योजना बनायी जा रही

है। प्रोत्साहन योजना के फलस्वरूप जो अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होगी, उससे उत्पादन बढ़ाने में भी सुविधा होगी।

## निर्यात यातायात के लिये रेलभाड़े में रियायत

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जहां कहीं आवश्यकता है रेल भाड़े में रियायत की व्यवस्था की जा रही है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित सुझावों पर विचार करने के लिये रेल, वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त मंत्रालयों और आयोजना आयोग के अधिकारियों की एक स्थायी अंतर्मंत्रालय समिति बनायी गई थी। समिति ने कई सुझावों पर विचार किया, जिनमें व्यापारी वर्ग की प्रार्थनाओं पर आधारित सुझाव भी शामिल हैं। इसके फलस्वरूप १३६ अतिरिक्त चीजों के भाड़े में रियायत दी गई। इस प्रकार ऐसी चीजों की संख्या बढ़ कर ३८ हो गई है। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में कहा था, देश से बाहर जाने वाले माल को जल्द बन्दरगाहों तक भेजने के उद्देश्य से इस तरह के सब यातायात को तरजीही यातायात अनुसूची के मद 'डी' में रखा गया है। निर्यात यातायात पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। निर्यात के लिये कच्ची धातु के यातायात को शुरू में ऊंची प्रथमता नहीं दी गई थी। अब इसे भी मद 'डी' में रख दिया गया है।

## रेल उपयोगकर्ताओं के लिये सुविधा के काम

माननीय सदस्य जानते हैं कि रेल सफर को आरामदेह बनाने के लिये पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में तीसरे दर्जे के यात्रियों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरी आयोजना में यात्री सुविधा के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आशा है कि उस पूरी रकम का उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध साधनों के अन्दर गाड़ियों में अत्याधिक भीड़ की समस्या को हल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यात्री परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिये रेल प्रशासन हर संभव उपाय से काम ले रहे हैं। इसके लिए पूरी मरम्मत कराके पुराने सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सवारी गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये जा रहे हैं और जहां तक संभव है, नयी गाड़ियां चलायी जा रही हैं।

१९५९–६० में १९२ नयी गाड़ियां चलायी गयीं—१६५ बड़ी लाइन पर, २५ मीटर लाइन पर और २ छोटी लाइन पर। १२४ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया—९३ बड़ी लाइन पर और ३१ मीटर लाइन पर। इस के फलस्वरूप दैनिक सवारी गाड़ी मील के आंकड़े बड़ी लाइन में ९८१४ मीटर लाइन में २९३२ और छोटी लाइन में ६४ बढ़ गये। चालू वर्ष में दिसम्बर, १९६० तक ७६ नई गाड़ियां चलायी गयीं—५८ बड़ी लाइन पर और १८ मीटर लाइन पर। ५६ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया—४२ बड़ी लाइन पर और १४ मीटर लाइन पर। इसके फलस्वरूप दैनिक सवारी गाड़ी मील के आंकड़े बड़ी लाइन में ४६२० और मीटर लाइन में १७०१ बढ़ गये। उपनगरी बिजली-गाड़ियों को छोड़ कर १९५५–५६ की तुलना में सीट मील के आंकड़े १९५९–६० में बड़ी लाइन पर ११.३ प्रतिशत और मीटर लाइन पर ९.६ प्रतिशत बढ़ गये। अनुमान है कि चालू वर्ष में इन आंकड़ों में लगभग १ प्रतिशत और वृद्धि हुई है।

१–४–१९६० से हरिद्वार और वाराणसी के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गई जो हफ्ते में एक दिन चलती है। १–१०–१९६० से इलाहाबाद और पटना के रास्ते बंबई (बी० टी०) और हावड़ा के बीच एक जनता एक्सप्रेस चलायी गई जो हफ्ते में दो दिन चलती है।

[श्री जगजीवन राम]

हावड़ा–वाराणसी और हरिद्वार के बीच हफ्ते में एक बार चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन-क्षेत्र देहरादून तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलनेवाली जनता एक्सप्रेस गाड़ी हफ्ते में तीन दिन की बजाय रोज चलने लगी है।

ऊपर नीचे तीन शायिकाओं वाले शयन यान जिन में बैठने और सोने की जगहें बराबर होती हैं, अब ४५० किलोमीटर से लम्बे सफर की मीटर लाइन की गाड़ियों में भी लगाये जाते हैं।

यह तय किया गया है कि जो यात्री अधिक आराम चाहते हैं, उनके लिये बड़ी और मीटर दोनों लाइनों पर ऊपर नीचे तीन शायिकाओं वाले डिब्बों के साथ-साथ ऊपर नीचे दो शायिकाओं वाले डिब्बे भी चलाये जायें जिनमें बैठने और सोने की व्यवस्था रहती है। इसके लिये यात्रियों से अधिप्रभार लिया जायेगा।

रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में अतिरिक्त पंखे लगाये जायें ताकि हर कक्ष में हर शायिका के लिये एक पंखा उपलब्ध हो। आशा है गर्मी के अगले मौसम के शुरू होने से पहले यह काम पूरा हो जायेगा।

इस स्वीकृत नीति के अनुसार कि जहां कहीं उचित दर पर बिजली मिले या मिलने की संभावना हो, वहां अधिक से अधिक स्टेशनों पर बिजली लगायी जाये, दूसरी आयोजना के पहले चार वर्षों में कुल ७७९ स्टेशनों पर बिजली लगायी गयी है। आशा है कि चालू वर्ष में लगभग ३८० दूसरे स्टेशनों पर भी बिजली लगा दी जायेगी।

रेलवे द्वारा किये जाने वाले काम में सुधार की ओर बराबर घ्यान दिया जा रहा है। नयी आउट एजेंसियां और नगर बुकिंग एजेंसियां खोली गयी हैं; बड़े कस्बों और शहरों में घर से माल ले जाने की और घर पर माल पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गयी है, क्विक ट्रांजिट सर्विस का विस्तार किया गया है और नयी एक्सप्रेस मालगाड़ियां चलायी गयी हैं। कुछ तरह के माल पर भाड़े के लिये न्यूनतम भार घटा दिया गया है। व्यापारियों ने आमतौर पर इन व्यवस्थाओं को पसन्द किया है।

## दुर्घटनायें

जुलाई, १९६० में मथुरा के पास एक गाड़ी की छत पर सफर करने वाले यात्रियों के साथ जो दु:खद दुर्घटना हुई थी, उसे छोड़ कर चालू वर्ष में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।

१९५९–६० में जो दुर्घटनायें हुईं, उनका विस्तृत ब्यौरा दुर्घटनाओं की समीक्षा नामक पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बजट की पुस्तिकाओं के साथ सभा-पटल पर रख दी गयी हैं। यह पुस्तिका उस समीक्षा के आधार पर तैयार की गयी है जो पिछले वर्ष बजट पुस्तिकाओं में साथ प्रस्तुत की गयी थी। इसमें विभिन्न दुर्घटनाओं के आंकड़ों और रेल संचालन में दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये रेल प्रशासनों द्वारा किये गये उपायों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि कुल आंकड़ों की दृष्टि से, जिसमें सब साधारण दुर्घटनाएं भी शामिल हैं, पिछले वर्ष की तुलना में १९५९–६० में सुधार हुआ है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय में हममें कोई आत्मसंतुष्टि की भावना नहीं है। रेलवे बोर्ड इस समस्या के महत्व के प्रति बराबर सचेत है। रेल प्रशासन भी इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व

के प्रति जागरूक है और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिये उन्हें बराबर शिक्षा और ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले की तरह १९५९–६० में भी बहुत सी दुर्घटनायें कर्मचारियों की गलती से हुई। रेलवे के विस्तार, काम की वर्तमान द्रुतगति और कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए यह माना जायेगा कि इस समस्या का कोई बना बनाया हल नहीं है। इस सम्बन्ध में तत्परतापूर्वक कड़ी कार्रवाई की जाती है और जहां उचित हो, प्रोत्साहन के लिये पुरस्कार देने की व्यवस्था की गयी है। इससे मुझे विश्वास है कि सब स्तर पर रेल कर्मचारी दुर्घटनाओं की रोक-थाम के इस महत्वपूर्ण पहलू पर पहले से भी अधिक ध्यान देंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक बार फिर जनता से भी अपना सहयोग देते रहने का अनुरोध करता हूं।

भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये यात्रियों को इस समय अधिक से अधिक दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। क्षतिपूर्ति की यह सीमा १९४३ में नियत की गयी थी तब से अब तक निर्वाह-व्यय और प्रति व्यक्ति आय में बहुत कुछ वृद्धि हुई है। इसलिये मैं यह महसूस कर रहा हूं कि समय आ गया है जब क्षतिपूर्ति की सीमा को १०,००० हजार रुपये से बढ़ा कर २०,००० हजार रुपये कर देना शायद उचित हो। इस के लिये शीघ्र ही आवश्यक विधान की व्यवस्था की जायेगी।

### बिना टिकट सफर

मैं सदन में कई बार बिना टिकट सफर के खतरे का उल्लेख कर चुका हूं। रेलवे बोर्ड के अधीन एक केन्द्रीय संगठन ने इस सम्बन्ध में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उस से मालूम होता है कि बिना टिकट सफर में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्यों और जनता से फिर अनुरोध करता हूं कि इस सामाजिक बुराई का सामना करने और इसे दूर करने में अपना सक्रिय सहयोग दें।

### दावे

नये दावों की स्थिति में कुछ में सुधार हुआ है और बकाया दावों की संख्या भी घट गयी है। इससे दावा निरोधक संगठनों की सफलता का आभास मिलता है जो हर रेलवे में एक प्रवर वेतनमान अफसर के अधीन काम कर रहे हैं। १९५९–६० में नये दावों की संख्या ४,३८,९८६ रही जबकि १९५८–५९ में यह संख्या ४,६४,०७१ थी। फिर भी क्षतिपूर्ति के लिये प्रतिवर्ष लगभग ४ करोड़ रुपये की रकम दी जा रही है, जो बहुत अधिक है। रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे दावों की स्थिति की बराबर विस्तृत जांच करते हैं और इस बात का विश्लेषण करें कि दावे किस तरह के माल के लिये, किन कारणों से और कहां-कहां किये जाते हैं ताकि उन की रोक-थाम के लिये उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। रेलवे द्वारा सार्वजनिक वाहक दायित्व ग्रहण कर लेने के बाद इस सम्बन्ध में अब तक जितना ध्यान दिया जाता रहा है, उस से अधिक ध्यान दिया जायेगा।

### खानपान-व्यवस्था

विभागीय खान-पान व्यवस्था, जो चालू वर्ष में उत्तरोत्तर अधिक स्टेशनों और गाड़ियों में लागू की गयी, सामान्यतः लोकप्रिय बनी रही। इस विभाग की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये जो उपाय किये गये थे, उन में कुछ सफलता मिली। १९५८–५९ में खान-पान व्यवस्था का शुद्ध घाटा ११ लाख रुपये था जो घट कर १९५९–६० में लगभग ४ लाख रुपये रह गया। १९६०–६१ में भी घाटे का अनुमान लगभग ४ लाख रुपये है। विभागी खान-पान व्यवस्था यात्रियों के लिये एक बुनियादी सुविधा के रूप में चलायी गयी है इस पर ध्यान दिया जाता रहेगा।

[श्री जगजीवन राम]

## गैर-सरकारी परामर्श समितियां

विभिन्न गैर-सरकारी समितियों से रेल-प्रशासनों को जो बहुमूल्य सहायता मिली है, उसे यहां फिर स्वीकार करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इन समितियों के नाम इस प्रकार हैं:–रेल उपयोग कर्ता परामर्श समितियां, समय सारणी समितियां, उपनगरी रेल उपयोगकर्ता समितियां, यात्री सुविधा समितियां, खान-पान अवेक्षक समितियां, बुक स्टाक सलाहकार समितियां और स्टेशन परामर्श समितियां। इन समितियों से जो सहायता मिली है उस से अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति रेलवे की सेवाओं में सुधार हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान में क्षेत्रीय संसदीय समितियों के दो अधिवेशन हुए। इन समितियों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक से सम्बन्धित रेल-संचालन के मामलों में दिलचस्पी ली और उपयोगी तथा रचनात्मक सुझाव दिये। मैं उन के सहयोग के लिये इस अवसर पर उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इन समितियों के विचार-विमर्श के फल-स्वरूप रेलवे की समस्याओं और सफलताओं के साथ-साथ जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने में अधिकाधिक सहायता मिलेगी।

भ्रष्टाचार की समस्या को दृढ़तापूर्वक सुलझाने का प्रयास जारी है। १९५९–६० में भ्रष्टाचार के १,६५८ मामलों का फैसला किया गया जिन से १,२९२ मामलों में अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई की गयी। अचानक जांच करके और छापा मारकर चौकसी संगठन ने कुछ एसे स्त्रोतों को रोकने की ओर घ्यान आर्कषित किया है जिनके कारण रेलवे को आर्थिक हानि होती हैं। बड़े स्टेशनों, माल गोदामों, तीसरे दर्जे की टिकट खिड़कियों और आरक्षण कार्यालयों के काम में किसी तरह की दखल न देकर चौकसी कर्मचारियों ने उन पर निगरानी रखी।

इस सम्बन्ध में मैं यहां एक उत्सावर्धक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि भ्रष्टाचार–उन्मूलन के हमारे प्रयास में हमें संसद् के माननीय सदस्यों सहित सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उत्तरोत्तर अधिक सहायता मिल रही है।

## रेलवे सुरक्षा दल

रेलवे की सीमा और चलती गाड़ियों में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व प्रधानत: राज्य पुलिस का है। रेलवे पुलिस राज्य पुलिस का एक अंग है, उसके साथ निकट संपर्क रख कर रेलवे में सुरक्षा और निरापद यात्रा की समस्या पर लगातार घ्यान दिया गया है।

कण्डक्टरों और चल टिकट परीक्षकों के हिदायत दी गयी है कि वे खासतौर पर ऊंचे दर्जे और जनाना डिब्बों की जांच करके इत्मीनान कर लें कि अन्य बातों के साथ उनकी सुरक्षा फिटिंग ठीक हालत में है या नहीं। रेल प्रशासनों से यह भी कहा गया है कि कुछ डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के जनाना डिब्बों में खतरे की जंजीर के नीचे पुश बटन लगायें। साथ के मर्दाना डिब्बे में भी एक हार्न लगाया गया है ताकि जब मदद की जरूरत हो, तो हार्न बजाकर उस डिब्बे के यात्रियों का घ्यान आर्कषित किया जाय। पिछले बजट भाषण में मैंने कहा था कि यह युक्ति अभी परीक्षण के दौर में है।

जनता की और रेलवे सम्पत्ति की हानि अभी भी गंभीर चिन्ता का कारण बनी हुई है। १९५९-६० में लगभग कुल ५६ लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि की रिपोर्ट मिली थी जो १९५८–५९

के आंकड़ों से कुछ ही कम है। इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा दल का उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। यह कुछ सन्तोष की बात है कि कुल मिलाकर अपराध की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि चोरी की घटनाओं में कमी हुई है। १९५८-५९ में चोरी की ९५६९२ घटनायें हुई थीं, १९५९-६० में यह संख्या घट कर ७४,४३४ रही। कुछ बड़े स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा माल की संयुक्त जांच के लिये कुछ विशेष योजनायें लागू की गयीं। कुछ ऐसी त्रुटियों का पता लगा जिनकी वजह से दावे होते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार रोक-थाम के उपाय अपनाये गये हैं। रात में अधिक सुरक्षा के लिये कुछ माल गाड़ियों में 'स्पाट लाइट' की व्यवस्था की गयी है ताकि चलती गाड़ी में चोरी करने वालों का पता असानी से लगाया जा सके। रेलवे स्टोर डिपो और कारखानों से कीमती सामान की चोरी रोकने के लिये उनके फाटकों पर इलेक्ट्रानिक मेटल डिटेक्टर लगाने के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं। आसाम में उपद्रव के समय रेलवे सुरक्षा दल ने आसाम पुलिस की मदद के लिये सराहनीय काम किया। सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और स्टेशन की इमारतों और रेलवे बस्तियों पर पहरा दिया।

रेलवे लाइन से छेड़ छाड़ की घटनाओं आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ रेलों के खुफिया ब्यूरो में एक उपशाखा खोली गयी है। जिन अपराधों और अपराधियों का सम्बन्ध कई राज्यों और कई रेल क्षेत्रों से हैं, उन के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एक केन्द्रीय अपराध ब्यूरा भी खोला गया है।

पिछले बजट भाषण में मैंने जन सहयोग समिति का उल्लेख किया था। इस वर्ष इस समिति की एक और बैठक हुई। इस बैठक में बहुत से यात्री संगठनों और चैम्बर आव कामर्स से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट जल्दी ही मिल जायगी और उस के बाद उसकी सिफारिशों पर, जहां आवश्यक होगा, अमल किया जायेगा।

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की समुचित ट्रेनिंग पर बराबर ज़ोर दिया जा रहा है। कुछ रेलों में सुरक्षा दल के इन्सपेक्टरों और सब इन्सपेक्टरों को राज्य सरकारों के सहयोग से पुलिस के काम की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गयी। रेलवे फायर सर्विस के कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष पाठ्य क्रम में ट्रेनिंग लेते रहे। रेलवे सुरक्षा दल के प्रशिक्षार्थियों और जनता की शिक्षा के लिये डाक्यूमेंटरी फिलम तैयार किया गया जो कई प्रादेशिक भाषाओं में है। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि रेलवे में अपराध का पता लगाने के काम में सुरक्षा दल को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपराध रोकने के लिए जनता के सहयोग की प्रार्थना की गयी

## हिन्दी

संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि हम रेलवे में क्रमशः हिन्दी लागू करने की दिशा में क्या करते रहे हैं। रेलवे बोर्ड और रेलवे के प्रधान कार्यालयों में प्राप्त हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। यह व्यवस्था उत्तरोतर मण्डल और ज़िला कार्यालयों में भी शुरू की जा रही है। रेलवे संहिता, टैरिफ और नियमावलियों के अनुवाद के अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के परिपत्र अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी में जारी किये जाते हैं। समाचार पत्र, विविध पुस्तिकायें और रेलवे के महत्व-पूर्ण परिपत्र, विशेष रूप से चौथे दर्जे के कर्मचारियों से सम्बन्धित परिपत्र, भी अंग्रेजो के साथ-साथ हिन्दी में जारी किये जाते हैं। इसी प्रकार दुर्घटना नियमावली और सहायक नियमों का अनुवाद भी किया जा रहा है। अब तक वाणिज्य विभाग के कोई १८ अंग्रेज़ी-हिन्दी के मिले-जुले फार्म रेल प्रशासनों को भेजे गये हैं। यातायात विभाग से संबंधित अंग्रेज़ी-हिन्दी

[श्री जगजीवन राम]

पर्यायवाची शब्दों की पुस्तिका रेल प्रशासनों को दी गयी है; सिविल और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभागों की शब्दावली के हिन्दी पर्याय बनाने का काम जारी है ।

रेलवे के प्रधान और मण्डल तथा ज़िला कार्यालयों के साथ-साथ उन जगहों में भी हिन्दी कक्षाएं चलायी जा रही हैं जहां अधिक संख्या में कर्मचारी काम करते हैं । रेल कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है । रेलवे ट्रेनिंग संस्थाओं में जिन प्रशिक्षार्थियों को एक महीने से अधिक अवधि की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें आमतौर पर हिन्दी की एक सरल परीक्षा पास करनी होती है । हिन्दी परीक्षाओं में जो कर्मचारी बहुत अच्छे नम्बर से पास होते हैं, उन को नकद इनाम भी दिये जाते हैं ।

**कर्मचारियों की सुविधा और कल्याण के काम —ट्रेनिंग—अच्छे काम के लिए पुरस्कार**

रेलवे इस नीति का अनुसरण करती है कि उपलब्ध साधनों के अन्दर कर्मचारियों के काम और रहन-सहन की अवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हो और उनको यथासंभव अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं दी जायें । इस दिशा में दूसरी आयोजना में रेलवे लगभग ५० करोड़ रुपये खर्च करेगी ।

इलाज की सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ायी जा रही है । रेलवे अस्पतालों की संख्या अप्रैल, १९५९ में ७० से बढ़कर अप्रैल, १९६० में ७४ और दवाखानों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या ४४८ से ४७८ हो गयी । इसी अवधि में खाटों की संख्या ४,४०४ से बढ़कर ५१६४ हो गयी । इस में टी० बी० खाट भी शामिल हैं । केवल टी० बी० खाटों की संख्या १०९६ से बढ़कर १३५६ हो गयी । टी० बी० के १३५६ खाटों में, ३२३ खाट रेलवे अस्पताल और चेस्ट क्लीनिकों में हैं और १०३३ टी० बी० के बाहरी अस्पतालों में । छोटे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चलते-फिरते दवाखाने हैं जो अधिकाधिक उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं । जो कर्मचारी किसी अनुमोदित टी० बी० अस्पताल में आरक्षित खाट के अलावा अपने इलाज की स्वयं व्यवस्था करते हैं, उन को एक और सुविधा दी गयी है । साधारणतः नियम यह है कि इलाज पर जो खर्च होता है, उसकी वापसी के लिए कर्मचारी को औपचारिक रूप से अर्ज़ी देनी होती है । यह नियम समाप्त कर दिया गया है और इस के बदले इलाज का खर्च अब सीधे सेनिटोरियम के अधिकारियों को उन के मासिक बिल के भुगतान के रूप में दिया जायेगा । ऐसे कर्मचारी जो टी० बी० के मरीज़ हों और सेनिटोरियम में इलाज करा रहे हों, उन के परिवार को कर्मचारी हित निधि से लगभग ५० रुपये प्रति मास की सहायता भी दी जाती है । लेकिन यह सहायता केवल सुपात्र कर्मचारियों को दी जाती है ।

अनेक स्थानों पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं और रेल कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रचार के लिए उपाय किये गये हैं । रेलवे अस्पतालों से सम्बद्ध रक्त बैंक में ख़ून देने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की गयी है । इस के लिए रेल पारिश्रमिक और विशेष छुट्टी की अनुमति दी गयी है । मुख्य रेलवे अस्पतालों में अवैतनिक परामर्शदाता और विशेषज्ञों को सम्बद्ध करने की योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । धीरे-धीरे यह योजना मण्डल और ज़िला अस्पतालों में भी शुरू की जा रही

है। यह भी तय किया गया है कि जो रेल कर्मचारी ड्यूटी के समय घायल हो जांय, उन्हें वर्तमान रेलवे नियमों के अधीन मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा मुफ्त बनावटी अंग दिये जांय और इस संबंध में अस्पताल का खर्च रेलवे राजस्व से किया जाय।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले चार वर्षों में कर्मचारियों के लिए लगभग ४७,००० नये मकान बनाये गये। चालू वर्ष में १०,००० लगभग इतने ही मकान तीसरी आयोजना के पहले वर्ष में बनाये जाने का अनुमान है।

रेल कर्मचारियों के बच्चों और संरक्षितों के लिए एक अध्यापक वाले प्राइमरी स्कूल, जिनका जिक्र मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में किया था, बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। अगले शिक्षा-वर्ष से, इस तरह के ४८१ स्कूलों में से, १२० में दो अध्यापक रखने का विचार है। इन में हर स्कूल की क्षमता ५० से बढ़कर १०० हो जायेगी। इस के अलावा अगले शिक्षा-वर्ष से एक अध्यापक वाले और स्कूल खोलने का भी विचार है।

रेलवे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले उन सभी रेल कर्मचारियों के बच्चों को, जिनका मासिक वेतन २२५ रु० तक है, खादी की मानक वर्दी मुफ्त देने की व्यवस्था की गयी है। बहुत से स्कूलों में खाकी वर्दी दी जा चुकी है। बाकी स्कूलों में वर्दी देने की व्यवस्था की जा रही है।

पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैं ने इस निर्णय का उल्लेख किया था कि जहां रेलवे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कोई भारतीय भाषा हो, वहां प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले रेल-कर्मचारियों के सभी बच्चों की पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जायेगी। यह सुविधा उन रेल कर्मचारियों के बच्चों को भी दी गयी है जिनकी मातृ-भाषा अंग्रेज़ी है और जो अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ते हैं।

माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि रेलवे की बस्तियों में रेल कर्मचारी स्वयं स्कूल खोलने और उसे चलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के १९४ स्कल हैं जिन में लगभग ४५,००० बच्चे पढ़ते हैं। इन में से अधिकतर स्कूल या तो रेलवे की इमारतों में हैं या पट्टे पर ली हुई रेलवे की जमीन पर बनाये गए हैं जिस के लिए नाम-मात्र को भाड़ा लिया जाता है।

रेल कर्मचारिय के बच्चों और संरक्षितों क लिए इमदादी छात्रावास की योजना बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

सब रेलों में अब १५ अवकाश-गृह है। पहलगांव का अवकाश-गृह, जिसका ज़िक्र मैं ने पिछले वर्ष के बजट भाषण में कियाथा, आशा के अनुरूप बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इसका पूरा पूरा उपयोग किया गया।

१ अप्रैल, १९५८ से कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति अंशदान २ रुपये से बढ़ाकर ४ रुपये कर दिया गया था। इस निधि के उद्देश्यों की अधिक पूर्ति और विशेष रूप से टी० बी० के मरीज़ रेल कर्मचारियों के परिवार को अधिक सहायता देने और खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १ अप्रैल, १९६० से इस निधि में प्रति व्यक्ति अंशदान की दर बढ़ाकर ४.५० रुपये कर दी गयी है।

विज्ञान और टैकनिकल विषयों में रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा देने के लिए कर्मचारी हित निधि से हर साल १०७० छात्रवृत्ति देने की योजना पिछले पांच वर्षों से लागू है। रेल

[श्री जगजीवन राम]

कर्मचारियों ने इस योजना को बहुत पसन्द किया है और इस से लाभ उठाया है। इस समय लगभग २,५०० छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिन में पिछले वर्षों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। इन पर प्रति वर्ष ८ लाख रुपये खर्च होते हैं।

रेलवे की बस्तियों में जो दस्तकारी केन्द्र खोले गये हैं, उन के लिए २०० सिलाई मशीन खरीदने के लिए चालू वर्ष में रेलवे राजस्व से रेल प्रशासनों की कर्मचारी हित निधियों को ४०,००० रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया। इन केन्द्रों में रेल-कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं को अवकाश के समय बुनाई, कताई, निटिंग, कटाई, दर्जीगिरी आदि दस्तकारियां सिखायी जाती हैं। ये केन्द्र सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और इनकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने के फलस्वरूप संशोधित वेतन मानों में कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन निर्धारित करने और १ जुलाई, १९५९ से मिलने वाली बकाया रकम के भुगतान का काम प्रायः पूरा होने को है। आशा है अगले महीने के अन्त तक हम सारी बकाया रकम का भुगतान कर देंगे।

वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेने से लगभग दस लाख से अधिक कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति मासिक परिलब्धियां औसतन ७ रुपये बढ़ जायेंगी। सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी लाभ में भी अधिक वृद्धि होगी।

पेंशन सम्बन्धी लाभ के नियमों को उदार बनाया गया है। इसे देखते हुए कर्मचारियों को ३१ मार्च, १९६१ तक पेंशन योजना अथवा निर्वाह निधि योजना के पक्ष में फिर से विकल्प देने का अवसर दिया गया है।

नये कर्मचारियों की प्रारम्भिक ट्रेनिंग और पुराने कर्मचारियों के पुनश्चर्या और तरक्की पाठ्यक्रम के स्तर के कायम रखने और उसमें सुधार की ओर बराबर ध्यान दिया गया। पिछले वर्ष मैंने सदन को बताया था कि रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने, पाठ्यक्रम के मानकीकरण और ट्रेनिंग के स्तर में सुधार करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए दो रिटायर्ड जनरल मैनेजरों की एक समिति बनायी गयी है। बाद में इस समिति से राजपत्रित कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करने और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। आशा है कि समिति की रिपोर्ट जल्द मिल जायेगी।

रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार करने और उन में अनुशासन की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से सभी रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षणार्थियों के दैनिक कार्यक्रम का एक अंग बना दिया है। कुछ कर्मचारियों की ट्रेनिंग में हथियार की ट्रेनिंग भी शामिल है।

केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभागों, राज्य सरकारों और अर्धसरकारी संस्थाओं के मनोनीत कर्मचारियों को (रेल कारखानों में) 'इन प्लांट ट्रेनिंग' की सुविधा बराबर दी जा रही हैं। श्रम और रोज़गार मंत्रालय की ओर से शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को रेल कारखानों में ट्रेड अप्रैंटिस की ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में एक योजना का व्योरा भी तैयार किया जा रहा है

व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो कर्मचारी कर्तव्य पालन में असामान्य योग्यता दिखलाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक पुरस्कार दिये जाते हैं। १९५९–६० में लगभग १२ हज़ार रुपये पुरस्कार के रूप में उन कर्मचारियों को दिये गये जिन्होंने कोई उपयोगी आविष्कार किया था या

सुझाव दिया था। अतिरिक्त रेलवे पास, शील्ड और कर्मचारी हित के काम में खर्च के लिए सामूहिक नकद इनाम के रूप में भी पुरस्कार दिये गये हैं। ये पुरस्कार स्टेशन सीमा में सफाई, मार्शलिंग यार्डों और यानान्तरण स्टेशनों में विशिष्ट कार्य, दुर्घटनाओं में कमी, कारखानों में अधिक उत्पादन आदि के लिए दिये जाते हैं।

## रेलवे में सहकारिता के काम

रेलवे में सहकारिता आन्दोलन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ३१ मार्च, १९६० को रेलवे में २५ सहकारी ऋण समितियां काम कर रही थीं, जिन की कुल संचालन-पूंजी २६ करोड़ रुपये थी। इन के अलावा रेल कर्मचारियों की लगभग १५९ उपभोक्ता सहकार समितियां भी हैं, जिन्होंने १९५९–६० में लगभग १६० लाख रुपये का काम किया।

माल, पार्सल, कोयला आदि चढ़ाने-उतारने का ठेका मज़दूरों को देने के उद्देश्य से मज़दूरों की सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की शुरूआत की जा चुकी है। ऐसी १२ समितियों को १८ स्टेशनों के ठेके दिये गये हैं जिन का कुल मूल्य लगभग १० लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस तरह के ठेके लेने के लिए मज़दूरों की उत्तरोत्तर अधिक समितियां आगे आ रही हैं।

इंजीनियरिंग के काम के लिए भी मज़दूरों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले भुसावल में राज-मज़दूरों ने एक ऐसी समिति बनायी है, जिसे यूनिट मकान बनाने का ठेका दिया जा रहा है। इस काम के लिए ईंटों की सप्लाई महाराष्ट्र सरकार के लघु उद्योग संगठन द्वारा की जायेगी।

३ या ४ वर्ष पहले विभिन्न रेल प्रशासनों ने कुछ जगहों पर वार्षिक मरम्मत और दूसरे 'क्षेत्रीय कार्य' तथा ईंट चटाई तथा गिट्टी के छोटे ठेके मज़दूर सहकारी समितियों को देना शुरू किया था। नांगल डैम की फर्टिलाइजर फैक्टरी के लिए साइडिंग बनाने के सम्बन्ध में मिट्टी डालने का काम भी एक सहकारी मज़दूर और निर्माण समिति ने किया। समिति का काम संतोषजनक रहा। मैं चाहता हूं कि उत्तरोत्तर अधिक संख्या में मज़दूरों की अपनी सहकारी समितियां मिट्टी डालने के काम और दूसरे निर्माण कार्य का ठेका लेने के लिए आगे आयें।

## कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध

केवल जुलाई, १९६० की दुर्भाग्यपूर्ण आंशिक हड़ताल को छोड़ कर, जिस में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और उस से सम्बद्ध यूनियनों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुछ दूसरी यूनियनों के साथ मिल कर भाग लिया, इस वर्ष कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बने रहे। हड़ताल के कारण ८.५ लाख जन-दिन की हानि हुई और रेल परिचालन का काम काफी पिछड़ गया।

कर्मचारियों में समान प्रयास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में उन का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर रेल प्रशासनों ने विभिन्न स्तरों पर ३५० संयुक्त समितियां बनायी हैं, जिन के जरिये रेल कर्मचारी कार्यकुशलता में सुधार, खर्च में किफायत, यात्रियों की सुरक्षा और उनके लिए सुविधा के सम्बन्ध में सुझाव दे सकते हैं। ये समितियां अभी कुछ ही समय पहले बनायी गयी हैं। इसलिए, अभी इन के काम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

[श्री जगजीवन राम]

## मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजन

खेल-कूद की बहुत सी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेल कर्मचारियों ने अपनी श्रेष्ठता कायम रखी। कुछ महीने पहले रोम में जो ओलंपिक खेल हुए थे, उस में भारत की ओर से लगभग ८० खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिन में १५ रेल कर्मचारी थे।

पिछले वर्षों की तरह अप्रैल, १९६० में जो रेलवे सप्ताह मनाया गया, उसमें रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिला। कई केन्द्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त दिल्ली और कई दूसरी रेलों के प्रधान तथा मंडल कार्यालयों में दस्तकारी और ललित कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विशिष्ट कलाकृतियों के लिए सपयुक्त पुरस्कार और पारितोषिक दिये गये। इन सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्यक्रमों के आयोजन से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए रेल कर्मचारियों के विशाल परिवार में उत्तरोतर सफलताजन्य उत्साह और गौरव की भावना बढ़ रही है। रेलवे को जो महान उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे निभाने के लिए कर्मचारियों में इन गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना पूरी हो रही है और तीसरी आयोजना शुरू होने जा रही है। इस विशेष अवसर पर मैं सभी स्तरों के रेल कर्मचारियों की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने पंचवर्षीय आयोजनाओं के भार को बहुत कुछ सफलतापूर्वक निभाया है। उनमें कमी और त्रुटियां रही हैं, और दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं उन्हें अधिक महसूस करता रहा हूं। लेकिन इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि रेल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के कारण ही रेलवे देश की प्रगति और समृद्धि में इतना महत्वपूर्ण योगदान कर सकी है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ माननीय सदस्य भी उन्हें बधाई देंगे। रेलवे एक महान राष्ट्रीय संगठन है। उसका संचालन केवल सभी के सहयोग और सद्भावना से संभव है। रेलवे इससे भी बड़े काम हाथ में लेने जा रही है। ऐसी स्थिति में मुझे विश्वास है कि मैं रेल कर्मचारियों की क्षमता, दृढ़निश्चय और देशभक्ति की भावना और माननीय सदस्यों, राज्य सरकारों और जनता की सतत सद्भावना का भरोसा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का और सदन का आभारी हूं कि आप सब ने मेरा भाषण धैर्यपूर्वक सुना।

†**अध्यक्ष महोदय :** बजट सम्बन्धी पत्रों तथा भाषण की प्रतियां सभाकक्ष में प्राप्त हो जायेंगी। आज सूर्य ग्रहण है अतः सभा स्थगित होती है। सभा कल ग्यारह बजे प्रातः पुनः समवेत होगी।

**इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/माघ २७, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

## बुधवार, १५ फरवरी १९६१
## २६ माघ, १८८२ (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | १५–३६ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | |
| १. बोनस आयोग | १५—१९ |
| २. लाओस म अधीक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग | १९—२२ |
| ३. नागा पीपल्स कन्वेन्शन | २२—२६ |
| ४. भारत-चीन सीमा-विवाद | २६—३१ |
| ५. दिल्ली में भूमि के विक्रय सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना | ३१—३२ |
| ६. पाकिस्तान के डाक टिकट | ३२—३३ |
| ७. कांगो | ३३—३४ |
| ८. दिल्ली के स्कूलों में टेलोविजन द्वारा शिक्षा | ३४—३५ |
| २३. चीन-भूटान सीमा विवाद | ३५—३६ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | ३७—८० |
| तारांकित प्रश्न संख्या | |
| ९. पाकिस्तान के लिये भारतीय चाय | ३७ |
| १०. इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फ्लेट (मकान) | ३७ |
| ११. टेलीविजन पर समाज शिक्षा माला | ३७–३८ |
| १२. नागा | ३८ |
| १३. कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड | ३८–३९ |
| १४. २४ परगना में अस्पताल | ३९ |
| १५. मेहता समिति की सिफारिशें | ३९ |
| १६. उर्वरकों का आयात | ४० |
| १७. सरकारी उपक्रमों से आय | ४०–४१ |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:) | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | |
| १८. चीनियों द्वारा प्रचार | ४१ |
| १९. चीनियों द्वारा सतलज नदी पर बांध | ४२ |
| २०. आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्ट्स कारखाना | ४२ |
| २१. फ्रांस द्वारा हिन्द महासागर में नाभिकीय परीक्षण | ४२ |
| २२. नागा विद्रोहियों द्वारा मण्डल अधिकारी की हत्या | ४३ |
| २४. जामाबाद कोयला खान | ४३-४४ |
| २५. मद्रास राज्य को तकलों और करघों का आवंटन | ४४ |
| २६. आकाशवाणी से नेपाली कार्यक्रम | ४४ |
| २७. भारतीय उद्योग मेला | ४४-४५ |
| २८. पनीर का उत्पादन | ४५ |
| २९. इटारसी में उर्वरक सन्यन्त्र | ४५ |
| ३०. राष्ट्र मण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन | ४६ |
| ३१. नेपाल में भारत विरोधी प्रचार | ४६-४७ |
| ३२. संसदीय कार्यवाही की हिन्दी समीक्षा | ४७ |
| ३३. बेरोजगारों को सहायता | ४७ |
| ३४. कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष प्रतिनिधि | ४८ |
| ३५. कुरसिया में अस्पताल | ४८-४९ |
| ३६. पटसन मजूरी बोर्ड | ४९ |
| ३७. नेपाल के शरणार्थी | ४९ |
| ३८. भारतीय राज्य क्षेत्र पर चीनियों के नए अतिक्रमण | ४९-५० |
| ३९. रायपुर में आकाशवाणी के ट्रान्समीटर | ५० |
| ४०. कपड़े के मूल्य | ५०-५१ |
| ४१. लंका में भारतीय | ५१-५२ |
| ४२. औद्योगिक उत्पादन की लागत | ५२ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | |
| १. बिहार में खादी का उत्पादन | ५२ |
| २. पंजाब में हथकरघा उद्योग | ५३ |
| ३. पंजाब में योजना के अधीन खर्च | ५३ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या


४. दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तरों में व्यक्तियों का पंजीयन . ५३
५. स्थानीय विकास कार्य . . ५४
६. टेपीओका के आटे का निर्यात . . . ५४
७. केरल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ५४-५५
८. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का संगठन . ५५-५६
९. पाकिस्तान से रूई की गांठों का आयात . . ५६
१०. छपाई की मशीनें . . ५६
११. भारतीयों द्वारा चीन की यात्रा . . ५६
१२. औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिसों का प्रशिक्षण . ५७
१३. छाते की मूंठ बनाने वाले उद्योग . ५७-५८
१४. रेडियो सक्रियता . . . . . ५८
१५. उड़ीसा में अम्बर चर्खा . . . ५८-५९
१६. उड़ीसा में आवास योजनाएं . . . ५९
१७. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड . . ५९
१८. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कार्यपालक अधिकारी . . ६०
१९. राज्यीय पुरस्कारों के लिये चलचित्रों की प्रविष्ठियां . ६०
२०. कई मंजिलों वाली इमारतों का निर्माण ६०-६१
२१. पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चाय पर कर . ६१
२२. दिल्ली रेस कोर्स क्लब . . ६१
२३. जनपथ पर बाजार . ६१-६२
२४. रूस को जूतों का निर्यात . . . . ६२
२५. निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय के कर्मचारियों का कल्याण ६२
२६. तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आकाशवाणी का विस्तार ६३
२७. चीन से खरीदे गये मोटर टायर और ट्यूब ६३-६४
२८. राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक ६४
२९. स्कूटरों का निर्माण . . . ६४-६५
३०. केन्द्रीय निधियों का विनियोजन . ६५-६६
३१. बंगलौर में अस्पताल . . . . . ६६-६७
३२. मेसर्स हापकिन्स एण्ड विलियम्स का खनिज समवाय . . ६७

**विषय** **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| ३३. | मनकों का निर्यात | ६७ |
| ३४. | कांच के सामान और कांच की चूड़ियों का निर्यात | ६८ |
| ३५. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक संघ | ६८ |
| ३६. | इराक के साथ व्यापार करार | ६९ |
| ३७. | सम्बलपुर और कोरापट में रेडियो स्टेशन | ६९ |
| ३८. | नारियल जटा उद्योग के लिए क्लाबूर में गवेषणा केन्द्र | ६९ |
| ३९. | जूटमजूरी बोर्ड | ७० |
| ४०. | उड़ीसा में ग्रामीण गृह निर्माण योजना | ७०–७१ |
| ४१. | उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य | ७१ |
| ४२. | उद्योगा का विकास | ७१–७२ |
| ४३. | दण्डकारण्य के भूमि हीन आदिवासी | ७२ |
| ४४. | त्रिपुरा के विस्थापित कालेज विद्यार्थी | ७३ |
| ४५. | नलदुर्ग में कागज का कारखाना | ७४ |
| ४७. | अफगानिस्तान को फिल्मों का निर्यात | ७४ |
| ४८. | रासायनिक संयंत्र बलसोर | ७४–७५ |
| ४९. | रेशम उद्योग | ७५–७६ |
| ५०. | समाचार पत्रों का परिचालन | ७६ |
| ५१. | भारतीय व्यापारी | ७६ |
| ५२. | पहाड़ी जिलों में आकाशवाणी के कार्यक्रम | ७७ |
| ५३. | नाइजीरिया के लिए डाक्टर और टैक्नीशियन | ७७ |
| ५४. | तम्बाकू | ७७–७८ |
| ५५. | समाचार लेखा विभाग | ७९ |
| ५६. | कोरापट में शिविर | ८० |
| ५७. | आन्ध्र प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना | ८० |

**स्थगन प्रस्ताव** . . . . . . . ८०—८२


अध्यक्ष महोदय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में पांच बैंकों को शोध-विलम्ब-काल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री अ० कु० गोपालन, वासुदेवन् नायर और पुन्नूस ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

विषय पृष्ठ

**प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य** . . . . . . . ८२—८६

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने कांगो की वर्तमान स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

**सभा पटल पर रख गये पत्र** . . . . . . ८७—९१

(१) नई दिल्ली में भूमिगत पानी के स्तर की स्थिति सम्बन्धी तदर्थ समिति की अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२० में प्रकाशित समाचार-पत्रों (केन्द्रीय) का पंजीयन संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३००६ की प्रति ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड के नियम, विनिमय तथा ज्ञापन

(ख) आविष्कार कर्त्ताओं के लिये जानकारी देने वाली आविष्कार संवर्धन बोर्ड की पुस्तिका ।

(५) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के बारे में छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(६) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति :—

(क) साइकिलों, सिलाई मशीनों और औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) बिजली के भारी सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग) बिजली के हलक सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(घ) अन्तर्दाह इंजनों, विद्युच्चालित पम्पों, एयर कम्प्रैसरों, पंखों तथा ब्लोअर सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन ।

विषय

(ङ) अलौह धातुओं सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(च) मशीनी औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(छ) भारी रासायनिक पदार्थों (तेजाब तथा उर्वरकों) संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ज) क्षार तथा तत्सम्बन्धी मिले-जुले उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(झ) नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ञ) भेषज, रंगों और बीच की वस्तुओं सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ट) चीनी उद्योग संबन्धी विका परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिववेदन।

(ठ) ऊन उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिववेदन।

(ड) मोटर तथा सहायक उद्योगों और परिवहन गाड़ी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ढ) अलकोहल और अन्य खमीर उत्पादों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ण) खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ट) कागज गूदा और तत्सम्बन्धी उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(थ) तैल तथा प्लास्टिक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

(द) चमड़ा, चमड़े का सामान और 'पिकरों' सम्बन्धी विकास परिषद् का प्रतिवेदन।

(७) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२

विषय पृष्ठ

में कुछ और सशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५२२।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५४८।

(८) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०९२ की एक प्रति।

(९) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० ११९९।

(ख) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४१।

(ग) दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३६०।

(घ) दिनांक २४ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४०४।

(१०) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १५६६।

(ख) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० ५३।

(ग) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० १०१।

**अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०-६१ के बारे में विवरण उपस्थापित** ९३

रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६०–६१ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . | ९१—९३ |
| श्रीमती मफीदा अहमद ने बर्मा-चीन सीमा सन्धि के साथ संलग्न मान चित्र और उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया। | |
| प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। | |
| **वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) द्वारा वक्तव्य** . . | ९३ |
| वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री ने पत्रकारों की नागालैण्ड की यात्रा के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य सदस्यों के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ के २३ दिसम्बर १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया। | |
| **रेलवे आयव्ययक, १९६१-६२ उपस्थापित** . . . . | ९४—१२० |
| रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६१–६२ के लिये रेलवे के सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति और आय व्यय का विवरण उपस्थापित किया। | |
| **गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि।** | |
| द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना। | |


---

GMGIPND—LS III—1913 (Ai) LSD—9-3-61—125.